चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 14

गुरुवार, 22 जुलाई, 2004
31 आषाढ, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेज़ी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 14, गुरुवार, 22 जुलाई, 2004/31 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 245	5-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 244 और 246 से 261	17-52
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2275	52-325
सभा पटल पर रखे गए पत्र	326-336
अनुबंध-I	337-342
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	337-338
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	338-342
अनुबंध-II	343-344
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	343
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	343-344

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 22 जुलाई, 2004/31 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री रामगोपाल यादव आदि के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमने अपने एक भूतपूर्व साथी को खो दिया है।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री अजय मुशरान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री अजय मुशरान, वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री मुशरान वर्ष 1980 से 1984 तक और वर्ष 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री मुशरान एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने वर्ष 1981–82 के दौरान सिंचाई, ऊर्जा, खेल और युवा कल्याण राज्यमंत्री के रूप में तथा वर्ष 1982 से 1984 तक केबिनेट में वन, खेल और युवा कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1998 में उन्होंने पुनः राज्य सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला।

श्री मुशरान एक सक्रिय सांसद थे और वह वर्ष 1985–86 के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

श्री अजय मुशरान का निधन 11 जुलाई, 2004 को थोड़े दिन बीमार रहने के बाद, 71 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यदि आप सभी एक साथ बोलना शुरू करेंगे तो मैं किस प्रकार आपकी बात सुन सकता हूं? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक–एक करके बोलिए। मैं विपक्ष के नेता को वरीयता दूंगा। हालांकि मुझे इसके लिए कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन उनका सम्मान करते हुए मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। मैं यह भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप सभी नियमों से भली–भांति परिचित हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों में संसदीय इतिहास में पूर्णतः अभूतपूर्व घटना घटित हुई है। न्यायालय में संघ सरकार के केबिनेट मंत्री के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया और उस वारंट को लागू करने के उद्देश्य से रांची से पुलिस अधिकारी परसों दिल्ली आए थे और वह कल तक दिल्ली में ही थे, वे दिल्ली में ही हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के केबिनेट मंत्री फरार हैं...*(व्यवधान)* इसके परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को जाना पड़ा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? श्री रामदास, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यदि वे जवाब देना चाहते हैं तो वे जवाब दे सकते हैं। यह उन पर निर्भर करता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पुलिस अधिकारियों को मजबूरन नार्थ ऐवन्यू में उनके निवास स्थान पर जाना पड़ा और वहीं वारंट की प्रति चिपकानी पड़ी। मैं किसी लोकतंत्र में और वह भी भारत में जिसे अपने लोकतंत्र पर गर्व है इस प्रकार की घटना के घटित होने की कल्पना तक नहीं कर सकता, ऐसा हुआ है। उस मंत्री के अनुयायियों ने बताया कि उनके निवास स्थान पर वारंट चिपकाया गया है।

मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और सदन को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि सरकार न्यायालय के इस आदेश पर क्या जवाबी कार्यवाही कर रही है।

मंत्री महोदय का संसद में कार्य था। उनके प्रश्न अन्य सदन की प्रश्नसूची में कल के लिए पहले नंबर में सूचीबद्ध था और फिर भी उन्होंने सभापति महोदय, पीठासीन अधिकारी को बता दिया कि वह सदन में आ नहीं सकते और उनके कनिष्ठ मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देंगे।

यह तो अप्रत्याशित बात है। यह तो पूर्णतः असमर्थनीय है। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार के लिए अपमानजनक है कि इस स्तर का मंत्री सरकार में बना रहे। उन्हें तुरंत निकाला जाना चाहिए और सरकार को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि स्थिति क्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी टिप्पणी दे दी है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : प्रधानमंत्री को सभा में आना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : प्रधानमंत्री जी सदन में आकर बयान दें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अवसर दे दिया है। कम से कम अध्यक्ष की बात तो सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। बिना किसी सूचना के मैंने श्री आडवाणी जी को अपनी बात कहने देने की अनुमति दे दी है और सदस्य अध्यक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ द्वारा की गई टिप्पणी के सिवाय कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(इस समय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। सीमा को पार मत कीजिए। आप सीमा पार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति दी है। आपमें इतनी भी शिष्टता नहीं कि आप अध्यक्ष की बात सुनें। भविष्य में, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं करूंगा। अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न काल चलाने दीजिए। प्रश्न संख्या 242, श्री अर्जुन सेठी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी, क्या आप अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 243, प्रो. रासा सिंह रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 244, श्री वीरेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 245, श्री शिवाजी अधलराव पाटील।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती निवेदिता माने।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वी.एस.एन.एल. और सरकारी स्वामित्व वाले गेल के ठेकों की समाप्ति

+

***245 श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री शिवाजी अधलराव पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी.एस.एन.एल. ने दिल्ली और मुंबई के बीच पापइलाइनों के साथ आप्टिकल फाइबर ब्राडबैंड संपर्कों को किराए पर लेने से संबंधित गेल के साथ अपने ठेके को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वी.एस.एन.एल. के इस निर्णय से गैस–उपयोगिता के दूरसंचार संबंधी स्वप्न को धक्का लगा है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप गेल को कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या गेल ने सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (च) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) लम्बी दूरी के बैंडविड्थ के पट्टे के लिए वी.एस.एन.एल. का गेल के साथ एक करार था। करार के निबंधनों के अनुसार वी.एस.एन.एल. एक महीने का पूर्वनोटिस देते हुए करार से बाहर निकल सकती थी। वी.एस.एन.एल. ने मुंबई और दिल्ली के बीच अपने लंबी दूरी के नेटवर्क का निर्माण किया है और वह अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में गेल से बैंडविड्थ पट्टे पर ले रही थी। इसके बाद वी.एस.एन.एल. ने इस मार्ग के साथ मैसर्स भारती लिमिटेड से आप्टीकल फाइबर नेटवर्क खरीदा और इस प्रकार अपनी स्वयं की अतिरिक्त व्यवस्था उत्पन्न कर ली। इसलिए वी.एस.एन.एल. ने संविदा के खंडों के अनुरूप वाणिज्यिक कारणों की वजह से गेल के साथ करार से बाहर निकलने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) वी.एस.एन.एल. का निर्णय गेल के लिए एक अस्थायी धक्का था क्योंकि वी.एस.एन.एल. द्वारा वापस लिया गया व्यवसाय लगभग 17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। इसके बाद गेल ने अन्य प्रचालकों से 8 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक के नए आदेश प्राप्त किए। गेल अन्य उपभोक्ताओं से नए अतिरिक्त आदेशों की अपेक्षा कर रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। गेल और वी.एस.एन.एल. के बीच मामला वाणिज्यिक प्रकृति का है और यह संविदा खंडों के अनुरूप है। गेल ने सरकारी हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री

महोदय से पूछना चाहती हूं कि 'गेल' को इस करार के टूटने से अब तक कितना नुकसान हुआ है और आगे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पूछा है...*(व्यवधान)* समुचित सूचना दी गई थी...*(व्यवधान)* वे अतिरिक्त आदेश मिलने के कारण पहले ही 8 करोड़ रुपये कमा चुके हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसे करारों में क्या इस तरह के प्रावधान रखे जाएंगे, जिससे कोई समझौता रद्द होने से गेल को नुकसान न हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं माननीय सदस्या को सूचित कर दूं कि उसने जो निवेश किया है गेल उसका उपयोग ...*(व्यवधान)*

श्री अबदुल्लाकुट्टी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद...*(व्यवधान)*

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में मछुआरे अपनी आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए मिट्टी के तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* मुझे पता लगा है कि केरल के मुख्यमंत्री ने मिट्टी का तेल प्राप्त होने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचित किया था ...*(व्यवधान)* यह कहा जा सकता है कि राजग सरकार के दौरान वर्ष 2003–04 में मिट्टी के तेल में 8,189 मीट्रिक टन की कमी आई है...*(व्यवधान)* केरल राज्य के साथ यह अन्याय हो रहा है...*(व्यवधान)* इस शिकायत को दूर करने हेतु केंद्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जिन पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता प्राप्त होती है उनके साथ पूरी मूल्य निर्धारण नीति समीक्षाधीन है...*(व्यवधान)* वर्तमान व्यवस्था में हम जिस पर राजसहायता देते हैं वह है एस.के.ओ. ...*(व्यवधान)* रसोई गैस (एल.पी.जी.) के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है...*(व्यवधान)* पूर्ववर्ती सरकार ने एक व्यवस्था अपनाई थी जिसके अनुरूप एल.पी.जी. की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की मात्रा में कमी की गई थी...*(व्यवधान)* लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि अभी मिट्टी के तेल की बहुत सी ऐसी मांग है जो पूरी नहीं की गई है...*(व्यवधान)* मैं माननीय संसद सदस्य से इस बात को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं कि हम जितना भी अतिरिक्त मिट्टी का तेल देते हैं उससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ता है...*(व्यवधान)* इस व्यवस्था में यही नीति चल रही है...*(व्यवधान)* यह राजसहायता बहुत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है...*(व्यवधान)* हमें केरल के मछुआरों की चिंता का ध्यान रखना है जिसे हम एक वास्तविक चिंता के रूप में स्वीकार करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या तेल कंपनियां मिट्टी के तेल और एल. पी.जी. के मूल्यों में वृद्धि किए जाने पर जोर दे रही हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त कर दूं कि तेल पूल के फिर से शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है...*(व्यवधान)* जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि तेल कंपनियों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले मिट्टी के तेल तथा घरेलू उपयोग में आने वाली एल.पी.जी. के कारण राजसहायता का बड़ा भारी बोझ है...*(व्यवधान)*

हमारी मूल्य निर्धारण नीति के एक भाग के रूप में हमें राजसहायता और तेल कंपनियों पर पड़ रहे भार के इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सचिन पायलट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार इस देश में मिट्टी के तेल पर राजसहायता देने में बहुत धन व्यय कर रही है...*(व्यवधान)* यह बात आपके ध्यान में अवश्य आनी चाहिए कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि लक्षित राजसहायता आम आदमी और गांव के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही है...*(व्यवधान)* एक औसत भारतीय के लिए मिट्टी का तेल एक महत्वपूर्ण वस्तु है।...*(व्यवधान)* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है...*(व्यवधान)* सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को लक्षित लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय क्या आप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रशासित करने हेतु नहीं तो कम से कम उसकी निगरानी करने तथा गांवों में उसके वितरण में स्वयं ग्राम पंचायत को सम्मिलित करने पर विचार

करेंगे जिससे कि जिम्मेदारी रहे जिससे कि, राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल जो कि एक बहुत दुर्लभ वस्तु है, योग्य लोगों तक पहुंच सके और वह ऐसे लोगों के हाथों में न पड़े जो पेट्रोल में मिलाने के लिए उसकी जमाखोरी करते हैं?...*(व्यवधान)* कम से कम पंचायतों को उसकी निगरानी करने की शक्तियां तो प्रदान की ही जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं एक ओर पेट्रोलियम मंत्रालय और दूसरी ओर पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित करने संबंधी सुझाव देने पर माननीय संसद सदस्य का हृदय से आभारी हूं...*(व्यवधान)* हमारा प्रयास इस बात का ध्यान रखना है कि यह लक्षित लोगों तक पहुंचे...*(व्यवधान)* मेरे विचार से चयनित स्थानीय निकायों तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे उचित दर की दुकानों को इस व्यवस्था में समन्वित करना आवश्यक है...*(व्यवधान)* ये सभी विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं...*(व्यवधान)* जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिन पेट्रोलियम पदार्थों पर राजसहायता दी जा रही है उनके साथ–साथ पूरी मूल्य निर्धारण नीति समीक्षाधीन है...*(व्यवधान)* मैं माननीय संसद सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि हम इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आजादी के 57 वर्ष के बाद अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है...*(व्यवधान)* इसलिए गांव की महिलाओं को मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. की जरूरत है, लेकिन लगातार एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की सब्सिडी कम हो जाने के नाते गरीब लोगों के घर की महिलाओं का कष्ट बढ़ता जा रहा है।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूं कि मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. पर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी से मेरा यही प्रश्न है कि सब्सिडी बढ़ाने के लिए सरकार का क्या इरादा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सतर्क है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी का तेल वहनीय मूल्यों पर उन उपभोक्ताओं तक पहुंच सके...*(व्यवधान)* इसी प्रकार सरकार भी इस बात के प्रति उतनी ही सतर्क है कि रसाई गैस (एल.पी.जी.) उपभोक्ताओं को उस दर पर मिले जिसे वे वहन कर सकें...*(व्यवधान)*। तथापि, तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि होती है, जैसा कि गत दो वर्षों से हो रहा है, तो राजसहायता का बोझ भी उसी के अनुसार तेजी से बढ़ जाता है...*(व्यवधान)* अतः हमने यह नीति बनाई है कि राजसहायता के इस बढे हुए भार को सरकार, तेल कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के बीच न्यायोचित रूप से बांट दिया जाए...*(व्यवधान)* इसी आधार पर हम 16 जून को राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि की घोषणा कर पाए। यह मात्र 20 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : संसद नहीं चलती है, सरकार चलती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : इसी के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने हेतु कि मिट्टी के तेल का मूल्य वहीं स्थिर बना रहे जिस स्तर पर वह पिछले कुछ वर्षों से बना हुआ है, हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं...*(व्यवधान)* अतः जबकि मुझे माननीय सदस्य की गृहणियों पर भार न बढ़ाए जाने की इच्छा से सहानुभूति है तथापि मेरे विचार से, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यह आवश्यक है कि यदि मूल्यों में वृद्धि होती है तो किसी को तो उस भार को वहन करना ही होगा...*(व्यवधान)* अच्छा यही है कि हम सभी पक्ष न्यायोचित रूप से इस भार को आपस में मिलकर वहन करें न कि किसी एक पक्ष पर ही सारा भार डाल दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैर, मैं श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर को उनके द्वारा पूछे गए पहले अनुपूरक प्रश्न पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मिट्टी का तेल और रसोई गैस केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में जाती है।...*(व्यवधान)* राज्यों में जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको रसोई गैस मिलने की बजाय होटलों में पहुंच जाती है।...*(व्यवधान)* इसी तरह मिट्टी का तेल राशन कार्डधारियों को मिलना चाहिए ...*(व्यवधान)* लेकिन उनको मिलने की बजाय यह वैंडर्स के पास चला जाता है। क्या केंद्र सरकार इस बारे में जानती है? ...*(व्यवधान)* अगर जानती है तो सरकार इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कौन से कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाना चाहती है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल के वितरण की जो व्यवस्था हमें पूर्ववर्ती सरकारों से विरासत में मिली है उसमें कई कमियां हैं...*(व्यवधान)* हम इन कमियों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कुछ कमियां बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थागत कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए व्यवस्थागत सुधार करने होंगे ...*(व्यवधान)* इन मुद्दों का समाधान वर्तमान में चल रही समीक्षा का ही एक भाग है और हम आशा करते हैं कि इसके बाद एक वितरण की ऐसी प्रभावी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, जो इस बात पर अंकुश लगाएगी कि सब्सिडी प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए न हो सके जिनके लिए वे अधिकृत नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश राज्य मिट्टी के तेल की जो मांग करता है, उसकी आपूर्ति की जाती है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, ए.पी.एम. को समाप्त करने अथवा ए.पी.एम. को समाप्त करने की घोषणा के बाद से ही वितरण प्रणाली स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया तेल कंपनियों को सौंप दी गई है और पेट्रोल तथा डीजल के नये वितरकों, थोक विक्रेताओं और फुटकर बिक्री केंद्रों की स्थापना से नयी मुसीबतें खड़ी हुई हैं...*(व्यवधान)* इसके परिणामस्वरूप, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के सभी राज्य विगत कुछ वर्षों से परेशानी उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अब हम वितरकों और थोक विक्रेताओं सहित फुटकर बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाकर स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में, मैं मानता हूं कि इस दिशा में अभी उत्तर प्रदेश की ओर जितना ध्यान दिया जा रहा है उससे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* हम मूल्य नीति की जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें इस तरह के क्षेत्रीय असंतुलनों का भी समाधान हो सकेगा...*(व्यवधान)* लेकिन मैं माननीय सदस्य के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि प्रभावी वितरण के लिए राज्य सरकार से बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* कुछ भी हो, जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन का संबंध है, अधिकतर केरोसिन राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के पास सीधे पहुंचता है और वहां से यह गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचता है या नहीं यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है...*(व्यवधान)* इसलिए माननीय सदस्य केंद्र सरकार से जितना सतर्क होने की अपेक्षा रखते हैं यदि राज्य सरकार भी उतना ही सतर्क रहे, तो मैं समझता हूं राज्य सरकार के सहयोग से हम प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान की अपेक्षा उत्तर प्रदेश पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* क्या यह सही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिट्टी के तेल का जो आवंटन होता है, वह राष्ट्रीय अनुपात से कम है?...*(व्यवधान)* देश भर में ऐसे पिछड़े राज्य जिनके मिट्टी के तेल का आवंटन नेशनल एवरेज से कम है, ...*(व्यवधान)* उनके आवंटन को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने के लिए सरकार अपने स्तर से क्या प्रयास कर रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : उत्तर प्रदेश की भांति बिहार भी ऐसा राज्य है जहां घरेलू रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल, दोनों के लिए संपूर्ण वितरण प्रणाली में सुधार किए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के...*(व्यवधान)* 58 राउंड के आंकड़ों पर नजर डालें...*(व्यवधान)*

इसलिए, हमें वितरण प्रणाली में सुधार लाना होगा... *(व्यवधान)* लेकिन साथ ही, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हम राज्य सरकार से भी वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सहयोग करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अंततः राज्य को केंद्र सरकार एक निश्चित सीमा तक ही मिट्टी का तेल प्रदान कर सकती है...*(व्यवधान)* इसलिए, यह राज्य के ग्रामवासियों तक जाएगा...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं आशा करता हूं कि पूर्व में माननीय सदस्य श्री सचिन पायलट द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा। मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के बारे में बिहार सरकार

को कोई न कोई प्रस्ताव पेश करना चाहिए...*(व्यवधान)* हम इतना ही कर सकते हैं कि हम इसे पंचायतों तक पहुंचाएं और पेट्रोलियम मंत्रालय से हमने यह प्रस्ताव किया है कि वितरण प्रणाली से संबंधित नेटवर्क में सुधार लाया जाए...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, सरकार ने 1993 में देश में केरोसिन आयात के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दी थी और तब से गत वर्ष तक यह जारी थी...*(व्यवधान)* अब सरकार ने देश में केरोसिन आयात करने और उसे बेचने के लिए निजी कंपनियों पर रोक लगा दी है। इस स्थिति के मद्देनजर मैं यह जानना चाहती हूं क्या इससे देश में केरोसिन की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है...*(व्यवधान)*

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जो केरोसिन आवंटित किया जाता है, वह शायद ही कभी गरीब लोगों तक पहुंचता हो। स्पष्ट है, कि अधिकतर केरोसिन का उपयोग मिलावट के उद्देश्य से किया जाता है क्योंकि मोटर स्पिरिट तथा डीजल जैसे दूसरे ईंधनों और केरोसिन के मूल्य में बहुत अधिक अंतर है...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं...*(व्यवधान)*

अंत में, मैं कहना चाहूंगी जब केंद्र सरकार केरोसिन पर सब्सिडी प्रदान करती है तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह यह देखे कि सब्सिडी का लाभ लक्षित लोगों को ही प्राप्त हो। मैं जानना चाहती हूं कि इस संबंध में केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, सभा के बीचोबीच हो रहे शोरशराबे के कारण मैं माननीय सदस्य की कोई बात नहीं सुन सका। लेकिन जैसा कि मैं माननीय सदस्य से जान पाया हूं वह उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क में व्याप्त कमियों के बारे में पूछ रही थीं...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं उत्तर प्रदेश राज्य में हमें विरासत में जो वितरण नेटवर्क प्राप्त हुआ है उसमें बहुत कमियां हैं...*(व्यवधान)* हम मूल्य की समीक्षा करने में लगे हुए हैं और इसके लिए राज्य सरकार से निकट सहयोग की आवश्यकता होगी...*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, इसलिए वे इस मामले को अपनी पार्टी के समक्ष उठाएं ताकि हम इस संबंध में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर सकें...*(व्यवधान)* हम मिलजुलकर इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे ताकि हम सभी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विगत की अपेक्षा भविष्य में ज्यादा बेहतर बना सकें।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, केरोसिन तेल की कीमत विगत 5–6 सालों में काफी बढ़ी है।...*(व्यवधान)* राजग सरकार ने इसे तीन रुपये से बढ़ाकर दस रुपये कर दिया। झारखंड के 72 प्रतिशत गांवों में बिजली अभी नहीं पहुंची है।...*(व्यवधान)* वहां के लोग केरोसिन तेल पर ही निर्भर करते हैं।...*(व्यवधान)* झारखंड में केरोसिन तेल की आपूर्ति भी कम होती है।...*(व्यवधान)* केरोसिन तेल का उपयोग गरीब लोग अधिक करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी झारखंड के केरोसिन तेल का कोटा बढ़ाएंगे और जो दाम राजग सरकार ने बढ़ाए हैं, उन्हें कम करने का काम करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, दाम कम करने की संभावना नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है।...*(व्यवधान)* हमने माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में कहा कि जो भी बोझ हमारे कंधों पर आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, उसे इस प्रकार बांटना चाहिए कि पूरा बोझ किसी एक वर्ग पर न पड़े। इसमें तीन मुख्य वर्ग हैं।...*(व्यवधान)* एक वर्ग सरकार है, दूसरा वर्ग आयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और तीसरा वर्ग उपभोक्ता है।...*(व्यवधान)* हमने कोशिश की है कि जो बोझ देश के कंधों पर आया है, उसे एक सामान्य तरीके से तीनों वर्गों के बीच में ऐसे बांटा जाए कि किसी एक वर्ग पर बोझ न पड़े।...*(व्यवधान)* लेकिन दाम बढ़ते जाते हैं तो हमने सोचा कि क्योंकि बहुत ही गरीब वर्ग केरोसिन यूज करते हैं इसलिए हमने केरोसिन का दाम नहीं बढ़ाया है। जहां तक डॉमेस्टिक एलपीजी का दाम है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि देखें तो जहां 135 रुपये प्रति सिलेंडर तक दाम बढ़ा सकते थे, हमने इसको बीस रुपये तक सीमित कर दिया है ताकि थोड़ा बोझ सरकार अथवा बड़ी आयल कंपनियों पर भी पड़े।...*(व्यवधान)* इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं।...*(व्यवधान)* जिस तरह से यह नया बोझ देश के कंधों पर आया है, उसे हम सामान्य रूप से, न्यायपूर्वक तरीके से, बजट में सब्सिडी देकर आवंटन कर रहे हैं, एक हिस्सा सरकार ले, तथा हमारी आयल मार्केटिंग कंपनीज भी इस राष्ट्रीय काम के लिए अपना योगदान दें।...*(व्यवधान)*

जहां तक झारखंड का सवाल है, दाम हम कम नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि वहां केरोसिन और एलपीजी उपलब्ध कराना आवश्यक है।...*(व्यवधान)* इसमें राज्य सरकारों का भी हाथ होगा। जो प्राइसिंग पॉलिसी का हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें झारखंड सरकार की तरफ से भी यदि हमें सहयोग मिले तब परिस्थिति को हम बेहतर कर सकते हैं।... *(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे डोडा जिले के दूर–दराज के इलाके हैं, जैसे माड़वा, बाड़वन, दच्छिन और पाडर, इन इलाकों में हमारा केरोसिन आयल ज्यादा खर्च होता है क्योंकि वहां बिजली नहीं होती है।...*(व्यवधान)* इन इलाकों में जो किराया लगता है, 5–5 दिन लोग पैदल चलते हैं। ...*(व्यवधान)* एक लीटर तेल पर 10–10 रुपया और 12–12 रुपया खर्च होता है।...*(व्यवधान)* इसलिए वहां आप मिट्टी के तेल को, विशेषकर इन इलाकों के लिए, क्या और सब्सिडाइज करेंगे ताकि वे किराया से बच जाएं?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हाउस की वैल में इतने शोर–शराबे के कारण मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। जो थोड़ा–बहुत समझ में आया है, उसके आधार पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जम्मू–कश्मीर राज्य में जो केरोसिन और एलपीजी का दाम है...*(व्यवधान)* क्योंकि सुरक्षा बलों का कहना है कि जिस तरीके से जम्मू में...*(व्यवधान)* लेकिन यह एक समस्या है और इस समस्या का हल निकालना बहुत ही आवश्यक है।...*(व्यवधान)* आज की परिस्थितियों में जो टैम्परेरी डिफिकल्टीज आई हैं, उसका हल निकालने की हमारी पूरी कोशिश है। साथ ही मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि दाम को हमेशा कम करने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए किसी न किसी को इस बोझ को अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा लेकिन हमारा मानना है कि यह बोझ अलग–अलग कंधों पर समान रूप से पड़े।...*(व्यवधान)* जो सिस्टम चल रहा है, उसे बेहतर करने में भी हम लगे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले : केरोसिन आयल को बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाता है।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* लोगों को पेट्रोल और डीजल सही मिले, उसके लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है और आगे क्या करने जा रही है?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि पेट्रोल और डीजल में एडल्ट्रेशन होती है, मिट्टी का तेल मिलाया जाता है और उस पर रोक लगाना जरूरी है।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य जानते हैं कि जब से हमने केरोसिन आयल की मार्केटिंग में बदलाव किया है, तब से एडल्ट्रेशन पर कुछ कमी आई है। इसीलिए हमने घरेलू उपयोग में आने वाले मिट्टी के तेल को अलग किया है...*(व्यवधान)* हमने उसके लिए एक योजना बनाई है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो मिलावट करने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं।...*(व्यवधान)* तकनीक का गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन जरूरी चीज यह है कि केरोसिन आयल सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचे, रास्ते में उसका डाइवर्शन न हो। इस लिहाज से हम अपनी पालिसी को रिव्यू कर रहे हैं और एक योजना बना रहे हैं, जिससे जहां भी एडल्ट्रेशन होता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सके।...*(व्यवधान)* इस संबंध में जैसा अभी माननीय सदस्य सचिन पायलट ने कहा, उन्होंने ठीक कहा कि इसकी सप्लाई में पंचायतों का सहयोग लिया जाए।...*(व्यवधान)* उस पर विचार करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* हमारे मंत्रालय में एक एंटी एडल्ट्रेशन सेल बनाया गया था...*(व्यवधान)* लेकिन उसका काम संतोषप्रद नहीं रहा। हमें जो रिपोर्ट मिली है, उसके आधार पर हमने उसे बंद कर दिया है। उसकी जगह मंत्रालय के अंदर नया सेल बनाने पर विचार हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं उम्मीद करता हूं कि जब वह बनेगा तो मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : बिहार में इस समय काफी बड़े इलाके में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को केरोसिन आयल नहीं मिल पा रहा है।...*(व्यवधान)* अगर आप बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं, तो उन तक केरोसिन आयल पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : पहली मर्तबा हमने देखा कि रघुनाथ झा जी की आवाज उनकी आवाज से ज्यादा बुलंद है।

महोदय, बाढ़–पीडितों को केरोसिन पहुंचाने के रास्ते में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मेरा कहना यह है कि बाढ़–पीड़ितों को केरोसिन पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर दिक्कतें आती हैं तो वे हमें बताएं कि किस प्रकार उनकी मदद मंत्रालय की ओर से हम कर सकते हैं, वह इमदाद हम उनकी करेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष जी, देहातों के डीलरों को जो केरोसिन तेल का कोटा दिया जाता है वे उसे शहर की दुकानों पर ही बेच जाते हैं और देहात के लोगों को तेल नहीं मिलता है और उनके घरों के दीये नहीं जलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस सिलसिले में क्या कोई कार्रवाई करेगी?...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرادآباد): جناب اسپیکر صاحب، دیہاتوں کے ڈیلروں کو جو کیروسین تیل کا کوٹا دیا جاتا ہے وہ اُسے شہر کی دُکانوں پر ہی بیچ دیتے ہیں اور دیہات کے لوگوں کو تیل نہیں ملتا ہے اور ان کے گھروں کے دیئے نہیں جلتے ہیں۔ میں محترم وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس سلسلے میں کیا کوئی کارروائی کرے گی۔...(مداخلت)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की आरक्षित निधि का उपयोग

***242. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, विशेषकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की 22.5 प्रतिशत आरक्षित निधि के अंतर्गत, गांव में पक्की सड़कों, बाजार परिसरों एवं जल निकायों आदि जैसी स्थायी सामाजिक–आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्यों से 22.6 प्रतिशत आरक्षित की गई निधि के अंतर्गत लोगों को कैसे लाभ मिलेगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत एवं मध्यस्तरीय पंचायतों को रिलीज किए गए संसाधनों में से 22.5 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनु. जाति/अनु. जनजातियों के विशेष कार्यों के लिए किया जाएगा। ग्रामीण कंक्रीट सड़कें, बाजार परिसर और जल निकायों जैसे कार्य इन निर्धारित निधियों से नहीं किए जाएंगे। अभिज्ञात अनु. जाति/अनु. जनजाति के हित के लिए शुरू की जा सकने वाली आर्थिक परिसंपत्तियों/कार्यों की निदर्शनात्मक सूची नीचे दिए अनुसार है :

(i) आवंटित भूमि का विकास;

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की निजी भूमि पर ईंधन की लकड़ी और चारे वाले पौधों के रोपण जैसे सामाजिक–वानिकी कार्य;

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की निजी भूमि पर कृषि–बागवानी, पुष्पकृषि, बागवानी पौधरोपण;

(iv) किसी भी स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए वर्कशेड या आधारभूत सुविधा;

(v) सिंचाई के लिए खुले सिंचाई कुएं/बोर वेल्स;

(vi) मुख्य रूप से मत्स्यपालन के लिए तालाब की खुदाई।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल और रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

***243. प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल और रसोई गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मिट्टी के तेल और रसोई गैस की आपूर्ति और मांग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने हेतु मिट्टी के तेल और रसोई गैस का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इन वस्तुओं को किस दर पर आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जबकि आपूर्तियां मांग को पूरा करने के लिए सामान्यतया पर्याप्त हैं और आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है, वहीं आपूर्ति शृंखला या वितरण नेटवर्क में यदा–कदा की गड़बड़ियों से कई बार अस्थायी कमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें तुरन्त सुधार दिया जाता है।

(ग) रियायती दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी तेल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है, जो इसके बदले इस उत्पाद को पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा तेल कंपनियां और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल की मांग के अनुसार आपूर्ति करती हैं। एलपीजी के मामले में तेल कंपनियां मांग के अनुसार उत्पाद की आपूर्ति करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी तेल और एलपीजी की बिक्री का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(घ) औसत आयात मूल्य (सीआईएफ) के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित मिट्टी तेल और एलपीजी की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	2001–2002	2002–2003	2003–2004 (अनंतिम)
एलपीजी आयात (टीएमटी*)	659	1073	1708
मूल्य** रुपये/टन	12327	18127	15054
मिट्टी तेल के आयात (टीएमटी*)	391	698	804
मूल्य** रुपए/टन	12283	***	***

* हजार मीट्रिक टन

** सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयात पर आधारित।

*** सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा इस अवधि के दौरान मिट्टी तेल का आयात नहीं किया गया।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा मिट्टी तेल व एलपीजी की राज्यवार बिक्रियां

(आंकड़े टन मी. टन में)

क्षेत्र/राज्य	2001–02		2003–03		2003–04 (अनंतिम)	
	एलपीजी	मिट्टी तेल	एलपीजी	मिट्टी तेल	एलपीजी	मिट्टी तेल
1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्र : उत्तर						
जम्मू व कश्मीर	76	153	84	152	91	151
पंजाब	374	308	428	274	489	251
राजस्थान	305	435	346	419	385	406
उत्तर प्रदेश	763	1306	873	1271	978	1235
हरियाणा	265	168	304	158	355	149
हिमाचल प्रदेश	61	49	64	48	74	49
उत्तरांचल	95	110	107	96	118	94
चंडीगढ़	30	14	30	14	31	11
दिल्ली	474	200	508	190	550	181
उत्तर योग	2442	2741	2744	2622	3071	2528

1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्र : उत्तर पूर्व						
असम	126	280	131	262	145	264
मणिपुर	14	16	22	32	18	21
मेघालय	9	21	10	26	11	22
नागालैंड	8	14	11	13	11	13
त्रिपुरा	14	31	16	30	18	30
अरुणाचल प्रदेश	8	12	9	11	9	11
मिजोरम	14	7	16	6	17	7
उत्तर पूर्व योग	**192**	**381**	**214**	**381**	**229**	**368**
क्षेत्र : पूर्व						
बिहार	170	677	183	610	223	636
उड़ीसा	84	318	95	312	114	313
पश्चिम बंगाल	384	803	418	781	455	766
झारखंड	53	198	81	252	80	214
सिक्किम	4	9	6	15	7	14
अण्डमान व निकोबार	1	5	0	6	4	6
पूर्व कुल	**697**	**2009**	**783**	**1976**	**883**	**1949**
क्षेत्र : पश्चिम						
गोवा	34	24	37	22	39	21
गुजरात	445	803	502	771	527	757
मध्य प्रदेश	282	530	316	496	354	483
महाराष्ट्र	1095	1444	1212	1389	1343	1321
छत्तीसगढ़	61	128	69	147	79	145
दादरा व नागर हवेली	2	3	6	3	8	3
दमन एवं दीव	3	3	4	2	4	3
पश्चिम कुल	**1922**	**2934**	**2145**	**2831**	**2355**	**2732**
क्षेत्र : दक्षिण						
आंध्र प्रदेश	587	592	639	552	727	525

1	2	3	4	5	6	7
केरल	313	271	359	237	412	227
तमिलनाडु	720	638	770	584	838	572
कर्नाटक	413	526	461	503	547	482
लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	1
पांडिचेरी	20	14	22	13	25	13
दक्षिण कुल	**2054**	**2041**	**2252**	**1890**	**2549**	**1819**
कुल सार्वजनिक उपक्रम बिक्रियां	**7310**	**10114**	**8143**	**9707**	**9091**	**9403**
कुल निजी कंपनियां बिक्रियां*	**418**	**318**	**208**	**698**	**216**	**804**
कुल योग	**7728**	**10431**	**8351**	**10404**	**9307**	**10207**

*निजी कंपनियों की बिक्री का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

***244. श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का सरकारी क्षेत्र के अपने कुछ उद्यमों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के आलोक में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के पुनरुद्धार तथा पुनर्संरचना की संभावना का पता लगाने तथा इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है। हालांकि, सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित कर रहे उद्यमों का सामान्यतः निजीकरण नहीं किया जाएगा, सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उद्यमों के पुनरुद्धार करने तथा जो उद्यम चिर काल से रुग्ण हैं, उन्हें, कामगारों के सभी न्यायसंगत बकायों का भुगतान करने के बाद बंद करने या बेचने पर विचार किया जाना है। सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव करती है जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना तथा पुनरुद्धार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा अंतिम अनुमोदन से पहले सरकार को सुझाव देगा।

[हिन्दी]

समुद्री सीमा पर पाकिस्तान और चीन से खतरा

***246. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समुद्री सीमा पर पाकिस्तान और चीन का खतरा बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अन्य देशों की तरह, पाकिस्तान और चीन भी नौसेनाओं सहित अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाते रहते हैं। सरकार परिवेश पर निरंतर नजर रखती है तथा रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करती है।

[अनुवाद]

गैस उत्पादक और वितरण इकाइयों को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ना

*247. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना सभी गैस उत्पादक और वितरण इकाइयों को एक नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी लागत आएगी और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जहां राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के लिए वर्तमान में सरकार की कोई योजना नहीं है वहीं सरकार गैस पाइपलाइनों में निवेश को प्रोत्साहन देने और क्षेत्रों, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच अंतर्संपर्क उपलब्ध कराने साथ ही, एक समुचित विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के उद्देश्य से गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास के लिए एक नीति तैयार करने में संलग्न है।

'एयरो स्पेस कमांड' का विकास

*248. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतरिक्ष में देश की परिसंपत्तियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना में 'एयरो स्पेस कमांड' का विकास करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कमांड कब तक स्थापित कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा एयरो स्पेस कमान स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण ग्रामीणों को हो रही कठिनाइयां

*249. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हमारे देश के ज्यादातर गांवों में रहने वाले निर्धन व्यक्ति मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं और मिट्टी के तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण इन लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या निर्धन ग्रामीण अपेक्षित मात्रा में मिट्टी के तेल की खरीद करने में समर्थ नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्धन ग्रामीणों के लिए मिट्टी के तेल के मूल्य को स्थिर रखने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) ने 1 मार्च, 2002 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के बिक्री मूल्य में 16 जून, 2004 को भी वृद्धि नहीं की गई थी, जब अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी। रियायती मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है जो इसके बदले गांवों और शहरी क्षेत्रों में पात्र उपभोक्ताओं को यह उत्पाद पहुंचाने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं करते हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल हेतु राजसहायता की समान दर प्रदान करती रही है और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 1 मार्च, 2002 से अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं पर अंतरित न करते हुए इस उत्पाद पर राजसहायता देने का भार वहन किया है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

*250. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक रुग्णता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयों को रुग्ण और घाटे में चलता पाया गया है और कौन–कौन सी इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के गत तीन वर्षों से घाटे में चलने के बावजूद भी उन्हें अभी तक रुग्ण घोषित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक ऐसी इकाइयों को कितना घाटा हुआ है;

(च) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के कल्याण हेतु इन रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (छ) हर वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 31.3.2004 तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 67 रुग्ण औद्योगिक उद्यमों को पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत किया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की संख्या बढ़कर 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 68 तथा 30.4.2004 की स्थिति के अनुसार 70 हो गई थी।

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की रुग्णता के कारण उद्यम विशेष हैं तथा इनमें पुरानी/अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, प्राचीन प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग, संसाधन संकट, उच्च ब्याज भार, वित्तीय संस्थानों से अपर्याप्त ऋण, भारी प्रतिस्पर्धा, कमजोर विपणन रणनीति तथा कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या इत्यादि शामिल हैं।

लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002–03 के अनुसार 31.3.2003 तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 86 उद्यमों ने नकारात्मक निवल परिसंपत्तियां दर्शाई हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान इन 86 उद्यमों में से 78 उद्यमों ने घाटा उठाया था तथा 8 उद्यमों ने लाभ अर्जित किया था।

विगत 3 वर्षों (2000–01 से 2003–04) के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 9 रुग्ण औद्योगिक उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया है :

1. भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (2001) (भारी उद्योग विभाग)
2. भारत कोकिंग कोल लि. (2001) (कोयला मंत्रालय)
3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (2002) (कोयला मंत्रालय)
4. बीको लॉरी लि. (1992 और 2002) (पेट्रोलियम मंत्रालय)
5. हिन्दुस्तान केबल्स लि. (2002) (भारी उद्योग विभाग)
6. एंड्रयु यूले एंड कंपनी लि. (2003) (भारी उद्योग विभाग)
7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि. (2002/2003) (इस्पात मंत्रालय)
8. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. (2004) (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
9. नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि. (2004) (वस्त्र मंत्रालय)

किसी उद्यम की रुग्णता का निर्धारण करने के लिए घाटा उठाना ही एकमात्र मापदंड नहीं है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 (विशेष प्रावधान) में दी गई परिभाषा के अनुसार रुग्ण कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है, जो कम से कम 5 वर्षों से पंजीकृत हो तथा जिसका संचयी घाटा उसकी निवल परिसंपत्तियों के बराबर अथवा उससे अधिक हो। विगत 3 वर्षों (2000–01 से 2002–03) के दौरान लगातार घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 80 उद्यमों में से 45 उद्यम रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत किए गए थे तथा शेष 35 उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले इन 35 उद्यमों के घाटे का उद्यमवार विवरण संलग्न है।

सरकार एक सशक्त व प्रभावशाली सरकारी क्षेत्र के प्रति वचनबद्ध है। नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन किया जाए तथा संभावित रूप

से सक्षम रुग्ण कंपनियों का पुनरुद्धार किया जाए। लंबे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा उचित देयताएं तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर चुकने के पश्चात् उनको बेचा जाए अथवा बंद कर दिया जाए।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा उद्यमों के प्रबंधनों द्वारा समय–समय पर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों का पुनरुद्धार तथा पुनर्स्थापन करने के लिए उद्यम विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उद्यमों में वित्तीय व व्यापार पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, नए सिरे से राशि लगाना, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, क्रय अधिमानता, बेहतर विपणन रणनीतियां तथा लागत नियंत्रण उपाय इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान घाटा उठाने वाले उद्यम, जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को नहीं सौंपे गए हैं

(करोड़ रुपए)

निवल घाटा (–)

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उपक्रम का नाम	2002–03	2001–02	2000–01
1	2	3	4	5
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय			
1.	एयरलाइन एलाइड सर्विसिज लि.	–81.29	–56.97	–71.18
2.	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–35.66	–35.66	–25.08
3.	इंडियन एयरलाइंस लि.	–196.56	–246.75	–159.17
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.	–6.39	–5.04	–2.59
	भारी उद्योग विभाग			
5.	भारत लेदर कारपोरेशन लि.	–3.09	–7.54	–2.42
6.	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	–6.31	–10.16	–7.95
7.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	–102.17	–70.65	–96.17
8.	एचएमटी वाचेज लि.	–112.92	–106.29	–59.18
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	–14.29	–10.87	–6.83
10.	सांभर साल्ट्स लि.	–2.66	–3.02	–3.27
	वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
11.	सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	–2.8	–4.75	–3.02
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग			
12.	ई टी एंड टी लि.	–17.09	–18.55	–16.93
13.	सेमी–कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.	–18.09	–10.94	–8.97

1	2	3	4	5
	खान मंत्रालय			
14.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	–147.70	–184.04	–105.80
15.	खनिज गवेषण निगम लि.	–17.58	–0.57	–6.06
	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग			
16.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	–43.12	–62.68	–39.06
	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग			
17.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	–11.01	–12.99	–10.80
	इस्पात मंत्रालय			
18.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	–136.35	–142.08	–172.55
19.	मेकॉन लि.	–70.83	–146.06	–51.36
20.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	–304.31	–1706.89	–728.66
	नौवहन मंत्रालय			
21.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	–25.08	–20.47	–30.98
	पर्यटन मंत्रालय			
22.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	–5.31	–86.57	–35.47
23.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.	–0.12	–0.51	–0.57
24.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि.	–0.22	–0.22	–0.25
25.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	–0.05	–0.21	–0.03
26.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	–1.11	–0.98	–0.98
	रेल मंत्रालय			
27.	कॉकण रेलवे कारपोरेशन लि.	–322.98	–369.81	–381.62
	रक्षा उत्पादन विभाग			
28.	मझगांव डॉक लि.	–24.13	–18.62	–18.36
	जल संसाधन मंत्रालय			
29.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	–55.74	–67.93	–60.08
	लघु उद्योग एवं एआरआई मंत्रालय			
30.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	–12.95	–84.12	–52.47

1	2	3	4	5
	वस्त्र मंत्रालय			
31.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन (धारक कंपनी) लि.	–67.27	–69.74	–57.61
32.	ब्रुशवेयर लि.	–0.05	–0.05	–0.05
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग			
33.	उत्तर–पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	–1.82	–1.79	–1.70
	कृषि एवं सहकारिता विभाग			
34.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	–8.14	–5.61	–26.71
	वाणिज्य विभाग			
35.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.	–3.80	–3.80	–3.80
	जोड़	**–1857.99**	**–3572.93**	**–2247.73**

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा अंतरराष्ट्रीय खेलों का विपणन

*251. **श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को वर्ष 2002–2003 के दौरान खेल विपणन एजेंसियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विपणन के कारण 140.88 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2003–2004 के दौरान हुए उक्त घाटे की तुलना में यह घाटा कितना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन जो कि एक लोक सेवा प्रसारक है, लाभ और हानि का लेखा–जोखा नहीं रखता है। प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अनुसार, दूरदर्शन को खेल–कूद एवं क्रीडाओं को पर्याप्त कवरेज उपलब्ध करवानी है जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और खिलाड़ीपन की भावना को प्रोत्साहन मिल सके।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान अर्जित राजस्व और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार से है :

वर्ष	राजस्व	व्यय
2002–2003	155.40	62.77
2003–2004	130.69	67.18

[अनुवाद]

भारतीय नौसेना के बेड़े में पोतों की संख्या

*252. **श्री किन्जरपु येरननायडु** :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के बेड़े में पोतों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय नौसेना को बहुत ही पुराने पोतों के साथ काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो 20 वर्ष से अधिक पुराने कितने पोत हैं;

(ङ) पुराने बेड़े के स्थान पर नया बेड़ा लाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) नौसेना बेड़े में पोतों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना के बेड़े में पोतों की संख्या, नए पोतों को शामिल करने अथवा पुराने पोतों को हटाने के लिए नौसेना के योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, घटती–बढ़ती रहती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) ये ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

पंचायती राज अधिनियम को लागू करना

*253. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज अधिनियम को देश के अनेक राज्यों में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पंचायती राज अधिनियम को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम की एकरूपता और उसका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243बी के अनुसार, प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्तरों पर संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के भाग IX के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 243एम के अनुसार, अनुच्छेद 244 के उपबंध (1) में उल्लिखित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तथा उपबंध (2) में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में भाग IX में कुछ भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों तथा (ख) मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, जहां पर उस समय लागू किसी भी कानून के तहत जिला परिषदें अस्तित्व में हैं, हेतु भाग IX में कुछ भी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (क) पश्चिम बंगाल राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के तहत दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अस्तित्व में है, जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में संविधान का भाग IX लागू नहीं होगा, (ख) संविधान के भाग IX में ऐसे कानूनों के तहत बनाई गई दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों एवं शक्तियों को प्रभावित करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

जहां तक पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों का संबंध है, संसद में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान बनाए गए हैं। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान नामक 9 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों पर लागू हैं। इन राज्यों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसरण में अपने राज्यों के लिए कानून बनाए हैं।

जम्मू–कश्मीर राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शामिल किए गए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के लिए कानून बनाए हैं। अधिनियम के प्रावधान जम्मू–कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने पिछले कई वर्षों से अपने पंचायती राज अधिनियम को लंबित रखा है तथा संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के संबंध में दिल्ली में अब पंचायतों को फिर से सक्रिय बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। झारखंड तथा पांडिचेरी के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के पश्चात् पंचायत चुनाव करा लिए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29–30 जून, 2004 को नई दिल्ली में 'पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन तथा ग्रामीण समृद्धि' के संबंध में मुख्यमंत्रियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधान मंत्री जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में, पंचायती राज मंत्रालय ने एजेंडा में संविधान के भाग IX तथा अनुच्छेद 243 जैड डी के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित शेष मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों पर पंचायती राज

मंत्रियों के साथ होने वाले सात गोल मेज सम्मेलनों में चर्चा की जानी है जैसा कि नीचे वर्णित है :

गोल मेज सम्मेलन-I

शनिवार–रविवार, 24–25 जुलाई : कोलकाता : 'पंचायती राज : प्रभावी अंतरण', कार्य, कर्मी और निधियों के साथ–साथ ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण।

गोल मेज सम्मेलन-II

शनिवार–रविवार, 28–29 अगस्त : बंगलौर : 'पंचायती राज : योजना और कार्यान्वयन तथा ग्रामीण व्यापार केंद्र', समानांतर निकायों के विषय सहित।

गोल मेज सम्मेलन-III

बुधवार–गुरुवार, 22–23 सितंबर : रायपुर 'पंचायती राज में आरक्षण', जिसमें अनुसूचित जनजाति (पैसा के कार्यान्वयन सहित), अनुसूचित जाति और महिलाएं शामिल हैं।

गोल मेंज सम्मेलन-IV

शनिवार–रविवार, 2–3 अक्तूबर : चंडीगढ़ : 'संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज और पंचायती राज न्याय प्रक्रिया'

गोल मेज सम्मेलन-V

बुधवार–गुरुवार, 27–28 अक्तूबर : उत्तरांचल (स्थान निर्धारित किया जाना है) : 'पंचायतों की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट' (अंतरण अनुसूची की तैयारी सहित)

गोल मेज सम्मेलन-VI

शनिवार–रविवार, 27–28 नवंबर : गुवाहाटी : 'पंचायती राज चुनाव और लेखा परीक्षा'।

गोल मेज सम्मेलन-VII

शनिवार–रविवार, 11–12 दिसंबर : पुणे : 'पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण'।

[अनुवाद]

रेल आरक्षण हेतु निजी एजेंसियां

***254. श्री काशीराम राणा :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल आरक्षण करने हेतु कतिपय निजी एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एजेंसियां खोलने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) रेलवे द्वारा प्राधिकृत की गई एजेंसियों के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अनधिकृत निजी एजेंसियां भी चल रही हैं और रेल आरक्षण कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) रेलों द्वारा भारत में लगभग कुल 882 रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट्स (आरटीएसए) और रेल टूरिस्ट एजेंट (आरटीए) नियुक्त किए गए हैं। इन एजेंटों की नियुक्ति के लिए मानदंड 'ऑथराइजेशन ऑफ रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट रूल्स, 1985' और 'रेल टूरिस्ट एजेंट रूल्स, 1980' तथा उनमें किए गए संशोधनों सहित एवं रेल मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं।

(ग) रेलों के प्राधिकृत रेल एजेंटों के संबंध में सूचना अधिकांशतः जोनल रेलों की समय सारणियों में दी जाती है।

(घ) से (च) टिकटों के अवैध धंधे में शामिल अनधिकृत व्यक्तियों के कुछ मामले सामने आते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) अवैध टिकटों के धंधे में शामिल अनधिकृत व्यक्तियों को पकड़ने के लिए समय–समय पर रेल कर्मचारियों द्वारा पुलिस के सहयोग से जांच की जाती है और कानून के संगत उपबंधों के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

(ii) भीडभाड़ वाली अवधियों के दौरान महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है।

(iii) प्रणाली में बाधाओं की वजह से अनियमित गतिविधियां और अधिक बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली व्यावहारिक रूप से सुचारु होनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आरक्षण नेटवर्क का विस्तार किया गया है। यात्रियों के लिए आधुनिक कंप्यूटरीकृत प्रणाली में इंटरनेट बुकिंग शुरू की गई है और मोबाइल फोन तथा ई–टिकटिंग के माध्यम से आरक्षण करने जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।

प्रसार भारती में निधियों की कमी

*255. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अपने विस्तार एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु निधियों की कमी से जूझ रहा है जैसा कि 25 जून, 2004 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन का राजस्व अर्जन फार्मूला बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा इसके विस्तार हेतु कोई निधियां उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और निधियों को जुटाना सुनिश्चित करने हेतु कौन–सी योजनाएं तत्काल तैयार की जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती अपने विस्तार और अन्य कार्यकलापों के कारण निधियों के अभाव का सामना नहीं कर रही है। विस्तार और अन्य कार्यकलापों के लिए प्रसार भारती की वार्षिक योजना 2004–05 के लिए 895.10 करोड़ रुपये का परिव्यय संस्वीकृत किया गया है जिसमें से 475.00 करोड़ रुपये का अंशदान प्रसार भारती के अपने वाणिज्यिक राजस्व से दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, प्रसार भारती इस पर अधिरोपित विभिन्न करों और उप–करों के भुगतान के कारण अतिरिक्त दायित्वों की वजह से वित्तीय भार का सामना कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन का राजस्व फार्मूला बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है। वर्ष 2001–2002 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व 615.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2002–2003 के दौरान 553.81 करोड़ रुपये और वर्ष 2003–2004 के दौरान 530.23 करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष 2004–2005 की पहली तिमाही में दूरदर्शन ने गत वर्ष की पहली तिमाही में 47.92 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 92.88 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। इस मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रसार भारती द्वारा वर्ष–दर–वर्ष अपने राजस्व अर्जन में वृद्धि करने, संसाधनों को जुटाने के लिए अपने तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता–अनुदान पर निर्भरता को उत्तरोत्तर घटाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का उत्थान

*256. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जनगणना का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार देश में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और गत दो पंचवर्षीय योजनावधियों में प्रत्येक की तुलना में यह संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो किन–किन राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने का काम अभी चल रहा है;

(घ) सरकार द्वारा इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई सूची में विशेष रूप से उड़ीसा के मामले में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में विसंगति है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उड़ीसा के लिए एक उपयुक्त और स्वीकार्य सूची कब तक तैयार की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (छ) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा कराए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) लोगों की जनगणना में सहायता करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों का पता लगाया जा सके जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जून, 2003 तक बी. पी.एल. जनगणना, 2002 पूरा करने की सलाह दी गई थी ताकि दसवीं योजना के दौरान सहायता के लिए बी.पी.एल. परिवारों का पता लगाया जा सके। तथापि, 2001 की पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) रिट् पेटिशन संख्या 196 में 5.5.2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक वे बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप न दें। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की सलाह पर राज्य सरकारों से एक बार फिर बी.पी.एल. जनगणना (2002) के बचे हुए कार्यों को पूरा करने और तत्काल बी.पी.एल. सूचियों को तैयार करने के लिए कहा गया था, तथापि दिनांक 5.5.2003 के आदेश में संशोधन के लिए लंबित आवेदन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से जब तक उचित आदेश प्राप्त नहीं होते, तब तक इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाए।

बी.पी.एल. जनगणना, 1992 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50989917 (कुल ग्रामीण परिवारों का 52.49%) का पता लगाया गया था जबकि बी.पी.एल. जनगणना 1997 में देश में पता लगाए गए ऐसे परिवारों की संख्या 55570998 थी। (कुल ग्रामीण परिवारों का 41.05%)

ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें मजदूरी रोजगार स्व–रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता आदि शामिल हैं। ग्रामीण गरीबों को रोजगार मुहैया कराने के अलावा इन कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का सृजन भी किया जाता है।

जबकि योजना आयेग ग्रामीण गरीबों की संख्या एवं अनुपात का आकलन करता है, बी.पी.एल. जनगणना ग्रामीण गरीब परिवारों का पता लगाने के लिए की जाती है।

फिल्म उद्योग

*257. **श्री राज बब्बर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग को उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को बैंकों और अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त उद्योग को पर्याप्त राहत पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कद मउठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फिल्म उद्योग को संस्थागत वित्त के अत्यधिक प्रवाह को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.10.2000 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अंतर्गत 'फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग' को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (आईडीबीआई अधिनियम) के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदित क्रियाकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फिल्म निर्माण वित्त पोषण के लिए दिशा–निर्देश तैयार कर लिए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फिल्म निर्माण वित्त पोषण के लिए स्कीम/दिशा–निर्देशों के अनुसार ऋण दिए जाते हैं। इन कदमों ने फिल्म निर्माण में संस्थागत और बैंक वित्त के प्रवाह को सरल बना दिया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, सरकार ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति भी दी है। इसके अतिरिक्त, भारत के अन्दर मनोरंजन क्षेत्र में अभिग्रही निवेश पद्धति लाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी के प्रवाह को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यनीति सुझाने हेतु एक समिति गठित कर दी गई है। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी, अन्य के साथ–साथ, अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों का वित्त पोषण, निर्माण और सह–निर्माण करता है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम

*258. **श्री एन. एन. कृष्णदास** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–2004 और 2004–2005 के वर्षों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए आवंटित खाद्यान्न की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने हेतु राज्यों के आग्रह के अनुसार उन्हें कोई अतिरिक्त कोटा जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी कोई दिशा–निर्देश है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कार्यान्वित करने में पंचायती राज प्रणाली की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के हिस्से के रूप में न्यूनतम 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का राज्य–वार आवंटन क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) जी, हां। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार योजना के अंतर्गत आवंटित संसाधनों का 5 प्रतिशत आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसी तरह, एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत राज्यों को, आवश्यकता पड़ने पर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के तहत सुरक्षित 5 प्रतिशत अतिरिक्त संसाधनों और वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान विशेष घटक के तहत आपदा प्रभावित राज्यों को रिलीज किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण–III और IV में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) एस.जी.आर.वाई. की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण–V में दी गई हैं।

(च) एस.जी.आर.वाई. को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला, प्रखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत कार्य, प्रत्येक पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष स्वतंत्र रूप से तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार शुरू किए जाते हैं। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला पंचायत की, प्रखंड स्तर पर मध्यस्तरीय पंचायत की और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की होती है।

विवरण-I

वर्ष 2003–04 के दौरान एस.जी.आर.आई. के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन और प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	
		आवंटिन	प्राधिकरण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	237497	258617
2.	अरुणाचल प्रदेश	13853	5196
3.	असम	359679	371484
4.	बिहार	454594	377859
5.	छत्तीसगढ़	116184	208689
6.	गोवा	1982	129
7.	गुजरात	96725	156512
8.	हरियाणा	53689	60752
9.	हिमाचल प्रदेश	22608	26859
10.	जम्मू व कश्मीर	26965	28480
11.	झारखंड	310741	283853
12.	कर्नाटक	176418	346261
13.	केरल	79164	94235

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	273357	385152
15.	महाराष्ट्र	350437	363638
16.	मणिपुर	24129	18883
17.	मेघालय	27040	26338
18.	मिजोरम	6257	9189
19.	नागालैंड	18548	17253
20.	उड़ीसा	267209	277998
21.	पंजाब	43341	50266
22.	राजस्थान	134038	224972
23.	सिक्किम	6931	8534
24.	तमिलनाडु	207288	244627
25.	त्रिपुरा	43573	50210
26.	उत्तरांचल	53302	57984
27.	उत्तर प्रदेश	791453	776170
28.	पश्चिम बंगाल	296957	262879
29.	अंड. व नि. द्वीपसमूह	1753	1315
30.	दादरा व नागर हवेली	1370	555
31.	दमन व दीव	378	0
32.	लक्षद्वीप	602	421
33.	पांडिचेरी	1938	1591
	अखिल भारत	4500000	4996901

विवरण-II

वर्ष 2004–05 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन और प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	261244	195933
2.	अरुणाचल प्रदेश	13870	0
3.	असम	360024	270019
4.	बिहार	517348	383629
5.	छत्तीसगढ़	145805	109354
6.	गोवा	3746	1789
7.	गुजरात	114380	85786
8.	हरियाणा	60257	45194
9.	हिमाचल प्रदेश	25377	16788
10.	जम्मू व कश्मीर	29821	19875
11.	झारखंड	350854	263141
12.	कर्नाटक	195092	146323
13.	केरल	87538	65656
14.	मध्य प्रदेश	314873	236155
15.	महाराष्ट्र	385654	278307
16.	मणिपुर	24164	4452
17.	मेघालय	27070	6446
18.	मिजोरम	6264	4699
19.	नागालैंड	18568	7232
20.	उड़ीसा	295504	221630
21.	पंजाब	67022	50267
22.	राजस्थान	148141	111108
23.	सिक्किम	6935	5201
24.	तमिलनाडु	228442	171332
25.	त्रिपुरा	43632	32724
26.	उत्तरांचल	58313	43735
27.	उत्तर प्रदेश	873089	654820

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	328394	218816
29.	अंड. व नि. द्वीपसमूह	2457	0
30.	दांदरा व नागर हवेली	1618	0
31.	दमन व दीव	784	0
32.	लक्षद्वीप	1229	0
33.	पांडिचेरी	2491	0
	कुल	5000000	3650411

विवरण-III

वर्ष 2003–04 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत आपदा प्रभावित राज्यों को रिलीज किए गए अतिरिक्त संसाधन

क्र.सं.	राज्य	निधियां (रु. लाख में)	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	408.50	3376
2.	असम	1400.00	11564
3.	गुजरात	0.00	3339
4.	कर्नाटक	2500.00	21950
5.	केरल	1400.00	12964
6.	महाराष्ट्र	1100.00	11752
7.	पंजाब	0.00	476
8.	तमिलनाडु	2800.00	23128
	कुल	9608.50	88549

विवरण-IV

एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत आपदा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न

क्र.सं.	राज्य	2003–04	2004–05
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	24800	0
2.	आंध्र प्रदेश	1820000	182000
3.	असम	50000	0
4.	छत्तीसगढ़	238000	0
5.	गुजरात	158000	0
6.	कर्नाटक	679750	239620
7.	केरल	61000	0
8.	मध्य प्रदेश	477760	0
9.	महाराष्ट्र	515800.00	300000.00
10.	उड़ीसा	522000	0
11.	राजस्थान	1357630	14000
12.	तमिलनाडु	679000	0
	कुल	6583740	735620

विवरण-V

एस.जी.आर.वाई. की मुख्य विशेषताएं

- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 10,000 करोड़ रु. के कुल परिकल्पित परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रतिवर्ष 50 लाख टन खाद्यान्न (किफायती मूल्य पर) उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- मजदूरी के नकद घटक और सामग्री लागत को पूरा करने के लिए 5000 करोड़ रु. रखे गए हैं।
- कार्यक्रम के नकद घटक की लागत को केंद्र और राज्य के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है।
- खाद्यान्नों के लिए भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को किया जाता है।
- एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत रोजगार चाहने वाले प्रत्येक श्रमिक को मजदूरी के हिस्से के रूप में प्रति श्रमदिवस

न्यूनतम 5 किलोग्राम खाद्यान्न (वस्तु के रूप में) दिया जाता है।

- शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है ताकि उन्हें अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दी जा सके।
- राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन खाद्यान्नों (मजदूरी के हिस्से के रूप में दिए गए) की लागत की गणना या तो बी.पी.एल. दरों पर या ए.पी.एल. दरों पर अथवा इन दोनों के बीच किसी भी दर पर करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कार्य शुरू करती हैं।
- निधियों और खाद्यान्नों का 5 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न भीषण अभाव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है।
- एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूखा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं से निबटने की आवश्यकताओं के आधार पर खाद्यान्न मुफ्त रिलीज किए जाते हैं। यह आवंटन गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

जीवनक्षम ग्राम समूह का विकास

***259. श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से यह आग्रह किया है कि वह गैर सरकारी संगठनों और नियमित क्षेत्र का भागीदार बने ताकि वे बड़े पैमाने पर व्यवहार्य ग्राम समूहों का विकास कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने भी वर्ष 2004–2005 के लिए ग्रामीण विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) समूह विकास के सिद्धांत पर विचार–विमर्श करने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ कुछ बैठकें हुई हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), जो मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी है, को वर्ष 2004–05 के लिए 'कपार्ट को सहायता' शीर्ष के अंतर्गत 80.00 करोड़ रु. आवंटित किए हैं, जिनका उपयोग देश में पात्र गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है और गैर–सरकारी संगठनों को परियोजना–दर–परियोजना आधार पर निधियां मंजूर की जाती हैं।

(च) परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इस स्थिति में इन परियोजनाओं की उपलब्धि का आकलन करना मुश्किल है।

विज्ञापनों में महिलाएं

***260. श्रीमती पी. सतीदेवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो रहे उन विभिन्न विज्ञापनों से अवगत है जिनमें महिलाओं को अपमानजनक मुद्रा में दिखाया जाता है;

(ख) क्या ऐसे विज्ञापनों के स्तर के लिए कोई मानदंड/नियम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विज्ञापनदाताओं द्वारा इन मानदंडों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने की निगरानी हेतु कोई एजेंसी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का पालन करते हैं जो अन्य के साथ–साथ ऐसे विज्ञापनों को निषिद्ध करती है जिनमें महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत की गई है।

टेलीविजन चैनलों पर केबल नेटवर्क के माध्यम से जब विज्ञापनों को प्रसारित/पुनःप्रसारित किया जाता है तो उनको केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है जिनमें अन्य के साथ–साथ केबल प्रसारण में ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण निषिद्ध है जो कि नैतिकता व शालीनता के विरुद्ध हों, महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत करते हों तथा जिनकी विषय–वस्तु अश्लील और अभद्र हो।

इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इस संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत एक अंतर–मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति द्वारा संहिता के किसी भी उल्लंघन पर संज्ञान स्वप्रेरणा से अथवा विशिष्ट शिकायतों के प्राप्त होने पर लिया जाता है। समिति की सिफारिशों पर टी.वी. चैनलों को विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण न करने के निदेश दिए जाते हैं। विगत में, ऐसे कुछ विज्ञापनों को प्रसारित न करने के निदेश दिए गए हैं जिन्हें विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते पाया गया था।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की अपनी नीति के अनुसरण में इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) के अंतर्गत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने तथा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के बीच स्व–विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के दोहरे उद्देश्य से की गई है।

पाकिस्तान में भारतीय चैनल

*261. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जनसंपर्क को बढावा देने के प्रयास के रूप में इस्लामाबाद से यह आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान में भारतीय चैनल देखने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दोनों देशों के लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा;

(ग) क्या भारत ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान सरकार के इस कदम से विश्वास बहाल होगा और इससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश पाकिस्तान में भारतीय चैनल शुरू करने की अनुमति देने के लिए किस हद तक सहमत हो गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सरकार यह मानती है कि मीडिया के व्यक्तियों और मीडिया के कार्यक्रम के अधिक निर्बाध आदान–प्रदान से भारत–पाकिस्तान संबंधों में बेहतर वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। यह मुद्दा पाकिस्तान के साथ संयुक्त संवाद की कार्यसूची की मद 'विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदान को बढ़ावा' पर विचार–विमर्श के मुद्दों में से एक होगा। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन खेलकूद की घटनाओं की कवरेज सहित अपने समाचार और अन्य कार्यक्रमों के जरिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करता है जो विश्वास पैदा करने वाले उपायों के रूप में कार्य करते हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक हैं। तथापि, भारतीय टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान द्वारा दिसंबर, 2001 में लगाया गया प्रतिबंध जारी है।

[हिन्दी]

रेक प्वाइंट्स

2071. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उर्वरकों के उचित परिवहन हेतु रेक प्वाइंट्स की संख्या में वृद्धि करने तथा श्रेणियों में बदलाव के लिए प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य की मांग के अनुसार रेक प्वाइंट्स आवंटित करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार से रेक प्वाइंटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। बहरहाल, उर्वरकों के परिवहन हेतु श्रेणियों को बदलने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किसी स्टेशन विशेष को रेक प्वाइंट के रूप में विकसित और अधिसूचित करने का निर्णय यातयात की क्षमता और परिचालनिक व्यावहार्यता के अनुसार लिया जाता है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत चट्टानी गुफा और कंक्रीट के टैंक

2072. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के एक उपाय के रूप में 5 मिलियन टन कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत चट्टानी गुफा और कंक्रीट के टैंकों के निर्माण और उसके रख–रखाव का प्रस्ताव किया था;

(ख) इन टैंकों पर कितनी लागत आएगी और ये कहां–कहां बनेंगे; और

(ग) कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव 5 मिलियन मीट्रिक टन का भंडारण करने के लिए कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडारण का निर्माण करने का है। प्रस्तावित स्थान विशाखापट्टनम, मंगलौर और मंगलौर के निकट एक अन्य स्थान हैं। इस परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत लगभग 1650 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त क्रूड की लागत लगभग 5000 करोड़ रुपये होगी। परियोजना आरंभिक चरण में है और प्रस्तावित भंडारण अगले चार वर्ष में तैयार होने की संभावना है।

[हिन्दी]

ऋण सहायता संबंधी योजनाएं

2073. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत परिचालित वित्तीय ऋण सहायता संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके चालू किए जाने की तिथि क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजनाओं के अंतर्गत योजना–वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी राशि आवंटित और जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना–वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई/उपयोग की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए अनुदान वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कोई ऋण सहायता योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में 5 शीर्ष वित्त एवं विकास निगम हैं। ये निगम माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करने हेतु अपने संबद्ध राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को ऋण प्रदान करते हैं।

(ख) निधियां योजनावार आवंटित नहीं की जाती हैं। निगमों द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शीर्ष निगमों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) वित्त मंत्रालय शीर्ष निगमों को निधियां सीधे निर्मुक्त नहीं करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने बजटीय आवंटन में से इन निगमों को इक्विटी प्रदान करता है। निर्मुक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

निगम	निर्मुक्त इक्विटी अंश (करोड़ रुपये)			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	25.00	15.10	10.10	0.00
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	25.00	20.00	10.00	0.00
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0.00	12.00	3.37	0.00
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	15.26	24.00	17.16	0.00
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	0.00	10.00	0.00	0.00

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत संवितरित निधियां				महिला समृद्धि योजना के तहत संवितरित निधियां		सावधि ऋण स्कीम के तहत संवितरित निधियां			
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2003–2004	2004–2005	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	600.00	1111.00	0.00	0.00	1321.00	0.00	1717.05	2798.32	2166.39	297.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	असम	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.91	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	3.75	0.00	4.73	0.00	2.00	0.00	90.07	28.47	32.62	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.10	597.00	252.78	0.00
8.	दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.96	229.63	613.10	0.00
10.	गोवा	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	20.56	15.26	81.8	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	गुजरात	355.00	225.00	404.10	0.00	150.00	0.00	297.42	455.85	691.23	0.00
12.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.04	261.38	93.05	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.27	304.57	203.38	16.59
14.	जम्मू–कश्मीर	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00
15.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.20	303.35	283.95	0.00
16.	कर्नाटक	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.19	933.35	414.75	600.00
17.	केरल	20.00	100.00	123.88	0.00	0.00	0.00	26.05	180.27	265.68	0.00
18.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	50.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	1267.36	1468.95	402.29	0.00
20.	महाराष्ट्र	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1153.91	1333.55	1333.08	519.00
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.05	0.00	0.00
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	मिजोरम	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उड़ीसा	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.55	65.71	73.98	0.00
26.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.81	0.00	24.02	0.00
27.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	99.77	32.45	0.00
28.	राजस्थान	22.70	6.80	18.45	1.35	8.64	1.80	248.43	305.60	195.95	11.52
29.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97	15.80	133.70	0.00
30.	तमिलनाडु	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.79	276.14	0.00	0.00
31.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.16	301.15	74.80	0.00
32.	उत्तर प्रदेश	494.55	540.00	815.00	0.00	0.00	0.00	2021.90	2007.34	0.00	0.00
33.	उत्तरांचल	17.45	26.00	0.00	19.50	0.00	0.00	230.50	467.56	0.00	0.00
34.	पश्चिम बंगाल	75.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1933.90	599.80	763.41	0.00
	कुल	2418.97	2874.30	1616.66	20.85	1631.64	1.80	14960.68	13132.87	8058.79	1444.11

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत संवितरित निधियां				सावधि ऋण स्कीम के तहत संवितरित निधियां			
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	1471.58	497.00	0.00	0.00	139.00	538.30	0.00
2.	असम	192.50	0.00	0.00	0.00	268.37	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	1.00	2.00	0.00	0.00	20.30	12.65	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	100.00	0.00	130.00	0.00	180.60	62.50	87.59	112.50
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	452.63	0.00	196.13	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	50.00	0.00	37.07	113.53	40.88	5.00
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	75.00	112.00	0.00	0.00	175.87	149.80	50.00	0.00
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	102.50	0.00	222.00	168.75	180.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	126.31	35.05	434.55	127.00
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	0.00
19.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	30.98	28.27	0.00	0.00
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	0.00	6.00
21.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	133.16	335.29	247.03	8.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.85	200.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	142.49	0.00	0.00	0.00	34.36	1154.20	553.78	210.00
25.	उत्तरांचल	0.00	0.00	31.00	0.00	76.69	43.56	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	14.00	0.00	0.00	0.00	185.80	0.00	31.11	0.00
	कुल	524.99	1585.58	810.50	0.00	2479.62	2419.33	2587.76	818.50

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत संवितरित निधियां				सावधि ऋण स्कीम के तहत संवितरित निधियां			
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	880.00	600.00	650.00	0.00	1165.00	1150.00	500.00	0.00
2.	असम	50.00	0.00	43.10	0.00	109.53	327.44	52.50	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	175.00	7.50	60.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50	25.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	112.37	122.57	46.67	9.92
8.	गुजरात	40.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2210.42	350.00	0.00
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	333.51	199.75	182.85	54.87
11.	जम्मू–कश्मीर	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.30	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	63.15	23.85	1276.25	1200.98	1627.62	391.40
14.	केरल	103.90	46.70	275.00	0.00	1928.71	3066.71	2792.50	267.17
15.	मध्य प्रदेश	0.00	13.75	13.75	0.00	515.22	261.75	478.75	0.00
16.	महाराष्ट्र	24.50	241.00	37.50	208.00	774.14	928.65	2646.50	767.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	156.00	5.00	0.00	0.00	490.00	0.00	50.00	0.00
19.	पांडिचेरी	0.00	4.00	0.00	0.00	71.97	46.00	50.00	25.00
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.00	243.40
21.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	199.75	114.68	0.00
22.	सिक्किम	0.00	0.00	5.00	0.00	154.14	60.00	120.00	0.00
23.	तमिलनाडु	0.00	75.00	700.00	125.00	212.04	250.00	375.00	75.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	100.00	25.00	0.00	1144.00	600.00	525.00	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	15.00	62.50	0.00	677.25	362.00	687.50	0.00
	कुल	1259.4	1110.45	1884.00	356.85	10676.13	11462.52	11225.37	1833.76

राष्ट्रीय अल्पसख्यक विकास एवं वित्त निगम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत संवितरित निधियां				सावधि ऋण स्कीम के तहत संवितरित निधियां			
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	156.10	31.65	74.90	6.30	150.00	100.00	565.00	0.00
2.	असम	0.00	22.50	29.25	4.50	100.00	0.00	50.00	0.00
3.	बिहार	1.68	5.65	20.95	0.00	326.00	196.60	500.00	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	12.71	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	0.00
7.	गुजरात	70.50	0.50	0.00	0.00	2025.00	700.00	600.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	33.00	50.00	50.00
9.	हरियाणा	12.52	0.00	9.00	0.00	300.00	156.75	150.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	1.02	250.00	117.60	200.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	39.40	9.00	4.50	0.00	1225.00	1225.00	1325.00	0.00
13.	कर्नाटक	2.70	39.67	100.00	0.00	300.00	400.00	600.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	36.00	63.54	27.90	0.00	600.00	200.00	500.00	0.00
15.	मणिपुर	1.34	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	50.00	30.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	582.00	50.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	168.75	310.00	0.00
19.	उड़ीसा	0.34	4.50	13.05	0.00	150.00	50.00	20.00	0.00
20.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	8.50	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	50.00	50.00	0.00
22.	राजस्थान	10.51	0.43	4.50	9.00	25.00	30.00	50.00	0.00
23.	तमिलनाडु	38.44	29.75	15.33	4.50	0.00	0.00	200.00	50.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	39.05	25.16	23.95	0.00	750.00	1282.00	1178.26	0.00
26.	उत्तरांचल	0.50	4.50	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	68.60	55.29	60.08	3.37	1650.00	1550.00	1700.00	0.00
	कुल	477.68	294.95	433.41	28.69	9206.00	7103.71	8224.47	100.00

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत संवितरित निधियां				सावधि ऋण स्कीम के तहत संवितरित निधियां			
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	24.60	44.61	5.00	0.00	26.57	81.27	0.00
2.	असम	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	3.15	3.26	0.31
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	51.74	0.00
6.	दिल्ली	4.78	1.80	2.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.13	9.09	0.95
8.	गुजरात	4.00	0.00	4.80	0.00	107.35	88.93	2.11	0.00
9.	हरियाणा	5.00	0.00	0.00	0.00	110.40	235.29	184.41	47.89
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	49.49	74.36	18.06
11.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	2.25	15.53	0.00	0.00	103.91	107.86	0.00
13.	केरल	0.00	4.00	0.00	4.16	152.27	198.08	125.61	13.83
14.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.55	1.32	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09	160.33	236.66	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27	845.38	236.20
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	113.62	0.00	120.00
19.	उड़ीसा	0.60	0.00	12.80	2.25	371.60	213.88	171.60	0.00
20.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	52.21	149.28	207.69	0.00
21.	पंजाब	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	278.21	163.75	338.56	0.00
23.	तमिलनाडु	3.50	16.69	2.00	1.00	0.00	20.15	22.09	14.08
24.	त्रिपुरा	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.50	1.24	1.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	11.00	5.00	4.50	0.00	46.05	100.19	82.68	0.00
	कुल	39.38	60.58	89.64	19.90	1244.54	1780.72	2590.05	451.32

मोबाइल कैंटीन वैन चलाना

2074. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के लिए कितनी मोबाइल कैंटीन वैनें चलायी जाएंगी; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) उत्तरांचल के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के लिए चलाई जाने वाली मोबाइल कैंटीन वैनों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। मोबाइल कैंटीन वैन, अपने–अपने क्षेत्रों के एककों/विरचनाओं द्वारा चलाई जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आवश्यकता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

रेल परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रकोष्ठ का गठन

2075. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक परिवहन प्रकोष्ठ का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इंटेग्रेटेड रेल बस ट्रांजिट (आईआरबीटी) प्रणाली लागू करने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत एक परिवहन सेल का सृजन किया गया है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय से पता चला है कि परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित कोरिडॉर लागू करने का प्रस्ताव है :

(i)	शाहदरा–गाजियाबाद	14.93 किमी.
(ii)	साहिबाबाद–शिवाजी ब्रिज	17.36 किमी.
(iii)	त्रिनगर–गुड़गांव	30.53 किमी.

तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 2239 करोड़ रुपये (अप्रैल 2002 के मूल्यों के आधार पर) है जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल है।

बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क

2076. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही रेल संपर्क बना हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच निम्नलिखित पांच रेल संपर्क मौजूद हैं :

(i) गेडे (भारत)–दरसाना (बांग्लादेश)–बड़ी लाइन

(ii) सिंहबाद (भारत)–रोहनपुर (बांग्लादेश)–बड़ी लाइन

(iii) पेत्रापोल (भारत)–बीनापोल (बांग्लादेश)–बड़ी लाइन

(iv) राधिकापुर (भारत)–बीरोल (बांग्लादेश)–मीटर लाइन

(v) महिसासन (भारत)–शाहबाजपुर (बांग्लादेश)–मीटर लाइन

निजी कंपनियों को रसोई गैस पर राजसहायता

2077. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी कंपनियों को रसोई गैस पर राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राजसहायता को कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) राजसहायता प्राप्त एलपीजी के विपणन में निजी क्षेत्र कंपनियों को अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

2078. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ख) तेल कंपनियों को और अधिक लाभप्रद बनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा अर्जित करोपरांत लाभ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तेल कंपनियों द्वारा स्वयं को अधिक लाभदायक बनाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लागत कम करना तथा प्रचालनीय कुशलता में सुधार।

(2) जनशक्ति इष्टतमीकरण तथा पुनर्नियोजन।

(3) गुणवत्ता उन्नयन तथा आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए सुविधाएं स्थापित करना।

(4) खोजे गए क्षेत्रों के विकास तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों में वृद्धि के लिए अन्वेषण प्रयास तेज करना।

(5) उन्नत तेल निकासी/वर्द्धित तेल निकासी योजनाओं के द्वारा उत्पादन में सुधार।

(6) कारगर कर योजना।

विवरण

करोपरान्त लाभ

(रु. करोड़)

	2001–02	2002–03	2003–04
आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन	6197.90	10529.32	8664.43
आयल इंडिया लिमिटेड	515.22	916.73	949.70
गेल (इंडिया) लिमिटेड	1186.00	1639.11	1869.00
इंडियन आयल कारपोरेशन	2884.66	6114.89	7004.82
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार–पोरेशन लि.	787.98	1537.36	1903.94
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	849.83	1250.03	1694.57
बॉमर लॉरी	8.01	16.49	18.58
आईबीपी कंपनी लि.	197.79	87.75	214.66
बीको लॉरी	–10.90	–9.20	–2.96
इंजीनयर्स इंडिया लिमिटेड	24.71	64.16	80.18
कोचि रिफाइनरीज लिमिटेड	68.77	456.02	555.09
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	63.71	302.89	400.05
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	–199.89	178.45	303.74
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	122.98	174.63	214.95
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	–492.27	–411.80	459.42

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

2079. श्री मोहन रावले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अमालपुर–मुर्तीजापुर–यावतमाल छोटी लाइन का बड़ी रेल लाइन में आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अचलपुर–मुर्तजापुर–यावतमाल, पुलगांव–अरवी (225 किमी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव हो पाएगा।

दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता में अनियमितताएं

2080. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुनील खां :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री कार्यक्रमों की स्वीकृति के बारे में 4.12.2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 415 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु श्री एम. एल. मेहता की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है/की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) श्री एम. एल. मेहता की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्रसार भारती को प्राप्त हो गई है।

(ख) प्रसार भारती जो कि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, को कार्यक्रम संबंधी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और सरकार इस संबंध में कोई भूमिका नहीं निभाती है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने रिपोर्ट की जांच कर ली है।

(ग) की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रसार भारती से एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी.

2081. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने एच.पी.टी. और एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. स्थापित किए जाएंगे;

(ख) अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. की प्रसारण सुविधा में स्वचालन की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान 183 नए ट्रांसमीटर (57 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 126 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इनमें से 108 ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन नेटवर्क में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्वचालित पद्धति में पहले ही कार्य कर रहे हैं। 200 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्वचालन संबंधी प्रावधान को दसवीं योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 93 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की स्वचालन संबंधी स्कीमों को पहले ही संस्वीकृत कर दिया गया है तथा ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

उड़ीसा में खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल लाइन का प्रस्ताव

2082. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित खुर्दा रोड–बोलांगीर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण करने में कितनी प्रगति हुई;

(ख) भूमि गंवाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(ग) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और परियोजना पर कितना कार्य शुरू किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और 393 गांवों में से 70 गांवों के कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी तक 32 गांवों में भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के माध्यम से निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अभी तक लगभग 6.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) परियोजना के पहले 36 किमी. के भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इससे आगे का कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रह्ण कार्य पर लगने वाला वास्तविक समय राज्य सरकार और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। 0.00 किमी. से 36.00 किमी. के बीच मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्यों को शुरू किया गया है।

अहमदनगर-मनमाड रेल लाइन का दोहरीकरण

2083. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर–मनमाड (महाराष्ट्र) क्षेत्र की दोहरी लाइन परियोजना लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई बजट आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) दौंद–मनमाड बरास्ता अहमदाबाद के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2001–02 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार इस 238 किमी. लंबी लाइन के दोहरीकरण की लागत –2.94% की प्रतिफल की दर सहित 5.22 करोड़ रुपये आकलित की गई थी। चालू परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रोफार्वड और संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

ग्राहकों को बचाने के लिए कच्चा तेल स्थिरीकरण कोष

2084. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंधन मूल्यों में बार–बार बढ़ोत्तरी होने के कारण ग्राहकों को बचाने के लिए कच्चा तेल स्थिरीकरण कोष का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान घाटा पूरा करने के लिए कम लागत पर उत्पाद बेचकर तेल विपणन कंपनियों को सरकार द्वारा कितने मुआवजे का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की नीति पुनरीक्षणाधीन है।

(ग) पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. राजसहायता प्राप्त उत्पाद हैं। 2002–03 और 2003–04 के दौरान इन उत्पादों के लिए तेल विपणन कंपनियों को जारी की गई सरकारी राजसहायता की कुल राशि क्रमशः 4576.47 करोड़ रुपये और 6351.18 करोड़ रुपये थी।

पेट्रोल शोधन क्षमता में वृद्धि

2085. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–2003 की तुलना में वर्ष 2003–2004 के दौरान पेट्रोलियम शोधन क्षमता बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2004–05 के दौरान पेट्रो–उत्पादों में उछाल आना तय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेट्रो–उत्पादों की खपत और उत्पादन के बीच अंतर भी बढ़ रहा है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात के जरिए कितनी राशि अर्जित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2003–04 के दौरान पेट्रोलियम शोधन क्षमता में 8.3 मिलियन

मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की वृद्धि हुई है जिसमें से 2.3 एमएमटीपीए क्षमता विस्तार तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और शेष निजी रिफाइनरियों से संबंधित है।

(ग) और (घ) अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून, 2004 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत ने पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन, खपत और निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार है :

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रुपये)
2001–02	104343	100432	8285
2002–03	108674	104126	10868
2003–04	117640	108018	16781

डी.डी. भारती पर समय का आवंटन

2086. श्री तथागत सत्पथी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने अन्य चैनलों सहित डी.डी. भारती पर समय के आवंटन के संबंध में हाल ही में आवेदन आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय आवंटन के मामले में सरकार को कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन से दंडात्मक कदम उठाए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। डी.डी. भारती में कार्यक्रमों की कमीशनिंग के लिए पिछली बार वर्ष 2002 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पे-चैनलों पर विज्ञापन

2087. श्री अजीत जोगी :
श्री मनोज कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पे–चैनल विज्ञापन कंपनियों और अपने दर्शकों दोनों से पैसा वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चैनलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 'पे–चैनलों' पर प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विज्ञापन राजस्व संबंधी कानूनों को पुनर्परिभाषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पे–चैनल और फ्री–टु–एयर चैनल दोनों विज्ञापन कंपनियों से पैसे वसूल करते हैं। पे–चैनल बहु सेवा संचालकों/केबल आपरेटरों के जरिए ग्राहकों से भी पैसे वसूल करते हैं।

(ख) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे प्रसारण और केबल सेवाओं हेतु विनियामक के रूप में अधिसूचित किया गया है, को अंतरिम उपायों सहित पे–चैनलों के लिए मानक मानदंड और आवर्तिता विनिर्दिष्ट करने और दरों को संशोधित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से पे–चैनलों के साथ–साथ अन्य चैनलों में विज्ञापनों हेतु अधिकतम समय को विनियमित करने के लिए पैरामीटरों के संबंध में सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों प्रतीक्षित हैं।

बिहार में सैनिक स्कूलों का खोला जाना

2088. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गोपालगंज और नालंदा में सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बिहार के नालंदा और गोपालगंज में सैनिक स्कूल की मंजूरी पिछले वर्ष दे दी गई थी और 12 अक्तूबर, 2003 से इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

यात्री बुकिंग तिथि

2089. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर विभिन्न स्थानों को जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2004 तक वातानुकूलित–I, II और III में यात्री बुकिंग तिथि (पी.बी.डी.) का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यात्री बुकिंग तिथि (पी.बी.डी.) के अनुसार एयरलाइन्सों द्वारा शुरू किए गए सस्ते भाड़े के कारण वातानुकूलित डिब्बों में यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पहली जनवरी, 2003 से 30 जून, 2004 तक दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से प्रारंभ होने वाली देश के विभिन्न गंतव्यों को जाने वाली विभिन्न गाड़ियों के प्रथम वातानुकूल, द्वितीय वातानुकूल और तृतीय श्रेणी के वातानुकूल डिब्बों में जाने वाले यात्रियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

दर्ज यात्रियों की संख्या

अवधि	प्रथम वातानुकूल	द्वितीय वातानुकूल	तृतीय वातानुकूल
जनवरी, 2003 से जून, 2004 तक	1,28,536	6,52,516	19,41,535

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित डिब्बों में रेल यात्रा टिकट निरीक्षकों की अनुपलब्धता

2090. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित डिब्बों में यात्रा टिकट निरीक्षकों का हमेशा उपस्थित रहना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल यात्रा टिकट निरीक्षक सभी डिब्बों या अलग से लगाए जाने वाले डिब्बों में उपलब्ध नहीं रहते हैं और वे सभी एक साथ वातानुकूलित डिब्बों में बैठे रहते हैं तथा यात्रियों को उपलब्ध बर्थ आवंटित करने के लिए बहुत देर बात आते हैं;

(ग) यदि हां, तो बर्थ उपलब्ध रहने के बावजूद, रेल यात्रा टिकट निरीक्षक को सूचित न करने के बहाने से यात्रियों पर उड़न दस्ते द्वारा जुर्माना लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चल टिकट परीक्षकों को निर्धारित मानकों के अनुसार एक से अधिक आरक्षित डिब्बों में उपस्थित रहना पड़ता है तथा निरीक्षण और गाड़ी पर अन्य ड्यूटियों के निष्पादन हेतु उन्हें दूसरे डिब्बों में भी जाना पड़ता है। इससे संभवतः यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि चल टिकट परीक्षक गाड़ी में मौजूद नहीं हैं यद्यपि वे गाड़ी में ही होते हैं। गाड़ियों और डिब्बों में कर्मचारियों की तैनाती की निगरानी पर्यवेक्षक और अधिकारी स्तरों पर की जाती है।

(ग) और (घ) टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा जांच के दौरान आरक्षित डिब्बों में बिना आरक्षण और उपस्थित कर्मचारियों की पूर्व अनुमति के बिना यात्रा करते हुए पकड़े हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, जो व्यक्ति पूर्व अनुमति से आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे होते हैं उनके टिकटों को देय राशि वसूलने के पश्चात् नियमित कर दिया जाता है।

सिक्किम से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र

2091. श्री नकुल दास राई : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया (आरएनआई) से पंजीकृत सिक्किम से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें डीएवीपी से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या सिक्किम से प्रकाशित होने वाले कुछ समाचारपत्रों द्वारा आरएनआई से पंजीकरण कराने संबंधी अनुरोध लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समाचारपत्रों को कब तक पंजीकृत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिनांक 30.6.2004 तक की स्थिति के अनुसार, सिक्किम से प्रकाशित कुल 34 समाचारपत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय में पंजीकृत हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में निम्नलिखित चार समाचारपत्र शामिल हैं :

(i) हेमाली पूरबा संदेश

(ii) अज को सिक्किम

(iii) हमरो प्रजासक्ति

(iv) जन मंच

(ग) और (घ) संलग्न विवरण–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, सिक्किम से प्रकाशित 9 (नौ) समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु मामले संगत दस्तावेज के अभाव में लंबित हैं। प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अंतर्गत औपचारिकताओं को पूरा करने और अपेक्षित दस्तावेज भेजने की सलाह देते हुए संबंधित प्रकाशकों को विसंगति पत्र पहले ही भेज दिए गए हैं।

(ङ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

विवरण-I

दिनांक 30.6.2004 तक सिक्किम से प्रकाशित पंजीकृत समाचारपत्रों की कुल संख्या

भाषा	द्वि/त्रि साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	तिमाही	अन्य	कुल
अंग्रेजी	0	5	1	1	1	1	9
हिन्दी	0	1	0	0	0	0	1
नेपाली	2	18	0	0	0	2	22
द्विभाषी*	0	2	0	0	0	0	2
कुल	2	26	1	1	1	3	34

*शामिल हैं (क) नेपाली गोरखा (ख) अंग्रेजी नेपाली

विवरण-II

दिनांक 30.6.2004 तक सिक्किम के लंबित मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	शीर्षक	भाषा/आवर्तिता	प्रकाशन का स्थान	विसंगति पत्र जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	दि सिक्किमजी	अंग्रेजी/साप्ताहिक	गंगटोक	9.4.2001

1	2	3	4	5
2.	हिमालयन वीकेंड रिव्यू	अंग्रेजी/साप्ताहिक	–वही–	18.4.2001
3.	आज को समाचार	नेपाली/दैनिक	–वही–	20.8.2001
4.	स्नोलाइन	अंग्रेजी/मासिक	–वही–	13.3.2003
5.	सिक्किम परिवेश	नेपाली/साप्ताहिक	–वही–	8.6.2004
6.	सिक्किम राजधानी	नेपाली/साप्ताहिक	–वही–	8.6.2004
7.	आजको युवा शक्ति	नेपाली/साप्ताहिक	–वही–	8.6.2004
8.	जन संवाद	नेपाली/साप्ताहिक	–वही–	8.6.2004
9.	साझा समाचार	नेपाली/साप्ताहिक	–वही–	8.6.2004

एन एफ रेलवे की परियोजनाएं

2092. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत (एन.एफ.) रेलवे में बोगीबील पुल परियोजना, डांगोरी–सैखोवा खंड के साथ–साथ रंगिया–मुरकोंग–सेलक के आमान–परिवर्तन कार्य को पूरा करने हेतु कुल परिव्यय, वार्षिक आवंटन और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) एन.एफ. रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार करने संबंधी योजना और मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे स्टेशनों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एफ. रेलवे के अंतर्गत धेमाजी जिले में सीमेन नदी पर स्थित रेल पुल की तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)

परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	परिव्यय 2004–05 (करोड़ रुपये में)	लक्ष्य
संपर्क लाइनों सहित बोगीबील रेल–और–सड़क पुल (46 किमी.)	1767.36	60.00	2008–09
रंगिया–मुरकोंगसेलक आमान परिवर्तन (510.33 किमी.)	915.70	3.00	निर्धारित नहीं

डोंगरी से आगे कोई रेल लाइन नहीं है।

(ख) रेलवे का यह प्रयास रहता है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सहित प्रत्येक स्टेशन पर उसकी महत्वतता और आमदनी के आधार पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ऊपरी पैदल पुल, प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाना और उनका विस्तार, शेडों का प्रावधान, स्टेशन बिल्डिंगों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, बैठने की व्यवस्था, पेय जल की सुविधा आदि जैसी अनेकों यात्री सुविधाएं बहुत से स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चयनित मॉडल स्टेशन नीचे दिए गए हैं :

अलीपुरद्वार जं., अलुआवारी रोड, कूच विहार, डलकोलहा, धरमनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, घूम, गुवाहाटी, हरीशचंद्रपुर, जलपाईगुड़ी, जोरहट टाउन, कामाख्या, कटिहार, किशनगंज, कोकराझार, लमडिंग, माल बाजार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच विहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू माल जं., न्यू तिनसुकिया, रायगंज, रंगिया जं., सिलचर, सिलीगुड़ी टाउन, श्रीरामपुर।

(ग) और (घ) जी, नहीं। धेमाजी जिले में सिमेन नदी

पर बने रेल पुल में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, वर्ष 1984 में असम सरकार के अनुरोध पर सिलापाथर और तेलम स्टेशनों के बीच रेल पुल सं. 376 पर रोड डेकिंग सुविधा मुहैया कराई गई थीं। 'निक्षेप के आधार पर' रोड डेकिंग के लिए कुछ वार्षिक रख–रखाव संबंधी कार्य किए जाने हैं बशर्ते कि सीमा सड़क संगठन से इस कार्य के लिए आवश्यक निधि प्राप्त हो, जो कि उनसे अभी प्राप्त की जानी है। यह सड़क यातायात के सुचारु आवाजाही के लिए ही आवश्यक है और रेल यातायात से इसका कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

लक्सर और देहरादून के बीच दोहरा रेल मार्ग

2093. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरांचल में लक्सर और देहरादून के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने अथवा कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। हरिद्वार–देहरादून खंड के दोहरीकरण के लिए हाल ही में उत्तरांचल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। एकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण तब हाथ में लिया जाता है जबकि एकल लाइन की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। लक्सर–हरिद्वार–देहरादून खंड पर यातायात अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि इसका दोहरीकरण किया जाए। जब यातायात की मात्रा उस स्तर तक पहुंच जाएगी, तब इस खंड के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

तामलुक-दीघा रेल परियोजना

2094. श्री रूपचंद मुर्मू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामलुक–दीघा रेल परियोजना संबंधी कार्य पूरा होने को है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कार्य समापन की अंतिम अवस्था में है।

(ख) तामलुक से कांथी (566 किमी.) तक का खंड पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। कांथी से दिघा (32 किमी.) खंड को 2004–2005 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

पंजाब में रेल ऊपरी पुलों का निर्माण

2095. सरदार सुखेदव सिंह लिब्रा :
डा. रतन सिंह अजनाला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार पंजाब के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन/सर्वेक्षणाधीन प्रत्येक रेल ऊपरी पुल की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त सभी कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पंजाब राज्य में स्वीकृत निर्माण कार्यों की लागत में भागीदारी का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) से (घ) रेलें पुल का निर्माण करती हैं अर्थात् रेल पथ के ऊपर पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रेलवे ने अनुमोदित योजना के अनुसार अपने हिस्से का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य पूरा करने के साथ–साथ रेलवे अपने हिस्से का कार्य भी पूरा कर देगी।

(हजार रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे की हिस्सेदारी	राज्य की हिस्सेदारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	सानेवाल–अमृतसर सेक्शन पर कि.मी. 442/5–6 पर स्थित समपार सं. ए–59 के स्थान पर सुरानासी के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	1290	1375	फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रूपरेखा का खाका वरिष्ठ इंजीनियर/लोक निर्माण विभाग जालंधर को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य को बंद करने की सलाह दी है क्योंकि यह तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है।
2.	पठानकोट–जम्मू तवी पर समपार सं. सी–50, 52 तथा अमृतसर–पठानकोट सेक्शन पर सी–79 तथा सी–80 को ऊपरी पुल में बदलना	उत्तर	2001–02	309	0	सी–79–कार्य बंद कर दिया गया है। सी–80–बॉक्स पुशिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। विंग वॉल तथा रिटर्न वॉल का कार्य पूरा होने वाला है। सी–50–थ्रेस्ट बैड का काम पूरा होने वाला है। 2 बॉक्स की कास्टिंग पूरी हो चुकी है। सी–52–बॉक्स पुशिंग पूरी हो गई है।
3.	पटियाला–राजपुरा–भटिंडा सेक्शन पर समपार सं. 22–ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2001–02	408	605	संशोधित अनुमान को अप्रैल 2004 में मंजूरी दी गई है। ठेके दिए जा चुके हैं और पायों की कास्टिंग की जांच कर ली गई है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
4.	अंबाला–लुधियाना सेक्शन पर कि.मी. 314/15–17 पर स्थित समपार सं. 145–बी के स्थान पर खन्ना के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	415	633	स्थल का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रूपरेखा का खाका हस्ताक्षर हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है। पहुंच मार्गों का अनुमान हालांकि राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हो चुका है परंतु इसे संशोधित किए जाने की संभावना है। विस्तृत अनुमान को आस्थगित रखा गया है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	खन्ना–अंबाला–लुधियाना सेक्शन पर समपार सं. 156–बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल जो खन्ना–समराला रोड को जोड़ेगा	उत्तर	2001–02	420	745	नींव का कार्य पूरा हो चुका है। रेल लाइन से इतर भाग पर अधिसंरचना का कार्य प्रगति पर है। पहुंचमार्गों का कार्य पूरा हो चुका है।
6.	जालंधर सिटी–सानेवाल–अमृतसर सेक्शन पर· कि.मी. 436/14–15 पर स्थित समपार सं. ए–61 के स्थान पर ऊपरी सड़क रेलवे स्टेशन पुल	उत्तर	2003–04	438	472	रूपरेखा के खाके पर राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और यह कार्य मंडल के अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 2004 में स्वीकृत किए गए हैं।
7.	लुधियाना–फिरोजपुर सेक्शन पर कि.मी. 66/3–4 पर स्थित समपार सं. सी–51/ए के स्थान पर मोगा स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	438	460	रूपरेखा खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान वित्त के विधीक्षाधीन है।
8.	जालंधर–अमृतसर सेक्शन पर कि.मी. 472/3–4 पर समपार सं. ए–44/टी–3 के स्थान पर व्यास स्टेशन के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	450	629	रूपरेखा खाका अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान मार्च, 2004 में स्वीकृत किए गए हैं।
9.	टांडा यार्ड–फिरोजपुर–पठानकोट सेक्शन पर कि.मी. 42.09 पर स्थित समपार सं. सी–64 को ऊपरी सड़क पुल (दो लाइन) में बदलना	उत्तर	2002–03	462	696	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
10.	अंबाला–लुधियाना सेक्शन पर कि.मी. 314/15/17 पर स्थित समपार सं. 155–बी के स्थान पर खन्ना रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	463	1165	रूपरेखा के खाका (आशोधित) पर राज्य सरकार तथा मंडल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। जो 21.5.2004 से सी बी ई के पास अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 2004 में स्वीकृत किए गए हैं।
11.	सुभानपुर–सानेवाल–अमृतसर सेक्शन पर कि.मी. 456/4–5 पर स्थित समपार सं. बी–52 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	476	838	रूपरेखा का खाका मार्च, 04 में अनुमोदित किया गया है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
12.	दौसा–जालंधर–पठानकोट सेक्शन पर कि.मी. 57/8–9 पर स्थित समपार सं. सी–85 के स्थान पर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	478	828	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
13.	जालंधर–जालंधर सिटी–अमृतसर सेक्शन पर दो मोरिया पुल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	1997–98	490	1323	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर लिए गए हैं। संशोधित रूपरेखा खाका राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन है। रेलवे बोर्ड से भूमि हस्तांतरण की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार को पहुंचमार्गों पर अभी काम शुरू करना है।
14.	चावापाल–अंबाला–लुधियाना सेक्शन पर कि.मी. 343/15–17 पर स्थित समपार सं. सी–161 के स्थान पर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	504	722	रूपरेखा का खाका अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
15.	जगराव–लुधियाना–फिरोजपुर सेक्शन पर कि.मी. 39/5–6 पर स्थित समपार सं. ए–34 के स्थान पर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	507	712	रूपरेखा का खाका अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
16.	भोगपुर–जालंधर–पठानकोट सेक्शन पर कि.मी. 28/2–3 पर स्थित समपार सं. सी–40 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	513	470	रूपरेखा का खाका अनुमोदित हो चुका है। विस्तृत अनुमान अप्रैल, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
17.	दिल्ली–बी टी आई सेक्शन पर कि.मी. 245.92 पर स्थित, समपार सं. बी–208 के स्थान पर मनसा ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	522	607	रूपरेखा खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान जनवरी, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
18.	अमृतसर–के ई एम के सेक्शन पर कि. मी. 1/17–18 पर स्थित समपार सं. बी–2 के स्थान पर अमृतसर रेलवे स्टेशन के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	539	742	रूपरेखा का खाका अनुमोदित हो चुका है। विस्तुत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
19.	फगवाड़ा–फगवाड़ा नकोदर रोड को जोड़ने वाले लुधियाना–जालंधर सेक्शन पर समपार सं. 77–ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2001–02	547	1011	बिना रेलपथ वाले हिस्सों में 3 आर सी सी स्पेन का कार्य पूरा हो चुका है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
20.	संगरूर–लुधियाना–जाखल सेक्शन पर कि.मी. 75/6–7 पर स्थित समपार सं. ए–64/2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल स्टेशन	उत्तर	2003–04	577	695	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान अप्रैल, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
21.	सुचीपिंड–जालंधर–पठानकोट सेक्शन पर कि.मी. 5/15–16 पर स्थित समपार सं. सी–11 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल स्टेशन	उत्तर	2003–04	578	793	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
22.	जालंधर सिटी–फिरोजपुर सेक्शन पर कि.मी. 3/7–8 पर स्थित समपार सं. ए–2 के स्थान पर डी ए वी कालेज हाल्ट स्टेशन के समीप ऊपर सड़क पुल	उत्तर	2003–04	599	1708	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
23.	लायलपुर–खालसा जालंधर सिटी–कनकोदर जंक्शन सेक्शन पर कि.मी. 2/7–8 पर स्थित समपार सं. एल पी सं. 53 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल कालेज हाल्ट स्टेशन	उत्तर	2003–04	636	687	रूपरेखा का खाका अनुमोदित। विस्तृत अनुमान 16.4.04 से रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है।
24.	सुजानपुर पठानकोट–जम्मूतवी सेक्शन पर कि.मी. 4/5–6 पर स्थित समपार सं. सी–4/2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल स्टेशन	उत्तर	2003–04	641	930	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
25.	अमृतसर–के ई एम के सेक्शन पर कि. मी. 39/3–4 पर स्थित समपार सं. ए–26 के स्थान पर बटाला रेलवे स्टेशन के नजदीक ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	704	1016	रूपरेखा का खाका अनुमोदनाधीन है। विस्तृत अनुमान मार्च, 04 में स्वीकृत किए गए हैं।
26.	तरनतारन–अमृतसर–के ई एम के सेक्शन पर कि.मी. 22/12–13 पर स्थित सरपार सं. बी–27 सड़क पुल	उत्तर	2003–04	809	1068	रूपरेखा के खाके पर राज्य पी डब्ल्यू डी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और अनुमोदनाधीन है। राज्य पी डब्ल्यू डी से पहुंच मार्ग के अनुमान प्राप्त हो चुके हैं। विस्तृत अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
27.	समपार सं. 52 एवं 63–ए के स्थान पर धुरी–बटिंडा ऊपरी सड़क पुल	उत्तर	2003–04	928	1896	रूपरेखा के खाके को हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है और विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय समेकित विकास योजना के अंतर्गत सहायता की धनराशि

2096. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समेकित विकास योजना (एनआईडीएस) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत व्यय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान और आज तक विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि को व्यय नहीं करने के क्या करण हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय समेकित विकास योजना नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, ग्रामीण निर्धन के स्वरोजगार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक योजना का वर्ष 1999 से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

असम में रंगिया रेल मंडल का संचालन

2097. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रंगिया रेल मंडल पूर्णतः कार्यशील नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंडल के पूर्णतः कार्यशील होने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मंडल को पूर्णतः कार्यशील बनाने और वहां कर्मचारियों की पदस्थापना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। 1.4.2003 से रंगिया रेल मंडल पूरी तरह परिचालित हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त हैं।

विदेशी चैनल

2098. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नए विदेशी चैनलों को देश में संचालित करने हेतु अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त चैनलों का कब तक आरंभ किया जाना है;

(घ) देश की जनता के लिए ये चैनल कितने उपयोगी हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में चल रहे ऐसे चैनलों की लोकप्रियता का पता लगाने हेतु कोई प्रणाली है;

(च) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो देश में चल रहे विभिन्न चैनलों की लोकप्रियता/उपयोगिता का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष के दौरान केवल उन सात कंपनियों को भारत से अपने चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई है जिनके पास शत–प्रतिशत भारतीय इक्विटी है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विरासत स्मारकों का पुनरुद्धार और रख-रखाव

2099. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्मारकों के पुनरुद्धार और उनका रख–रखाव करने हेतु जापान सरकार से कोई सहायता अथवा पैकेज प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता/पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित किए गए स्मारकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में विरासत स्थलों का विकास करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों/विरासत स्थलों के पुनरुद्धार करने और उनके रख–रखाव में निजी/सरकारी क्षेत्र की भागीदारी सफल रही है; और

(च) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था को फिर से दोहराने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों अर्थात् अजन्ता, एलौरा, पीतलखेरा में गुफाओं तथा दौलताबाद किले का संरक्षण तथा विकास जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को–आपरेशन प्राजेक्ट के अधीन किया गया है।

मध्य प्रदेश में सांची, सतधारा स्थित बौद्ध स्मारक को भी यूनेस्को के माध्यम से जापान सरकार से सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिप्रेक्ष्य योजना के तहत संरक्षित किए जाने वाले स्मारकों के नामों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत, केंद्रीय संरक्षित स्मारक हुमायूं का मकबरा, दिल्ली, शनिवारवाड़ा, पुणे तथा ताजमहल, आगरा के संबंध में जीर्णोद्धार तथा संरक्षण के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी सफलतापूर्वक चलाई गई है।

(च) सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में संरक्षण कार्य तथा पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने के कार्य से जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति निधि योजना के अंतर्गत निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का सदैव स्वागत कर रही है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

बुगारामलिंगेश्वर मंदिर, ताड़ीपत्री, वीरभद्र तथा वंशवान स्वामी मंदिर, लीपाक्षी मंदिर, हेमावती, हिलफोर्ट, मादकसीर, श्री चिंतला वेंकटरामा मंदिर, ताड़ीपत्री, किला चन्द्र गिरी, चारमीनार, हैदराबाद, गोलकोंडा किला, हैदराबाद, मंदिर समूह पुष्पगिरी, किला, सिदआऊत बौद्ध अवशेष, सालीहुंडम, बौद्ध शैलकृत स्तूप गुफाएं, शंकरन, श्री कुमार शमू भीमेश्वरा मंदिर, सामलकोट, बौद्ध अवशेष अदीस, नवब्रह्म मंदिर समूह, आलपुर, किला अढोनी, अब्दुल बहाव मकबरा, कमूल, पुनः निर्मित स्मारक, अनूपू, मंदिर समूह, उदयगिरी, प्राचीन टीला, रामतीर्थम्, बौद्ध स्मारक, गुंटापल्ली, किला वारंगल, हजार खम्भों वाला मंदिर, वारंगल, स्वयंभूव मंदिर, वारंगल।

असम

मंदिर, डंडी, शिवडोल, विष्णुडोल तथा देवीडोल, शिवसागर, शिव मंदिर, नेघेरेटिंग, अवशेष, खासपुर, स्मारक/स्थल, कासोमारी पहाड़, ईदगाह, पनवरी, विष्णुडोल, देवी डोल, जयसागर, उत्खनित स्थल मंदिर परिसर, सूर्यपहाड़, चरैयदेव मैदान, चरैयदेव, करेनघर महल, जयसागर, शिवडोल गौरी सागर मंदिर आदि, विश्वनाथ घाट, मंदिर, कामाक्षा।

अरुणाचल प्रदेश

किला दीवार, भीष्मक नगर, प्राचीन अवशेष भलकपोंग।

बिहार

अरोग्य विहार तथा आठ खम्भों वाला हॉल, कुमराहर, बौद्ध स्थल, नालंदा, स्तूप, केसरिया, मठ, अंटीचेक, किला, रोहतास, मठ आदि, कोलुआ, टैंक, मानेर, मनियार मठ तथा अजातशत्रु स्तूप, राजगीर, मखदाम शाह मनेरी का मकबरा मन्नेर शेर शाह का मकबरा, सासाराम, रालिक स्तूप, वैशाली, स्तूप, नंदनगढ़, स्तूप अंटीचाक, सतूप कोलुआ।

छत्तीसगढ़

महादेव मंदिर, नारायणपुर, पटलेश्वरा मंदिर, मल्हार, चन्द्रदित्य, वासुर, महादेव मंदिर वासुर।

दिल्ली

जंतर–मंतर, उग्रसेन की बावली, सुल्तान गढ़ी, राजन की वावली, जमाली–कमाली, अजीम खान का मकबरा, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, ग्यासुद्दीन का मकबरा, हौज खास स्मारक, छोटे खान बड़े खान, ईदगाह, कोटला मुबारकपुर, सलीमगढ़ पुल तथा किला, लाल किला, कोटला फिरोजशाह, त्रिपोलिय गेट, रोशनारा ब़ारादरी, कुदसिया वदली की सराय, पुराना किला, लाल बंगला, खारूल मंजिल, सफदरजंग का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अरब की सराय, इसा खान मकबरा, खाने–एल–खाना मकबरा, सब्ज वुर्ज, बड़ा बतासा, लाखेर वाला का मकबरा।

गोवा

सेंकैथेड्रल चर्च, संत फ्रांसिस, असीसि, बाम जेसिस चर्च, संत आगस्टीन की चर्च, संत कजेटन की चैपल, अवर लेडी रोसरी की चर्च, संत कैथरीन चर्च, महादेव मंदिर, मंदिर, कुर्दी, महादेव मंदिर टैमदेसुरिया, चंदौर स्थित उत्खनित स्थल।

गुजरात

रानी की वाब, पाटन, उत्खनित स्थल, धौलावीरा, पावागढ़ के स्मारक, तोरण, वादनगर, सूर्य मंदिर मोधेरा।

हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा किला, नरपुर किला, कोटला किला, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चम्बा त्रिलोकीनाथ मंदिर, मंडी, बौद्ध मठ, टब।

हरियाणा

सूरज कुंड, शेख चिल्ली का मकबरा, थानेश्वरा, जल महल, नारनौल, शाहजहां की बावली मेहम, अनंगपुर दाम मुगल पुल, फरीदाबाद, ख्वाजा खिजिर का मकबरा, सोनीपत, पृथ्वीराज चौहान का किला, हांसी, बावली, फारखनगर, घरूंड सराय, घरूंड, काबुली बाग मस्जिद, पानीपत।

जम्मू और कश्मीर

प्राचीन स्थल के अवशेष, अम्बराम, मंदिर समूह, किरमची, किला तथा समाधि रामनगर, प्राचीन महल, रामनगर, भगवती मंदिर, मनवल, डेरा वबूर, मनबल, काला डेरा । व ॥ मनवल, मंदिर विल्लावर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, कथुआ, मुगल तोरणपथ, वेरीनाग, मंदिर मार्तण्ड अरीन्तेश्वरा मंदिर, अवन्तिपुर, मंदिर काकपारा, मंदिर लाधव, पत्थर मस्जिद, वारामूला, शंकराचार्य मंदिर, पट्टन, प्रतापस्वामी मंदिर, वारामूला, स्तूप परिहारपुरा, मंदिर, हेमिस गुफा, प्राचीन गुफा, थिकसे, शे, लेह पैलेस स्तूप जिस्सरू, मूर्ति द्रास, मूर्तियां मलवोग।

झारखंड

बेनी सागर टैंक, बेनीसागर।

कर्नाटक

सोमेश्वरा मंदिर, कोलार, चेन्नकेशव मंदिर, नागलापुरा, टीपू सुल्तान महल बंगलौर, मल्लिक रेहन दरगाह, सीरा, मल्लिकार्जुन मंदिर, कुरूवट्टी, कालेश्वरा मंदिर, बगाली, किला तथा मंदिर, चित्रदुर्गा, होयसालेश्वर मंदिर, हेलेबिदू, स्मारक समूह श्रवणवेल गोला, केशव मंदिर वेल्लूर, स्मारक समूह (चिक्कवेट्टा) श्रवणवेलगोला, अनंतपद्मनाभा मंदिर, करकाला, चांदीकेशवरी मंदिर, कदीरामपुरा, खजाना भवन, कमलापुरम, हाथीशाला, कमलापुरम, टीपू सुल्तान का ऊपरी किला, वेल्लेरी, हम्पी में स्मारक, कीर्तिनारायण मंदिर, तालाकाडा, केशव मंदिर, सोमनाथपुर, श्री कांटेश्वरा मंदिर, नंजनगढ़, मुसाफिर खाना तथा होंडा, संतेवेन्नूर, कैतवेश्वरा मंदिर, कोटिपुरा, पंचकुटा बस्ती, हमचा, सोमेश्वरा मंदिर, बंदालिके, पंचकुटा बस्ती, कम्बदा पहाड़ी, क़ेशव मंदिर, नागामंगला, नाम्बीनारायण मंदिर, तोन्नूर, रंगनाथस्वामी मंदिर, श्रीरंगपटना,पंचलिंगेश्वरा मंदिर, गोबिंदन हल्ली, चक्र गुडी वदिरगुडी, एहोल, मालगिट्टी, शिवालय, बदामी, चन्द्रशेखर मंदिर, पट्टाडकल, असर महल, करीमुद्दीन मस्जिद, बीजापुर, इब्राहिम रोजा, मेहतारी महल, बीजापुर, गेट, धारवाड, मस्जिद, गुलबर्ग, नादुरगुडी, चरनतीनाथ, वेनियार गुडी, हिरच्चुमल्ली एहोल, किला

भूतनाथ मंदिर, बदामी, स्मारक समूह, हल्सी, चन्द्रनाथ देवा वस्ती, भटकल, किला मिरजन, सोलह खम्भा मस्जिद, विदार, गोल गुंबद, बीजापुर, महास्तूप, कंगनहल्ली, किला गुलबर्ग।

केरल

कलसनाथ मंदिर, त्रिसूर, किला पलकड़, वेकल किला पल्लीकारा, परशुराम मंदिर, तिरुबल्लम, तैलीचेरी किला, तैलीचेरी, परशुराम मंदिर, तिरुवल्लम।

मध्य प्रदेश

कमलापति महल, भोपाल, मांडू में स्मारक, सास बहू मंदिर, मानसिंह महल, किला, ग्वालियर, मौहम्मद गौस मकबरा, ग्वालियर, मठ तथा मंदिर, सरवाया, उदयेश्वरा महादेव मंदिर, उदयेश्वरा, किला रायसेन, खजुराहो स्थित मंदिर, वीर सिंह पैलेस, दतिया, बौद्ध गुफाएं, बाग, यशोहावर्धन विजय स्तम्भ, सोढ़नी, किला अजयगढ़, टाउन हाल, शिवपुरी।

महाराष्ट्र

पांडुलाना गुफाएं, नासिक, कन्हेरी गुफाएं, मुंबई, एलीफेंटा गुफाएं, घरापुर, किला, रायगढ़, स्मारक समूह, लोनार, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, पनहाला, पनहाला, वेदसा गुफाएं, वेदसा, मरकंड मंदिर, मरकंड जंजीरा किला, जंजीरा, सिंधुदुर्गा किला, गुफाएं, अजन्ता, एलौरा, फरहा बाग महल, अहमदनगर प्राचीन स्थल, नेवासा अहमदनगर सलावत खान का मकबरा, अहमदनगर, किला वैशाली, किला नमाला।

मेघालय

महापाषाणी पुल, उमकुनवेह, यू मौथो दुर व्रीयू का पाषाण स्मारक, नरतियंग।

नागालैंड

एक किले के अवशेष, दीमापुर।

उड़ीसा

भास्करेश्वरा मंदिर, भृंगेश्वरा मंदिर, लिंग राज मंदिर, पापनाशिनी हौज, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, पुरी, सूर्य मंदिर, कोणार्क, राजा रानी मंदिर, भुवनेश्वर, उत्खनित स्थल, उदयगिरी, महाकाल मंदिर, रतनागिरी, महिमामणि मंदिर, रगदी।

पंजाब

किला, भटिंडा, सराय, दक्खिनी, वारादरी, बटाला, शमशेर खान का मकबरा, बटाला, नरमहल सराय, नरमोहाल, बौद्ध स्तूप, संगहोल।

राजस्थान

किला तथा स्मारक, चितौड़गढ़, कुम्हलगढ़ किला, माधेश्वरा मंदिर, अर्थना, देव सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ सास बहू मंदिर, नागदा, हर्षमाता मंदिर, अबनेरी, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ, किला भारतपुर, किला रणथम्भौर, हर्षनाथ मंदिर, सीकर, डीग महल, जेसलमेर किला, किला भावनेर, प्राचीन स्थल बंगढ़, किला मंदौर।

सिक्किम

सिक्किम की प्राचीन राजधानी, इवदानसा, कोरोनेश्न सिंहासन, याकसम, मौंटेसरी दुवडी।

तमिलनाडु

क्लाइव भवन, चैन्नई, अजहागिचा नरसिम्हा स्वामी, मंदिर इमैचीराम किला जिंजी, कलिसनाथ मंदिर, कांचीपुरम, सिक्कंथ स्वामी मंदिर, कडुमिथानमलाई; महाबलीपुरम स्मारक, डच सीमेट्री सदरस, किला तथा मंदिर, चिन्नकावंदनौर, शिवगंगालिवी किला तंजावूर, वृहदेश्वरा मंदिर, जी.के.सी. पुरम्, ऐरावतेश्वरा मंदिर, दारासुरम मुख्य गार्ड गेट त्रिची, शिव मंदिर, अम्मनकुरिच, किला वेल्लौर; पट्टामिराम मंदिर, नरसिंगानारायणपैट्टए; अपथशयैशरा मंदिर, सेंदमंगलम; एकमवरेश्वरा मंदिर, सैत्तूर, किला तिरुवलिश्वरम भक्त वत्सल मंदिर; क्लेरेरामलराइई, नित्यकल्याणस्वामी मंदिर, तिरुविदंतई; मनहिड्मिसूरम मंदिर, पी. बी. केलालौस; महापाषाण कालीन स्थल मनामई, किला अट्टूर, शिव मंदिर, वलिकान्तपुरम सुन्दराजापेरुमल मंदिर, इरुमबंदन; स्मारक समूह वल्लीमरई; शैलकृत शिव मंदिर, कुन्नंदरकोइल, शेयर मंदिर, महाबलीपुरम् मूलनाथ स्वामी मंदिर; बहार, धर्मास्वर मंदिर, मणिमंगलय, कांतालिंगेश्वरा मंदिर, फेमई, ज्वारूहरवेश्वरा मंदिर, कांचीपुरम्, महापाषाण कालीन स्थल, सनूर, नरसिम्हा मंदिर, नामाक्कल, व्रहनापुरीस्वरा मंदिर, ब्रह्मदेशम; मुक्तेश्वरा मंदिर, कांचीपुरम हिल फोर्ट कृष्णागिरी, किला राजनगुडी, त्रियामलाई नाईक महल, श्री विल्लीपुट्टर, संत मेरी का चर्च चैन्नई; मतनेश्वरा मंदिर, कांचीपुरम।

त्रिपुरा

यूनोकोठी तीर्थ, यूनोकोठी, गुनावती मंदिर, उदयपुर, ठकुरानी टीलू; श्याम सुन्दर, टीला, पिलक।

उत्तर प्रदेश

ताजमहल, आगरा, इतमादुला आगरा, अकबर का मकबरा, सिकन्दरा; आगरा किला, रामबाग आगरा, गोविंद जी मंदिर वृंदावन, हट्टी टीला, मथुरा, चामुंडी टीला, मथुरा, जामी मस्जिद आगरा, बड़ा ईदगाह आगरा, मरीगांव मंदिर आगरा, रमन कैथोलिक शमशानभूमि आगरा, मुगल सिटी, फतेहपुर सीकरी, इब्राहिम का मकबरा, रसूलपुर; जागनेर किला, कंकली टीला मथुरा, मदन मोहन टीला; वृंदावन, मकदूम जहानिया कन्नौज की मस्जिद तथा मकबरा, स्मारक समूह, आमपुर तथा बदौन, स्मारक समूह झिन्झाना, स्मारक समूह आलमगीरपुर, झांसी का किला; दीन–उद–दौला, कर्बला, असफी मस्जिदें, जामी मस्जिद, रेजीडेंसी, अमजद अली शाह मकबरा, लखनऊ, कलींजर किला, बहु बेगम मकबरा, सुजौद्दौला का मकबरा, फैजाबाद, मूसा बाग, मेरियन सीमेट्री जामी मस्जिद, झांसी, रानी महल, झांसी, चंदेला मंदिर, अकरूना, कचेरी सीमेट्री, कानपुर, बड़ा इमामबाड़ा, वेहता के ऊपर पुल, नसीरुद्दीन हैदर कर्बला लखनऊ; उत्खनित स्थल, सहेत, उत्खनित स्थल, श्रावती, उत्खनित स्थल, पीपरावा, उत्खनित स्थल, गणवरिया, उत्खनित स्थल, शृंगवेरपुरा, उत्खनित स्थल भीता, कौसत गुम्बद, कल्पी, रोहिला मंदिर, मोहबा, गुप्ता मंदिर, देवगढ़ चौखंडी, तथा अन्य स्मारक सारनाथ, किला जौनपुर, रामाभार स्तूप, कुशीनगर, लाल खान का मकबरा, वाराणसी, निर्वाण मंदिर, कुशीनगर, चार अंगुली मस्जिद, जौनपुर, घरारा मस्जिद, वाराणसी, भगवान कोर्नवलिस का मकबरा गाजीपुर, राजघाट, वाराणसी, इफ्तियार खान का मकबरा चुनार।

उत्तरांचल

मंदिर समूह, जागेश्वर, लाखामंडल मंदिर, लाखामंडल, मंदिर आदिवद्री, वैजनाथ मंदिर बैजनाथ, पांडूकेश्वरा मंदिर, चमोली, मंदिर द्वारहाट महसू मंदिर, हनैथ, उत्खनित स्थल, पुरोला, सूर्य मंदिर कातरमल, रुद्रनाथ, रावल महल, गोपेश्वरा, किला आदि बद्री।

पश्चिम बंगाल

गोकुल चंद मंदिर, कुलनगर, लालजी मंदिर, कलना, वेगुनिया स्मारक समूह, वाराकेर, कोतवाली दरवाजा, माल्दा, कूच बिहार महल, कूच बिहार, अदिना मस्जिद, अदिना, इमामवाड़ा, हजारदुरई महल, मुर्शिदाबाद, ब्यास ग्योजी की दीवार, माल्दा, चन्द्रकेतु गढ़, बेराचापा, मेटकाफ हाल, कोलकाता, मुर्शिद कुली खां का मकबरा, सब्जी कटरा, कदम्बवेरा किला, रकसासीडंगा कामसुवर्णा।

खुदरा बिक्री केंद्रों की लंबित विपणन योजनाएं

2100. श्री के. सुब्बारायण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खुदरा बिक्री केंद्रों की सभी लंबित विपणन योजनाओं को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये बिक्री केंद्र खोले गए और इन्हें किस विपणन योजना के अंतर्गत खोला गया; और

(घ) इस विपणन योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत कोयम्बटूर जिले में त्रिची रोड पर सिंग्नाल्लूर गांव में एस एफ संख्या 130/162 पर स्थित सी ओ सी ओ (कंपनी के स्वामित्व वाली और कंपनी द्वारा संचालित) खुदरा बिक्री केंद्र शुरू किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) कोयम्बटूर जिले के पांच स्थलों यथा पीलामेडु, थॉडामुथुर, कोयम्बटूर, सिंग्नाल्लूर तथा तिरुपर में खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पम्पों) की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण वर्ष 1999 में तमिलनाडु राज्य में चयन प्रक्रिया का निलंबन कर दिया जाना था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, मार्च, 2001 में सरकार की अनुमोदित विपणन योजना (विपणन योजना 1993–96) के तहत केल्टोनपेट में केवल एक खुदरा बिक्री केंद्र चालू किया गया।

(घ) कंपनी के स्वामित्व में और कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर डीलर परिवर्तन (डी सी) विपणन योजना 1999–2001 के तहत मार्च, 1999 में कोयम्बटूर जिले में त्रिची रोड पर सिंग्नाल्लूर गांव में एक खुदरा बिक्री केंद्र चालू किया गया था।

[हिन्दी]

रसोई गैस/सीएनजी का निर्यात

2101. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इराक सहित कुछ देशों को रसोई गैस ओसीएनजी के खाली सिलिंडरों का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस/सीनएनजी के भरे हुए सिलिंडरों का भी निर्यात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने न तो एलपीजी और न ही सीएनजी का कोई खाली/भरा सिलेंडर किसी देश को निर्यात किया है।

सूखा प्रभावित परिवारों को रोजगार

2102. श्री निहाल चन्द : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'काम के बदले अनाज योजना' के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के केवल एक व्यक्ति को काम मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां; तो उपरोक्त योजना के अंतर्गत चार, पांच अथवा इससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लोगों को काम मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या नियम लागू किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक से ज्यादा सदस्य वाले परिवारों को उपरोक्त योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लोगों के कल्याण हेतु देश के प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। इसे 1.4.2002 से बंद कर दिया गया था और इसकी जगह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत एक विशेष घटक शुरू किया गया ताकि राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी करने तथा कृषि मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति करने के बाद आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से अनाज सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। विशेष घटक के अंतर्गत रिलीज किया गया खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त दिया जाता है और इसे मजदूरी रोजगार क्षमता वाली किसी भी केंद्रीय या राज्य योजना में उपयोग में लाया जा सकता है। नकद घटक को उन योजनाओं से पूरा किया जाता है जिनमें खाद्यान्न का उपयोग होता है। मजदूरी अंशतः नकद और अंशतः खाद्यान्न के रूप में होगी। यह योजना ऐसे समस्त ग्रामीण निर्धनों को उपलब्ध है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपने गांव तथा उसके आसपास शारीरिक और अकुशल कार्य करना चाहते हैं। जब संसाधन सीमित हों तो राशनिंग व्यवस्था आवश्यक हो सकती है।

[अनुवाद]

रॉयल कैसल को विरासत स्मारक का दर्जा

2103. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में कोवलम में गल्फार समूह द्वारा 'ट्रावणकोर रीजेन्ट महारानी सेतु लक्ष्मी बाईज हल्क्यान कैसल' को अपने अधिकार में लेने पर हुए विवाद पर गौर किया है;

(ख) कैसल पर अवैध कब्जा किए जाने के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार रॉयल कैसल को 'विरासत' स्मारक के रूप में बनाए रखने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) जी, नहीं। केरल के त्रिवेन्द्रम जिला में कोवलम स्थित 'ट्रावणकोर रीजेन्ट महारानी सेतु लक्ष्मी बाईज हल्क्यान कैसल' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक नहीं है और रॉयल कैसल को एक दाय स्मारक के रूप में रखने के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्थलों पर रैंप का निर्माण

2104. श्री पंकज चौधरी : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए देश के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर 'रैंप' का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) काष्ठ की चल रैम्पों और पत्थर पर निर्मित स्थायी रैम्प, पहिएदार कुर्सी से सुगम्य विशेष प्रकार का निर्मित प्रसाधन कक्ष, पहिएदार कुर्सी पर आने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पर्यटकों के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर अलग रास्ता की कुछ केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में व्यवस्था की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए केंद्रीय संरक्षित स्मारक संलग्न विवरण–II में दर्शाए गए हैं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में, व्यवहार्यता के आधार पर, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक निर्णय पहले ही ले लिया है।

विवरण-I

उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (राज्य वार) की सूची जहां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्मारकों का भ्रमण करने हेतु सुविधाएं प्रदान की गई हैं

क्र.सं.	स्मारक का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश		
1.	गोलकोंडा किला	रैम्पें
2. दिल्ली		
1.	लाल किला	रैम्पें
2.	पुराना किला	रैम्पें
3.	कुतुब परिसर	रैम्पें, पहिया कुर्सी
4.	जन्तर–मन्तर	रैम्पें
5.	हुमायूं का मकबरा	रैम्पें
6.	सफदरजंग मकबरा	हिन्दी और अंग्रेजी में लेख पट्ट, शौचालय में अलग से लकड़ी का रैम्प है
3. गोवा		
1.	पुराना गोवा चर्च परिसर	रैम्प, पहिया कुर्सी
4. गुजरात		
1.	जामी मस्जिद, चंपानेर, पावागढ़	रैम्प
5. कर्नाटक		
1.	टीपू महल, बंगलौर	रैम्प
2.	दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना	रैम्प
3.	स्मारक समूह, पट्टडकल	रैम्प
4.	स्मारक समूह, एहोल, जिला बागलकोट	रैम्प
5.	इब्राहिम रौजा, बीजापुर	रैम्प
6.	शैलकृत गुफाएं, बादामी, जिला बागलकोट	पहिया कुर्सी
7.	गोलगुंबज, जिला बीजापुर	पहिया कुर्सी
6. केरल		
1.	मत्तनचेरी महल, कोची	लेख पट्ट एवं पहिया कुर्सी
7. महाराष्ट्र		
1.	अजंता गुफाएं समूह	मार्ग एवं रैम्प

1	2	3
8. राजस्थान		
1.	डीग भवन, डीटा, जिला भरतपुर	रैम्प
2.	सास बहू मंदिर, नागदा, जिला उदयपुर	रैम्प
3.	महानलेस्वर मंदिर, मेनाल, जिला चित्तौड़गढ़	रैम्प
4.	चित्तौड़गढ़ किला, जिला चित्तौड़गढ़	रैम्प
5.	प्राचीन स्थल, भानगढ़, जिला अलवर	रैम्प
6.	सूर्य मंदिर, अम्बेर, जिला जयपुर	रैम्प
9. तमिलनाडु		
1.	बेकल किला	पहिया कुर्सी
2.	कन्नूर किला	पहिया कुर्सी
3.	पलक्कड किला	पहिया कुर्सी
4.	वट्टाकोट्टई किला	पहिया कुर्सी
10. उत्तर प्रदेश		
1.	रेजीडेंसी	रैम्प
2.	झांसी, कानपुर, लखनऊ उप–मंडलों में पहिया कुर्सियां उपलब्ध कराई गई हैं	
3.	अकबर का मकबरा, सिकंदरा	रैम्प
4.	एतमाउद्दौला	रैम्प
5.	फतेहपुर सीकरी	रैम्प
	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आगरा में टिकट वाले सभी स्मारकों में पहिया कुर्सियां दी जाती हैं।	रैम्प

विवरण-II

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधाओं के प्रावधान हेतु अभिनिर्धारित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुनकोंडा पहाड़ी	रैम्प
2. असम		
1.	श्रीसूर्यपहाड़–खंडहर, गोलपाड़ा जिला, असम	रैम्प
2.	चराईदेव स्थित मैदाम, जिला सिवसागर, असम	रैम्प
3. दिल्ली		
1.	सफदरजंग मकबरा	रैम्प
2.	इसा खान का मकबरा	रैम्पें
3.	अफसरवाला मकबरा एवं मस्जिद	रैम्पें
4.	सुंदरवाला महल	रैम्पें
5.	सुंदरवाला बुर्ज	रैम्पें
6.	अरब की सराय	रैम्पें
7.	कोटला फिरोजशाह	रैम्पें
8.	जमाली कमाली मकबरा एवं मस्जिद	रैम्पें
9.	वजीराबाद गुंबज	रैम्पें
10.	हौज खास	रैम्पें
11.	नीला गुंबज	रैम्पें
4. गुजरात		
1.	सूर्य मंदिर, मौढेरा, जिला मेहसाना	रैम्प
2.	रानी–की–वाव, पाटन, जिला पाटन	रैम्प
3.	शहर की मस्जिद, चंपानेर, पावागढ़	रैम्प
4.	होली जीसस चर्च, मोती दमन, दमन	रैम्प
5.	चैपल आफ अवर लेडी रोजरियों, मोती दमन, दमन	रैम्प

1	2	3
	6. संत पाल का चर्च, दीव	रैम्प
5.	**जम्मू एवं कश्मीर**	
	1. अवन्तिस्वामी मंदिर एवं अवन्तिस्वर मंदिर	रैम्पें
	2. जैनूल अबीदीन की मां (बादशाह) का मकबरा, श्रीनगर	रैम्पें
	3. पाथर मस्जिद, श्रीनगर	रैम्पें
	4. देवी भगवती मंदिर, मनवाल	रैम्पें
	5. प्राचीन मंदिर, काला डेरा I एवं II, बाबौर (मनवाल)	रैम्पें
	6. राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन किला एवं समाधि, रामनगर	रैम्पें
6.	**कर्नाटक**	
	1. गुंबज, श्रीरंगपटना	
	2. केशव मंदिर, सोमनाथपुर	
	3. मंदिर, बेलूर एवं हेलेबिड	
7.	**महाराष्ट्र**	
	1. बीबी–का मकबरा, औरंगाबाद	काष्ठ रैम्प
8.	**तमिलनाडु**	
	1. स्मारक समूह, मामल्लापुरम	
	2. बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर	
	3. ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम	
	4. बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम	
9.	**उत्तर प्रदेश**	
	1. मंदिर समूह, देवगढ़, दुधई पाली, जिला ललितपुर में	रैम्प
	2. जराई का मठ, जिला झांसी	रैम्प
	3. चौरासी गुंबज, कालपी; मानबाई महल तथा अन्य स्मारक, खुसरुबाग, इलाहाबाद; विभिन्न स्मारक लखनऊ, फैजाबाद, महोबा, बांदा जिला में	रैम्प

[अनुवाद]

एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी की स्थापना करना

2105. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण देश में संस्थापित हाई पावर/लो पावर/वेरी लो पावर ट्रांसमीटरों की राज्यवार संख्या क्या है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यरत हाई पावर तथा लो पावर टी वी ट्रांसमीटरों की क्षमता–वार और स्थान–वार कुल कितनी संख्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अन्य स्थानों पर विशेषकर महाराष्ट्र में हाई पावर टी वी ट्रांसमीटर संस्थापित करने हेतु योजना स्वीकृत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक योजना के लिए कितनी समय–सीमा निर्धारित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 258 टी वी ट्रांसमीटरों (उ.श.ट्रा.–62, अ.श.ट्रां.–106, अ.अ.श.ट्रां.–90) को चालू कर दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) इस समय देश में 1403 टी वी ट्रांसमीटर (उ. श.ट्रां.–190, अ.श.ट्रां.–832, अ.अ.श.ट्रां.–381) कार्य कर रहे हैं। इनमें से 123 ट्रांसमीटर महाराष्ट्र में स्थित हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र में एक ट्रांसमीटर सहित, 27 स्थानों पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर संस्वीकृत किए गए हैं और ये कार्यान्वयनाधीन हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ङ) भवनों और टॉवरों के निर्माण तथा उपस्करों की आपूर्ति पर निर्भर करते हुए उपर्युक्त ट्रांसमीटरों को अगले दो वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से चालू किए जाने की आशा है। महाराष्ट्र में अंबाजोगई स्थित ट्रांसमीटर के वर्ष 2004 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए टी.वी. ट्रांसमीटर

(दिनांक 1.4.2001 से 15.7.2004 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उ.श. ट्रांस-मीटर	अ.श. ट्रांस-मीटर	अ.अ. श.ट्रां.	कुल ट्रां.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	–	–	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	3	11	4	18
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	2	3
4.	बिहार	–	5	1	6
5.	छत्तीसगढ़	1	3	–	4
6.	दिल्ली	1	–	–	1
7.	गुजरात	3	3	–	6
8.	हरियाणा	–	4	–	4
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	7	7
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10	9	55	74
11.	झारखंड	2	3	1	6
12.	कर्नाटक	6	7	3	16
13.	केरल	1	3	2	6
14.	मध्य प्रदेश	4	3	1	8
15.	महाराष्ट्र	6	13	2	21
16.	मणिपुर	2	–	–	2
17.	मेघालय	1	1	–	2
18.	मिजोरम	1	1	–	2
19.	नागालैंड	1	–	1	2
20.	उड़ीसा	1	3	–	4
21.	पांड़िचेरी	1	–	–	1
22.	पंजाब	3	–	–	3
23.	राजस्थान	3	6	1	10
24.	सिक्किम	1	–	1	2
25.	तमिलनाडु	2	15	2	19
26.	त्रिपुरा	–	2	–	2
27.	उत्तर प्रदेश	5	8	–	13
28.	उत्तरांचल	–	3	5	8
29.	पश्चिम बंगाल	3	3	–	6

विवरण-II

महाराष्ट्र में कार्यरत टी.वी. ट्रांसमीटर

क्र.सं.	ट्रांसमीटर	शक्ति
1	2	3
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)	
1.	अंबाजोगई	10 कि.वा.
2.	औरंगाबाद	10 कि.वा.
3.	चन्द्रपुर	1 कि.वा.
4.	मुंबई	20 कि.वा.
5.	नागपुर	10 कि.वा.
6.	पुणे	10 कि.वा.
7.	रत्नागिरि	1 कि.वा.
8.	जलगांव (अंतरिम)	1 कि.वा.
9.	मुंबई (डीडी न्यूज)	20 कि.वा.
10.	नागपुर (डीडी न्यूज)	10 कि.वा.
11.	पुणे (डीडी न्यूज)	10 कि.वा.
12.	औरंगाबाद (डीडी न्यूज)	10 कि.वा.
13.	मुंबई (डीटीटी)	5 कि.वा.

1	2	3
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (89)		
14.	अचलपुर	100 वाट्स
15.	अकोट	100 वाट्स
16.	अहेरी	100 वाट्स
17.	अहमदनगर	100 वाट्स
18.	अकालकोट	100 वाट्स
19.	अकलुज	100 वाट्स
20.	अकोला	100 वाट्स
21.	अमालनेर	100 वाट्स
22.	अमरावती	100 वाट्स
23.	अरवी	100 वाट्स
24.	बादलपुर	500 वाट्स
25.	बारशी	100 वाट्स
26.	भामरागढ़	100 वाट्स
27.	भुसावल	300 वाट्स
28.	बिड	100 वाट्स
29.	ब्रह्मपुरी	100 वाट्स
30.	बुल्दाना	100 वाट्स
31.	चन्दूर	100 वाट्स
32.	चिखली	100 वाट्स
33.	चिपलुन	100 वाट्स
34.	दरियापुर	100 वाट्स
35.	देवरुख	100 वाट्स
36.	धाडगांव	100 वाट्स
37.	धर्माबाद	100 वाट्स
38.	धुले	100 वाट्स
39.	दिगलूर	100 वाट्स
40.	गढ़चिरोली	100 वाट्स
41.	गोंडिया	100 वाट्स
42.	हिंगनघाट	300 वाट्स
43.	हिंगोली	100 वाट्स
44.	इचलकरांजी	100 वाट्स
45.	जालना	500 वाट्स
46.	कानकौली	300 वाट्स
47.	कराड़	100 वाट्स
48.	करांजा	100 वाट्स
49.	खामगांव	300 वाट्स
50.	खानापुर	100 वाट्स
51.	खोपोली	100 वाट्स
52.	किनवार	100 वाट्स
53.	कोल्हापुर	100 वाट्स
54.	माहद	100 वाट्स
55.	मालेगांव	300 वाट्स
56.	मंगलवेधा	100 वाट्स
57.	मानगांव	100 वाट्स
58.	मनमाद	100 वाट्स
59.	मेहकर	100 वाट्स
60.	म्हासले	100 वाट्स
61.	मोरशी	100 वाट्स
62.	नान्देड़	100 वाट्स
63.	नंदूरबार	100 वाट्स
64.	नासिक	100 वाट्स

1	2	3
65.	नवापुर	100 वाट्स
66.	उस्मानाबाद	100 वाट्स
67.	पंढारकावाड़ा	100 वाट्स
68.	पंढ़ारपुर	100 वाठ्स
69.	परभनी	100 वाट्स
70.	पाटन (सतारा)	100 वाट्स
71.	फाल्टन	300 वाट्स
72.	फुलगांव	100 वाट्स
73.	पुसाद	100 वाट्स
74.	राजापुर	300 वाट्स
75.	रावेर	100 वाट्स
76.	रिसोद	100 वाट्स
77.	संगमनेर	100 वाट्स
78.	सांगली	500 वाट्स
79.	सतना	100 वाट्स
80.	सतारा	100 वाट्स
81.	शाहद	100 वाट्स
82.	शिरपुर	100 वाट्स
83.	शोल्हापुर	100 वाट्स
84.	सिरोंछा	100 वाट्स
85.	तुमसर	100 वाट्स
86.	उमेरगा	100 वाट्स
87.	उमेरखेद	100 वाट्स
88.	वानी	100 वाट्स
89.	वर्धा	100 वाट्स
90.	वाशिम	100 वाट्स
91.	यवतमाल	100 वाट्स
92.	अंबाजोगई (डीडी न्यूज)	100 वाट्स
93.	अकोला (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
94.	अमरावती (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
95.	भंडारा (डीडी न्यूज)	100 वाट्स
96.	धुले (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
97.	कोल्हापुर (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
98.	मालेगांव (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
99.	नांदेड़ (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
100.	नासिक (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
101.	सांगली (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
102.	शोलापुर (डीडी न्यूज)	500 वाट्स
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आरएलएस) (20)	
103.	आंबेत	50 वाट्स
104.	अर्जुनी	10 वाट्स
105.	अश्ती	10 वाट्स
106.	भोकर	10 वाट्स
107.	चिकलधारा	10 वाट्स
108.	चिमूर	10 वाट्स
109.	जुन्नार	10 वाट्स
110.	कांरजा (वर्धा)	10 वाट्स
111.	कारजत	10 वाट्स
112.	खेड़	10 वाट्स
113.	कोरेगांव	10 वाट्स
114.	कुरखेड़ा	10 वाट्स
115.	मलकापुर	10 वाट्स

1	2	3
116.	मालवन	10 वाट्स
117.	पिमपलनेर–सकरी	10 वाट्स
118.	साकोली	10 वाट्स
119.	सिंदेवाही	10 वाट्स
120.	तिवसा	10 वाट्स
121.	वसंगतगढ़	50 वाट्स
122.	वई	10 वाट्स
ट्रांसपोजर (1)		
123.	औरंगाबाद	10 वाट्स

विवरण-III

कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थान
बिहार	सहरसा (डी डी–I)
छत्तीसगढ़	बिलासपुर (डी डी–I)
गुजरात	राधनपुर (डी डी–I), करनाल (डी डी–I), वड़ोदरा (डी डी–न्यूज)
हरियाणा	हिसार (डी डी–I), करनाल (डी डी–I), हिसार (डी डी–न्यूज)
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला (डी डी–I), कसौली (डी डी–न्यूज)
जम्मू एवं कश्मीर	टिथवाल (डी डी–I)
केरल	कालीकट (डी डी–न्यूज)
मध्य प्रदेश	सागर (डी डी–I), छतरपुर (डी डी–I)
महाराष्ट्र	अंबाजोगई (डी डी–न्यूज)
पंजाब	भटिंडा (डी डी–न्यूज)
राजस्थान	बीकानेर (डी डी–I)
तमिलनाडु	तिरुनेलवेल्ली (डी डी–I), धर्मपुरी (डी डी–I)
पश्चिम बंगाल	खड़गपुर (डी डी–I), कुर्सियांग (डी डी–न्यूज)

रेल दुर्घटनाओं संबंधी प्रकाश नारायण समिति

2106. श्रीमती कृष्णा तीरथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दुर्घटनाओं संबंधी प्रकाश नारायण समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त समिति का प्रतिवेदन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेल दुर्घटनाओं के संबंध में कोई प्रकाश नारायण समिति गठित नहीं की गई है। बहरहाल, विभिन्न परिवहन क्षेत्रों जैसे, रेलवे, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन आदि में संरक्षा में सुधार लाने के प्रमुख उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत 1987 में एक राष्ट्रीय परिवहन संरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड को 1 अप्रैल, 1990 को समाप्त कर दिया गया था। श्री प्रकाश नारायण राष्ट्रीय परिवहन संरक्षा बोर्ड बोर्ड के अध्यक्ष थे।

राष्ट्रीय परिवहन संरक्षा बोर्ड को समाप्त करने के पश्चात् रेलवे से संबंधित कुछ सिफारिशें रेल मंत्रालय को भेजी गई थीं, जिन पर यथोपेक्षित कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

दलितों का उत्पीड़न

2107. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दलितों के विरुद्ध जाति आधार पर किए जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्यों वाले विद्यमान उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) भारत के संविधान

के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार 'अस्पृश्यता' समाप्त कर दी गई है तथा इस कुप्रथा की किसी भी रूप में मनाही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता फैलाने और इस कुप्रथा जिससे जाति आधारित विभेद उत्पन्न होता है, से उत्पन्न किसी बलात प्रयोग से की गई निर्योग्यता के लिए दंड निर्धारित है। यह महसूस किया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक दशा सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, वे सुभेद्य बने रहे और विभिन्न अपराधों, अप्रतिष्ठा, अपमान और उत्पीड़न का शिकार होते रहे हैं तथा यह कि मौजूदा कानून जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा भारतीय दंड संहिता के सामान्य उपबंधन अपर्याप्त पाए गए थे। इसलिए गैर–अनुसूचित जातियों एवं गैर–अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष विधान आवश्यक हो गया था। तदनुसार एक और कठोर विधान अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया था।

भारत सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम के उपबंधों को अक्षरशः कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर लिखती रही है। वह मुख्य रूप से प्रशासनिक, प्रवर्तन एवं न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, जागरूकता उत्पन्न करने, और प्रभावित व्यक्तियों के राहत व पुनर्वास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अत्याचार मामलों का शीघ्र अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 137 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नागालैंड, जो आदिवासी बहुल राज्य हैं, को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों ने भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया है।

इस प्रकार, भारत सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

बारासात-हसनाबाद में रेलवे स्टेशनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

2108. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि समस्त बारासात–हसनाबाद खंड में स्थित सभी स्टेशन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं और वर्षा ऋतु में यात्रियों के लिए लगभग अगम्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्टेशनों और संपर्क मार्गों की कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) बारासात–हसनाबाद खंड पर स्टेशनों की हालत संतोषजनक है। बहरहाल, कुछ स्टेशनों पर मौजूद कच्ची संपर्क सड़कें मानसून के दौरान बारिश से प्रभावित हो जाती हैं। प्रत्येक मानसून के बाद समग्र स्थिति की समीक्षा की जाती है और पहुंच मार्गों की मरम्मत करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं के तहत आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

लखनऊ-गोरखपुर लाइन का विद्युतीकरण

2109. योगी आदित्यनाथ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लखनऊ–गोरखपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस खंड पर विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। बहरहाल, लखनऊ–बाराबंकी खंड, जो कि लखनऊ–गोरखपुर लाइन का एक हिस्सा है, पहले से ही विद्युतीकृत है और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण बाराबंकी–गोरखपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एलएनजी पर भारत और ईरान के बीच समझौता

2110. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच भारत को एलएनजी की बिक्री के संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत और ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए जनवरी, 2003 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक खोजे गए तेल क्षेत्र में हिस्से के लिए ईरान से 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने के लिए एक प्रस्ताव है।

रेल हॉकर्स को पहचान-पत्र

2111. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल हॉकर्स और ठेकेदारों/श्रमिकों के लिए पहचान–पत्र जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्राधिकृत रेलवे खानपान ठेकेदारों के कर्मचारियों को फोटो पहचान–पत्र दिए जाएं। बहरहाल, रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में पाए जाने वाले अनधिकृत फेरीवालों को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाता है। चूंकि उनसे यात्रियों को असुविधा होती है, इसलिए इन्हें निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। अतः उन्हें पहचान–पत्र जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय का निर्माण

2112. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मातृभूमि के लिए वीरतापूर्वक जान न्यौछावर करने वाले जवानों के लिए राष्ट्रीय गर्व और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क किया गया है। अभी भूमि आवंटित की जानी है।

(ग) यह भूमि के आवंटन पर निर्भर करता है।

रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर दुग्ध/दुग्ध उत्पादों की बिक्री

2113. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वातित पेय की बिक्री बंद कर दी है और रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) इन उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए चुनी गई एजेंसियों के क्या नाम हैं और ऐसी एजेंसियों के चयन का मानदंड क्या है;

(घ) ऐसे परिवर्तन शुरू करने में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) क्या रेलवे ने प्रभावित पक्षों की शिकायतों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और नये परिवर्तन यात्रियों के लिए किस सीमा तक लाभदायक होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलों पर वातित पेय की बिक्री बंद नहीं की गई है। रेलवे को दुग्ध और और दुग्ध उत्पादों जैसे पेड़ा, छेना, रसगुल्ला, दही, कुल्फी, छाछ और मट्ठा की बिक्री को प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है।

(ग) उन एजेंसियों के नाम जो इस समय दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति कर रही हैं निम्नानुसार हैं :

1. मै. गुजरात को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड,
2. आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
3. मध्य प्रदेश दुग्ध संघ,
4. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डेयरी लिमिटेड,
5. राजस्थान डेयरी को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड,
6. कर्नाटक मिल्क फेडरेशन,
7. बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन आदि।

(घ) रेलवे पर दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की शुरुआत के संबंध में रेलवे की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात

2114. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन उद्योगों में इस गैस का इस्तेमाल किया जाएगा उनका राज्यवार और उद्योगवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस के आयात का प्रयास करती रही है। तथापि निर्यात के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त भंडारों के कारण बांग्लादेश सरकार ने इस चरण पर इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक रेडियो सेवा

2115. श्री सुरेश कुरुप : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक रेडियो के लिए सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) समुदायों द्वारा रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमति देना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है;

(ग) क्या लोक प्रतिनिधियों के साथ संबद्ध होकर सामुदायिक रेडियो नेटवर्क बनाने की प्रसार भारती की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार ने विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी/प्रबंधन संस्थानों सहित केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुप्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं को सामुदायिक रेडियो लाइसेंसों के लिए दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (http:www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) लाइसेंस स्थानीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके दिए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायतों के बजट/फंडों की लेखा-परीक्षा

2116. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों के बजट/फंडों की लेखा–परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक से कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद

243 जे के अनुसार, "राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा खातों के रख–रखाव तथा ऐसे खातों की लेखा–परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकती है।" इसलिए पंचायतों के बजट/निधियों की लेखा–परीक्षा कराने के लिए एजेंसी तय करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ग्यारहवें वित्त आयोग (2000–01 से 2004–05) द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकायों के अनुदानों के उपयोग हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों और यूएलबी के खातों के उचित रख–रखाव एवं उनकी लेखा परीक्षा पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ सी ए जी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रस्ताव भेजना चाहिए। दिशा–निर्देशों के अनुसार, बजट बनाने तथा स्थानीय निकायों के खातों का रूप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए। नवंबर, 2004 में गुवाहाटी में पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के छठे गोलमेज सम्मेलन में इस विषय पर और अधिक चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि

2117. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकानों के निर्माण के लिए किसी योजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि निर्माण सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता राशि कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही उक्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान मकानों के निर्माण के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना, जो ग्रामीण आवास की मुख्य योजना है को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को अपनी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। निधियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत भगा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी. पी.एल. परिवारों और 40 प्रतिशत भाग अन्य बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित किया जाता है। वर्ष 1999–2000 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों के उन्नयन की भी अनुमति है। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य के बीच 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है।

(ग) से (ङ) निर्माण सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना के मकान के लिए प्रति इकाई सहायता राशि को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ग्रामीण विकास मंत्रालय को निवेदन प्राप्त हुए थे। तदनुसार, 1.4.2004 से मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई सहायता को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22,000 रुपये से बढ़ाकर 27,500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे मकानों को पक्के मकानों (उन्नत) में बदलने के मामले में सभी क्षेत्रों के लिए अधिकतम सीमा को 10,000 रु. से बढ़ाकर 12,500 रु. कर दिया गया है।

(च) और (छ) चालू वित्तीय वर्ष (2004–05) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय आवंटन, रिलीज और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004–05 (अद्यतन) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय रिलीज और मकानों की लक्ष्य संख्या

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन*	केंद्रीय रिलीज	मकानों की लक्ष्य सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17981.83	9547.07	115083
2.	अरुणाचल प्रदेश	825.98	381.29	4966
3.	असम	18584.99	8424.36	111735
4.	बिहार	48846.34	26491.40	312617
5.	छत्तीसगढ़	3074.96	1537.52	19680
6.	गोवा	116.18	58.09	744
7.	गुजरात	5167.82	2583.96	33074
8.	हरियाणा	1747.40	873.74	11184
9.	हिमाचल प्रदेश	773.06	386.53	4648
10.	जम्मू और कश्मीर	924.74	485.12	5560
11.	झारखंड	14351.50	7175.81	91850
12.	कर्नाटक	9301.41	4518.47	59529
13.	केरल	5763.87	2881.98	36889
14.	मध्य प्रदेश	10730.71	5365.47	68676
15.	महाराष्ट्र	16503.47	8251.82	105622
16.	मणिपुर	984.83	275.03	5921
17.	मेघालय	1308.47	416.52	7866
18.	मिजोरम	314.12	157.08	1888
19.	नागालैंड	844.67	407.27	5078
20.	उड़ीसा	14476.04	7238.58	92646
21.	पंजाब	1157.56	578.79	7468
22.	राजस्थान	4876.10	2438.12	31207
23.	सिक्किम	226.45	113.23	1361
24.	तमिलनाडु	9030.00	4515.00	57792
25.	त्रिपुरा	1910.49	955.25	11486
26.	उत्तर प्रदेश	32923.88	16279.86	210713
27.	उत्तरांचल	3419.68	1709.84	20559
28.	पश्चिम बंगाल	19407.12	9685.61	124206
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	218.73	153.67	1050
30.	दादरा व नागर हवेली	114.78	0.00	551
31.	दमन व दीव	47.51	0.00	228
32.	लक्षद्वीप	3.72	3.72	18
33.	पांडिचेरी	108.59	40.44	521
	कुल	246067.00	123930.34	1562356

*अनंतिम।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन

2118. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरीक्षित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सहायक कार्यक्रमों यथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत औजार–किटों की आपूर्ति तथा

दस लाख कुंओं की योजना के अतिरिक्त गंगा कल्याण योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन करने के बाद 1999 में ग्रामीण निर्धन के स्वरोजगार के लिए एक समेकित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के शुरू होने के साथ ही पूर्व योजनाएं अब नहीं चल रही हैं। तथापि, 2001 में हुए स्वसहायता समूह आंदोलन तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा–निर्देशों में कुछ विशेष संशोधन किए गए हैं।

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिशा–निर्देशों में संशोधनों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ए.जी.एस.वाई.) के दिशा–निर्देशों में संशोधनों का सार

एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य :

एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर सहायताप्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस उद्देश्य को समाजिक जुटाव की प्रक्रिया, उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित करने के साथ–साथ बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के तालमेल से आयोपार्जक परिसंपत्तियों का प्रावधान कर हासिल किया जाना है।

मुख्य क्रियाकलापों की संख्या :

एक ब्लॉक में चुने गए मुख्य क्रियाकलापों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, उन 4–5 मुख्य क्रियाकलापों पर जोर दिया जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षित पूर्वापर संपर्कों के साथ बड़ी संख्या में समूहों के लिए एक सामूहिक नीति में प्रशिक्षण तथा लघु उद्यम विकास के लिए निर्धारित किया गया है।

आर्थिक क्रियाकलाप से आय

स्वरोजगारियों द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप से एक अंतराल में पर्यापत मात्रा में बढ़ती हुई आय सृजित होनी चाहिए जो स्वरोजगारियों को प्रभावी ढंग से गरीबी रेखा पार करने में मदद करेगी। डी.आर.डी.ए. सुनिश्चित कर सकती है कि परियोजना में किए गए अनुमान के अनुसार अनुमानित आय योजना अवधि के दौरान प्राप्त हो रही है और परियोजना का कम वित्तपोषण नहीं हुआ है।

स्वसहायता समूह का आकार :

एक स्वसहायता समूह में सामान्यतः 10–20 व्यक्ति होने चाहिए। तथापि, मरुभूमि जैसे दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ों तथा बिखरी एवं विरल आबादी वाले क्षेत्रों और लघु सिंचाई एवं विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5–20 तक हो सकती है। दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण राज्य स्तरीय एस.जी.एस.वाई. समिति द्वारा किया जाए।

स्वसहायता समूह का संघटन :

सामान्यतः समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से होने चाहिए। तथापि, यदि आवश्यक हो तो अधिकतम 20 प्रतिशत और आपवादिक मामलों में, जहां आवश्यक रूप से अपेक्षित हो, एक समूह में अधिकतम 30 प्रतिशत तक सदस्य सीमांत रूप से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों से हो सकते हैं, जो नियमित रूप से बी.पी.एल. परिवारों के साथ रह रहे हों और वे समूह के बी.पी.एल. सदस्यों द्वारा स्वीकार्य हों। समूह के ए.पी.एल. सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे और समूह के कार्यालय पदाधिकारी (समूह का नेता, समूह का सहायक नेता या खजांची) नहीं बन सकेंगे। बी.पी.एल. परिवारों को प्रबंध एवं नीति निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और इसे पूर्णरूप्ण ए. पी.एल. परिवारों के हाथों में नहीं होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के मामले में एक समूह में विभिन्न तरह की विकलांगता वाले व्यक्ति हो सकते हैं या समूह में गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग एवं जो विकलांग नहीं हैं दोनों तरह के व्यक्ति हो सकते हैं।

प्रेरकों/समुदाय समन्वयकों की सेवाओं के प्रयोग के लिए प्रावधान :

एस.जी.एस.वाई. प्रक्रियोन्मुखी योजना है, इसलिए स्व–सहायता समूहों के लिए लोगों के सामाजिक जुटाव, संगठन और पोषण में सुविधादाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के कई भागों में गैर–सरकारी संगठन नहीं हैं जिन्हें सुविधादाताओं के रूप में लगाया जा सके। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, डी.आर.डी.ए. को सुविधादाताओं के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं लेने की अनुमति दी गई है। डी.आर.डी.ए. समूह

विकास की प्रक्रिया शुरू करने और इसे बनाए रखने के कार्य में गैर–सरकारी संगठनों या समुदाय आधारित संगठनों या समुदाय समन्वयकों/प्रेरकों के नेटवर्क या सरकार के समर्पित कर्मचारियों के एक दल को समर्थन दे सकता है। समुदाय समन्वयक/प्रेरक प्राथमिक तौर पर समुदाय से हो सकते हैं या कुछ मामलों में बाहर से हो सकते हैं। वे स्वसहायता समूह के नेता/सदस्य हो सकते हैं या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें समुदाय संगठन एवं सामाजिक जुटाव के क्षेत्र में अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त हो। कार्यक्रम की सफलता के लिए सुविधादाता/समुदाय समन्वयक का चयन और उनका प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। अतः जिला एस.जी.एस.वाई. समिति सुविधादाताओं/समुदाय समन्वयकों के रूप में उपयुक्त संगठनों/सोसायटी/व्यक्तियों का चयन कर सकती है जो स्वसहायता समूह के गठन, समुदाय संगठन या किसी अन्य समान कार्य में उनके पिछले अनुभव पर आधारित हो जिसमें सहभागी नीति, संचार कुशलता, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ रहने की क्षमता आदि शामिल हैं। उन्हें समूह के साथ 2–3 वर्षों तक रहना होगा जिससे निरंतरता सुनिश्चित होने के साथ–साथ समूह एक स्वप्रबंधित संगठनों में विकसित हो पाने में सक्षम हो सकें। एक समुदाय समन्वयक/प्रेरक को एक भौगोलिक क्षेत्र के 10–15 स्वसहायता समूहों के प्रबंध की जिम्मेदारी उठानी चाहिए जिनमें 4–5 गांव शामिल हों जो 4–5 किलोमीटर की परिधि में फैले हों।

नए स्वसहायता समूह के गठन और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर अधिकतम 10000/– रुपये तक खर्च किया जा सकता है। गैरसरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/समुदाय.समन्वयकों/प्रेरकों को धनराशि का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा जो संशोधित दिशानिर्देशों में दिए गए तरीके से स्वसहायता समूह के विकास के स्तर पर आधारित होगा।

समूह निर्माण, विकास एवं प्रशिक्षण के लिए सुविधादाताओं के रूप में शामिल किए गए गैर–सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/समुदाय समन्वयकों/प्रेरकों के साथ समझौता करने के लिए डी.आर.डी.ए. एक समझौता ज्ञापन की युक्ति सुझा सकती है। समझौता ज्ञापन में समूह निर्माण और विकास में सुविधादाता की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद, सुविधादाता को दिया जाने वाला भुगतान विशेष रूप से समूह के विकास के स्तर तथा समग्र निष्पादन से संबंधित होना चाहिए। डी.आर.डी.ए. को आवधिक मूल्यांकनों के माध्यम से समूहों की प्रगति की निरंतर निगरानी करनी चाहिए।

निधियों के उपयोग में लोचपूर्णता :

एस.जी.एस.वाई. एक प्रक्रियोन्मुखी योजना है, अतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हो सकते हैं। मूल स्थिति सहित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, कौशल विकास, उद्यमवृत्ति विकास, स्वसहायता समूह की चल पूंजी तथा आर्थिक क्रियाकलाप के लिए सब्सिडी हेतु अपेक्षित निधि राज्य–दर–राज्य अलग–अलग हो सकती है। डी.आर.डी.ए. स्थानीय आवश्यकताओं एवं समूह निर्माण के विभिन्न स्तरों पर आधारित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, चल पूंजी एवं आर्थिक क्रियाकलाप के लिए सब्सिडी जैसे विभिन्न घटकों पर व्यय को प्राथमिकता प्रदान कर सकती है। तथापि, आधारभूत सुविधा पर व्यय कुल वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। स्वरोजगारियों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसलिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को इस पर अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए और पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में आयसृजक परिसंपत्तियां अर्जित करने में स्वरोजगारियों को सक्षम बनाना चाहिए।

उत्पादों के विपणन अनुसंधान/मूल्य संवर्द्धन से संबंधित अध्ययन के लिए प्रावधान :

योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में से 5 लाख रुपये विपणन अनुसंधान, मूल्य संवर्द्धन अथवा उत्पाद विविधीकरण अथवा अन्य कोई निवेश, जो व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने और उत्पाद के विपणन में सुविधा प्रदान करेगा और जिससे स्वरोजगारियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और प्रतिरूप (मॉडल) के विकास को फिर से लागू किया जा सकेगा, से संबंधित व्यावसायिक निवेश के प्रबंधन पर खर्च किया जा सकता है।

स्वसहायता समूह एवं अपंग व्यक्तियों के लिए सब्सिडी मानदंड :

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत पर एक समान होगी, जो अधिक से अधिक 7500/– रुपये हो सकती है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अपंग व्यक्तियों के मामले में ये क्रमशः 50 प्रतिशत और 10,000/– रुपये होगी। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी जो प्रति व्यक्ति 10,000/– रुपये अथवा 1.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी पर कोई आर्थिक सीमा नहीं होगी।

प्रशिक्षण पर व्यय :

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बुनियादी अभिमुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति एस.जी.एस.वाई. निधि से करने की हकदार होगी। बुनियादी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में स्वसहायता की अवधारणा, समूह गतिकी, विवाद समाधान, समूह बैठकों का संचालन, अभिलेखों का रख–रखाव, समाज एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों आदि के बारे में जागरूकता से संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण में नवीनतम औजारों एवं प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के जरिए कौशल उन्नयन, मूल्य संवर्द्धन एवं उत्पादों का विविधीकरण, उद्यमिता विकास, विपणन कौशल, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि शामिल हो सकती हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बुनियादी अभिमुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति एस.जी.एस.वाई. निधि से करने की हकदार होगी।

बुनियादी अभिमुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय 5,000/– रुपये से अधिक नहीं होगा। गतिविधियों के आधार पर और सभी जिलों में प्रशिक्षण अवधि में एकरूपता लाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।

कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत सहायता चुने गए स्वरोजगारियों के लिए ही शुरू की जाएगी।

स्वरोजगारियों के लिए मेलों एवं प्रदर्शनियों पर व्यय :

मेले, प्रदर्शनी आयोजित करने और मेले एवं प्रदर्शनियों में स्वरोजगारियों के भाग लेने में हुए व्यय एस.जी.एस.वाई. कार्यक्रम आधारभूत संरचना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से पूरा किया जाएगा।

स्वसहायता समूह के श्रेणीकरण के लिए समय में छूट :

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए द्वितीय श्रेणीकरण के समय में छूट तभी दी जाएगी जब समूह विश्वसनीय और परियोजना व्यवहार्य हो। समय में छूट दिए जाने संबंधी निर्णय (ब्लाक स्तरीय) एस.जी.एस.वाई. समिति द्वारा लिए जाएंगे।

यदि स्वसहायता समूह एस.जी.एस.वाई. से पहले अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत अस्तित्व में रहे हों और अपने गठन की तारीख से छः/बारह महीने की अवधि पूरी कर ली हो और इसे एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लाया गया हो तो ऐसे समूह का क्रमशः आवर्ती निधि/आर्थिक गतिविधि की मंजूरी के लिए अलग से छः/बारह महीने की प्रतीक्षा किए बिना प्रथम/द्वितीय श्रेणीकरण किया जा सकता है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उपकरणों का वितरण

2119. श्री पी. सी. थामस : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त उपकरण वितरण करने के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषतः केरल में आयोजित किए गए शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक शिविर में लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिक सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2003–04 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता स्कीम (एडिप) के तहत केरल के 12 जिलों यथा–अल्लापूजा, एर्नाकुलम, इडिब्बी, कॉलम, कोटायम, कोझिकोड, मल्लपुर, पालघाट, पाटनथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, त्रिसूर, वेनाड में शिविर लगाए गए। केरल राज्य में ऐसे शिविर लगाने के लिए मंत्रालय ने 19.29 लाख रुपये का अनुदान दिया है।

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान, (लगभग) 2,38,278 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस स्कीम के तहत दी गई सहायता की राज्यवार सूचना मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एडिप स्कीम के अनुसार सहायक उपकरणों के वितरण के लिए अनुदान दिए जाएंगे। सरकार ने 2004–05 के लिए बजट आवंटन 60 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है ताकि और अधिक लाभार्थियों को शामिल किया जा सके।

डिब्रूगढ़, असम में गैस क्रैकर परियोजना

2120. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्रूगढ़, असम में गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या नीति अपनाई गई और ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) असम में कई हजार करोड़ रुपयों के प्राकृतिक गैस के निरर्थक जलते जाने को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन से उचित तकनीकी और वैज्ञानिक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) गत डेढ़ दशकों से डिब्रूगढ़ में गैस क्रैकर परियोजना स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ग) असम राज्य सरकार के उपक्रम असम और औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) को 3 लाख टन प्रतिवर्ष (टीपीए) एथीलीन गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था। बाद में एआईडीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरएपीएल) को एलओआई हस्तांतरित कर दिया गया था। परियोजना की क्षमता कम करके 2 लाख टन कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने 1994 और 1997 में उक्त परियोजना के लिए विभिन्न प्रोत्साहन–रियायतें अनुमोदित की हैं जिनमें 600 रुपये प्रति हजार घन मीटर गैस की रियायती और स्थिर दर पर फीडस्टाक की आपूर्ति शामिल है। आरएपीएल ने 5 मिलियन मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) की आपूर्ति के लिए ओआईएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ओएनजीसी 1.35 एमएमएससीएमडी गैस उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। गैस की आपूर्ति में कमी की भरपाई करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति की जाएगी। तेल कंपनियों को राजसहायता देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक राजसहायता के वित्तपोषण के मामले को सुलझाया जाना है।

(ख) असम में गैस का दहन मुख्यतया तकनीकी कारणों से और ऐसे छोटे अलग–थलग स्थित क्षेत्रों में किया जाता है जिसे उपयोग के लिए मुख्य गैस ग्रिड के साथ जोड़ना किफायती नहीं होता है। तथापि असम में गैस दहन कम करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न उपाय किए गए हैं :

1. निम्न दबाव बूस्टर कम्प्रेशर लगाना।
2. नए क्षेत्रों को गैस नेटवर्क से जोड़ना।
3. अलग–थलग स्थित क्षेत्रों के निकट छोटे उपभोक्ताओं की तलाश करना इत्यादि।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न

2121. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, इसमें कौन–कौन सी एजेंसियां शामिल हैं और उन्हें क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण रोजगार योजनाएं शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है और गरीबों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषतः आंध्र प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(च) आज की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मुफ्त उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है;

(छ) इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र के बीच लागत हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अपने आप में ही ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें नकद और खाद्यान्न, दोनों प्रकार के घटक हैं। लगभग 50% संसाधन नकद रूप में हैं।

(घ) योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 2003–04 में एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत सृजित श्रमदिनों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ङ) 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 (अब तक) के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत रिलीज किए गए केंद्रीय अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(च) 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 (अब तक) के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत प्राधिकृत तथा उठाए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(छ) योजना आवंटन आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसाधनों का आवंटन कतिपय पूर्व–निर्धारित मानदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है। योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन, निष्पादन तथा निगरानी संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाती है।

(ज) एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत कार्यक्रम का नकद घटक केंद्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र शत–प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत खाद्यान्न मुफ्त दिए जाते हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	सृजित श्रमदिन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	445.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.42
3.	असम	637.20
4.	बिहार	421.76
5.	छत्तीसगढ़	283.98
6.	गोवा	0.49
7.	गुजरात	252.77
8.	हरियाणा	68.87
9.	हिमाचल प्रदेश	39.06
10.	जम्मू और कश्मीर	47.89
11.	झारखंड	282.36
12.	कर्नाटक	566.07
13.	केरल	100.86
14.	मध्य प्रदेश	585.21
15.	महाराष्ट्र	630.96
16.	मणिपुर	10.32
17.	मेघालय	34.37
18.	मिजोरम	15.38
19.	नागालैंड	610.06
20.	उड़ीसा	618.57
21.	पंजाब	46.00
22.	राजस्थान	268.62
23.	सिक्किम	8.21
24.	तमिलनाडु	512.06
25.	त्रिपुरा	126.96
26.	उत्तरांचल	75.98
27.	उत्तर प्रदेश	893.54

1	2	3
28.	प. बंगाल	407.08
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.42
30.	दादरा व नागर हवेली	0.00
31.	दमन व दीव	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.01
33.	पांडिचेरी	1.42
	अखिल भारत	8010.45

विवरण-II

केंद्रीय रिलीजें (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002–2003	2003–2004	2004–2005*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24380.17	23995.5	14092.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	824.26	1560.75	630.82
3.	असम	22496.96	29681.01	19420.80
4.	बिहार	26727.42	34203.1	27592.20
5.	छत्तीसगढ़	12013.04	12023.34	7865.18
6.	गोवा	75.04	110.36	128.63
7.	गुजरात	6942.87	9654.67	6169.98
8.	हरियाणा	5610.37	5599.45	3250.42
9.	हिमाचल प्रदेश	2046.90	2394.67	1207.36
10.	जम्मू और कश्मीर	2051.61	10803.04	1430.19
11.	झारखंड	17584.68	26675.15	18926.12
12.	कर्नाटक	17429.04	19428.39	10523.85
13.	केरल	7665.17	8896.74	4722.06
14.	मध्य प्रदेश	26872.02	26705.26	16985.19
15.	महाराष्ट्र	28960.58	31212.1	20016.85
16.	मणिपुर	669.80	1331.4	320.18
17.	मेघालय	1905.92	2055.44	463.64
18.	मिजोरम	573.88	757.86	337.90
19.	नागालैंड	667.28	1168.08	572.10
20.	उड़ीसा	27406.55	24743.95	15940.39
21.	पंजाब	3848.98	4620.08	3615.34
22.	राजस्थान	14904.76	13860.68	7991.19
23.	सिक्किम	439.18	703.55	374.11
24.	तमिलनाडु	21181.09	23318.54	12322.86
25.	त्रिपुरा	3850.07	3991.89	2353.68
26.	उत्तरांचल	4398.54	5355.75	3145.57
27.	उत्तर प्रदेश	66092.08	65695.85	47097.04
28.	पश्चिम बंगाल	20649.89	21453.96	15738.10
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	42.32	97.4	0.00
30.	दादरा व नागर हवेली	61.40	41.13	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	28.57	28.57
33.	पांडिचेरी	112.61	136.13	0.00
	अखिल भारत	368463.58	412103.79	263262.63

*2004-05 के दौरान पहली किस्त के रूप में रिलीज की गई।

विवरण-III

(खाद्यान्न मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य	2002–03		2003–04		2004–05*
		प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	285972	234429	258617	279595	195933
2.	अरुणाचल प्रदेश	5033	0	5196	0	0
3.	असम	343445	281667	371484	448329	270019
4.	बिहार	253388	216930	377859	240126	382829
5.	छत्तीसगढ़	146422	135648	208689	129897	109354
6.	गोवा	865	43	129	30	1789
7.	गुजरात	75852	123269	156512	47160	85786
8.	हरियाणा	68495	86269	60752	53918	45194
9.	हिमाचल प्रदेश	23813	15617	26859	19932	16788
10.	जम्मू और कश्मीर	25198	38982	28480	33494	19875
11.	झारखंड	146377	36191	283853	258647	263141
12.	कर्नाटक	272218	247780	346261	291110	146323
13.	केरल	120948	54816	94235	61308	65656
14.	मध्यप्रदेश	333920	286270	385152	244639	236155
15.	महाराष्ट्र	279014	237126	363638	353733	278307
16.	मणिपुर	8218	5467	1883	6263	4452
17.	मेघालय	25102	6350	26338	12881	6446
18.	मिजोरम	7794	7962	9189	7809	4699
19.	नागालैंड	6559	7136	17253	2751	7232
20.	उड़ीसा	335023	295587	277998	302137	221630
21.	पंजाब	47103	33913	50266	47884	50267
22.	राजस्थान	183856	159116	224972	212720	111108
23.	सिक्किम	4819	2760	8534	6221	5201

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	260011	252979	244627	247381	171332
25.	त्रिपुरा	53912	42250	50210	58939	32724
26.	उत्तरांचल	51329	19850	57984	63026	43735
27.	उत्तर प्रदेश	908014	718272	776170	477023	654820
28.	पश्चिम बंगाल	251184	207514	262879	275598	218816
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	379	0	1315	510	0
30.	दादरा व नागर हवेली	560	0	555	0	0
31.	दमन ब दीव	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	421	0	0
33.	पांडिचेरी	1401	1248	1591	562	0
	अखिल भारत	4525824	3755461	4996901	4183723	3650411

*2004-05 के दौरान पहली किस्त के रूप में प्राधिकृत।

करगिल, लद्दाख में आकाशवाणी केंद्र

2122. श्री छेवांग थुपस्तन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम और मंत्रालयीय कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण करगिल लद्दाख में आकाशवाणी केंद्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस केंद्र में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(घ) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। यह केंद्र उचित रूप से और सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) संस्वीकृत पदों, रिक्त पड़े पदों की संख्या और रिक्ति की अवधि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) भर्ती बोर्ड के न होने के कारण सीधी भर्ती के कोटे से संबंधित पदों को भरना संभव नहीं है। पदोन्नति कोटे से संबंधित पदों के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के पश्चात् पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पदों के नाम	संस्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पड़े पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	2	3	4
कार्यक्रम स्टाफ			
कार्यक्रम निष्पादक	दो	शून्य	
फार्म व रेडियो अधिकारी	ए	शून्य	
कार्यक्रम सहायक/ प्रसारण निष्पादक	एक	एक	6.7.1999

1	2	3	4
सहायक संपादक/ प्रसारण निष्पादक	एक	एक	14.8.1997
प्रसारण निष्पादक	एक	एक	–वही–
उद्घोषक/सूत्रधार (कम्पेयर)	एक	एक	–वही–
अनुसचिवीय स्टाफ			
प्रधान लिपिक	एक	शून्य	
प्रवर श्रेणी लिपिक	दो	एक (पदोन्नति रिक्ति)	19.6.2003
आशुलिपिक, श्रेणी–III	एक	एक	14.8.2000
अवर श्रेणी लिपिक	तीन	तीन	29.5.2000 30.9.2000 20.8.2001
मोटर ड्राइवर	एक	शून्य	
चपरासी	एक	शून्य	

वारांगल में साउंड एंड लाइट शो

2123. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार वारांगल ने 1000 खंभों वाले मंदिर में एक साउंड एंड लाइट शो आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ समय से प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कल्याण मंडप के पुनर्निर्माण तथा साथ ही रुद्रेश्वर मंदिर की मरम्मत के चल रहे कार्य को ध्यान में रखकर ट्रांसफार्मर को लगाने तथा नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोई जगह नहीं दे सकता।

(घ) मरम्मत कार्य पूरा करने के बाद, पूजा–अर्चना को जारी रखने की आवश्यकता और स्थान की कमी को ध्यान में रखकर, प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

काजीगुंड-बारामूला रेल परियोजना पर कार्य को रोकना

2124. श्री पी. के. वासुदेवन नायर :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा इरकॉन के इंजीनियर सुधीर कुमार और उनके भाई की हत्या किए जाने के बाद इरकॉन ने अपने इंजीनियर हटाकर महत्वपूर्ण काजीगुंड–बारामूला रेल परियोजना पर कार्य रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इरकॉन कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और परियोजना पर कार्य पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि 25.6.2004 को पता चला 23.6.2004 को श्री सुधीर कुमार और उनके भाई का अपहरण और निर्दयता से कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण इस परियोजना से इरकॉन इंजीनियरों को हटा लिया गया था।

(ग) पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इस मामले को जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

बाहरी निर्माताओं की भागीदारी

2125. श्री बीर सिंह महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडी–2, दूरदर्शन के मेट्रो चैनल हेतु धारावाहिकों के निर्माण में बाहरी निर्माताओं की भागीदारी की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रकृति क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के डीडी–2 (मेट्रो) चैनल को पहले ही बंद कर दिया गया है और इसकी सुविधाओं को डीडी न्यूज चैनल में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में खुर्दा रोड मंडल में गैंगमैन की कमी

2126. श्री परसुराम माझी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में खुर्दा रोड मंडल में गैंगमैन और अन्य वर्ग के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश का उपयोग उच्च अधिकारियों के क्वार्टरों पर घरेलू नौकर के रूप में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में रेल अधिकारियों के घरों में कार्य कर रहे गैंगमैन और अन्य वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से वे घरेलू नौकर की तरह काम कर रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम शोधन की क्षमता

2127. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में इस समय पेट्रोलियम शोधन की क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 2003–04 के दौरान पेट्रोलियम शोधन की कितनी क्षमता बढ़ाई गई है;

(ग) क्या सरकार अपनी पेट्रोलियम शोधन की क्षमता को और बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिनांक 31.3.2004 को सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की शोधन क्षमता 92.968 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (मि.मी. ट.प्र. वर्ष) थी।

(ख) वर्ष 2003–2004 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की पेट्रोलियम शोधन क्षमता में 2.3 मि.मी. ट. प्र. वर्ष तक वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों का 13,223 करोड़ रुपये की लागत से अपनी मौजूदा रिफाइनरियों की संस्थापित क्षमता का 19.33 मि.मी. ट.प्र. वर्ष तक विस्तार करने की योजना है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा चार ग्रासरूट रिफाइनरियों की कुल संस्थापित क्षमता 31 मि.मी. ट.प्र. वर्ष तक करने की भी योजना है, जिसके लिए उनके द्वारा दसवीं योजना अवधि में 6247.11 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. संबंधी निगरानी समिति

2128. डा. राम लखन सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 लोगों की आबादी वाले गांव शामिल किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की गुणवत्ता की निगरानी हेतु कोई निगरानी समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि (2007) के अंत तक बेहतर बारहमासी सड़कों के जरिए 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराना है पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल), मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूचित–V) क्षेत्रों के संबंध में योजना का उद्देश्य 250 तथा इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। वास्तविक कवरेज निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत त्रि–स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के जरिए गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाना होता है, जिसके पहले दो स्तर राज्य सरकार स्तर पर होते हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) सड़क कार्यों की गुणवत्ता की औचक आधार पर जांच करने के लिए तीसरे स्तर के रूप में राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों को नियुक्त करती है। राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों की रिपोर्टें राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरीक्षकों द्वारा पता लगाए गए किसी प्रकार के अतिक्रमण–कमियों को दूर किया जा सके तथा पी.एम.जी. एस.वाई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध यथापेक्षित कार्रवाई की जा सके।

(ङ) मार्च, 2004 तक स्वीकृत कार्यों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य (करोड़ रु. में)	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	918.53	3733
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.46	341
3.	असम	429.64	613
4.	बिहार	452.87	968
5.	छत्तीसगढ़	1086.24	1034
6.	गोवा	15.16	120
7.	गुजरात	279.61	1072
8.	हरियाणा	173.83	85
9.	हिमाचल प्रदेश	446.37	743
10.	जम्मू और कश्मीर	171.69	178
11.	झारखंड	472.10	501
12.	कर्नाटक	424.70	1709
13.	केरल	85.40	270
14.	मध्य प्रदेश	2089.72	2489
15.	महाराष्ट्र	680.28	2150
16.	मणिपुर	120.71	790
17.	मेघालय	115.67	317
18.	मिजोरम	201.85	78
19.	नागालैंड	124.23	185
20.	उड़ीसा	961.81	1722
21.	पंजाब	139.03	449
22.	राजस्थान	1385.40	3289

1	2	3	4
23.	सिक्किम	86.27	81
24.	तमिलनाडु	550.51	2230
25.	त्रिपुरा	76.60	247
26.	उत्तर प्रदेश	1564.59	8599
27.	उत्तरांचल	258.93	213
28.	पश्चिम बंगाल	1044.81	754
	कुल	14484.01	34960

टीवी ट्रांसमीटर टावर

2129. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित बहुत से टी.वी. ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार होने के बावजूद भी प्रचालन में नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन टीवी ट्रांसमीटरों को कब स्थापित किया गया था और उनके अभी तक कार्य न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन ट्रांसमीटर टावरों में कर्मचारियों की तैनाती हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) बारह अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार हैं तथा उन्हें अभी चालू किया जाना है।

(ख) ट्रांसमीटर पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित किए गए हैं। इन ट्रांसमीटरों के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु स्टाफ अभी संस्वीकृत किया जाना है।

(ग) स्टाफ की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पंचायती राज सांविधिक संशोधन की संकल्पना का उल्लंघन

2130. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें पंचायतों द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायत राज सांविधिक संशोधन की संकल्पना का उल्लंघन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारें संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम 1992 का उल्लंघन नहीं कर रही हैं पर चूंकि पंचायतों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243 जैड डी के साथ पठित भाग–IX के प्रावधानों के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की गुंजाइश है, अतः पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों की गोल मेज बैठकों की एक श्रृंखला निम्नलिखित समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जा रही है।

गोल मेज सम्मेलन-I

शनिवार–रविवार, 24–25 जुलाई : कोलकाता : 'पंचायती राज : प्रभावी अंतरण', कार्य, कर्मी और निधियों के साथ–साथ ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण।

गोल मेज सम्मेलन-II

शनिवार–रविवार, 28–29 अगस्त : बंगलौर : 'पंचायती राज : योजना और कार्यान्वयन तथा ग्रामीण व्यापार केंद्र', समानांतर निकायों के विषय सहित।

गोल मेज सम्मेलन-III

बुधवार–गुरुवार, 22–23 सितंबर : रायपुर 'पंचायती राज में आरक्षण', जिसमें अनुसूचित जनजाति (पैसा के कार्यान्वयन सहित), अनुसूचित जाति और महिलाएं शामिल हैं।

गोल मेज सम्मेलन-IV

शनिवार–रविवार, 2–3 अक्तूबर : चंडीगढ़ : 'संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज और पंचायती राज न्याय प्रक्रिया'।

गोल मेज सम्मेलन-V

बुधवार–गुरुवार, 27–28 अक्तूबर : उत्तरांचल (स्थान निर्धारित किया जाना है) : 'पंचायतों की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट' (अंतरण अनुसूची की तैयारी सहित)।

गोल मेज सम्मेलन-VI

शनिवार–रविवार, 27–28 नवंबर : गुवाहाटी : 'पंचायती राज चुनाव और लेखा परीक्षा'।

गोल मेज सम्मेलन-VII

शनिवार–रविवार, 11–12 दिसंबर : पुणे : 'पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण'।

[हिन्दी]

झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन

2131. श्री मनोज कुमार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत झारखंड में बनाई जाने वाली सड़कों का लक्ष्य क्या रहा;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में दूरस्थ गांवों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने की कोई योजना थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) योजना के अंतर्गत जिला–वार और सड़क–वार व्यय का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) 2000–01 से 2003–04 के लिए झारखंड के संबंध में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या 501 है।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि के अंत तक बेहतर बारहमासी सड़कों के जरिए 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी संपर्क विहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल), मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूचित–V) क्षेत्रों के संबंध में योजना का उद्देश्य 250 तथा इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत प्रगति बजट आवंटन से संबंधित है, जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सड़क कार्यों/निर्मित सड़कों के बारे में जिला स्तरीय आंकड़े नहीं रखता। राज्यों को चरण–वार निधियां रिलीज की जाती हैं। अब तक झारखंड को रिलीज की गई निधियों तथा राज्य द्वारा बताए गए इनके उपयोग का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)		सड़क कार्यों की संख्या	
	रिलीज की गई	उपयोगी की गई	अनुमोदित	पूर्ण
2000–01 (चरण–I)	123.92	115.16	168	98
2001–03 (चरण–II)	230.00	134.28	202	35

इसके अतिरिक्त, 2003–04 में 131 सड़क कार्यों को स्वीकृत किया गया था जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन संबंधी कदम उठाए जाने हैं।

[अनुवाद]

ल्यूब आयल की बिक्री हेतु छूट

2132. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईबीपी के डीलरों तथा स्टाकिस्टों को ग्राहकों को ल्यूब आयल बेचने हेतु भिन्न–भिन्न छूटें दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डीलरों को स्टाकिस्टों की तुलना में बाजार में ल्यूब आयल बेचने में कठिनाई होती है;

(ग) क्या आईबीपी के खुदरा विक्रय केंद्रों को प्रतिवर्ष बिक्री हेतु ल्यूब आयल की भारी मात्रा उठाने के लिए बाध्य किया जाता है;

(घ) क्या खुदरा विक्रय केंद्रों द्वारा ल्यूब आयल की बिक्री एमएस/एचएसडी की बिक्री से जुड़ी है और यदि नहीं तो कंपनी की क्या नीति है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव कंपनी की उपर्युक्त नीति में सुधार लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) मुख्यतः निजी कंपनियों

के साथ प्रतिस्पर्द्धी करने के लिए आईबीपी खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) तथा बाजार ट्रेड के लिए एक विशिष्ट मूल्यनिर्धारण संरचना को अपनाया है।

(ख) ल्यूब तेल की बिक्री के लिए डीलरों और स्टाकिस्टों के लिए ग्राहक आधार भिन्न होते हुए भी, स्टाकिस्टों की तुलना में ल्यूब तेल की बिक्री में डीलरों को कोई कठिनाई नहीं होती।

(ग) जी, नहीं। आईबीपी अपने डीलरों से यह अपेक्षा करते हैं कि ईंधन और स्नेहकों की सभी प्रकार की मांग के लिए अपने ग्राहकों को एक सकल स्थल सेवा देते हुए सामान्य कारोबार करें।

(घ) गाड़ियों की किस्म तथा बिक्री केंद्र के व्यापार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए खुदरा बिक्री केंद्र की एमएस/एचएसडी बिक्रियों के आधार पर ल्यूब तेल की बिक्री आधारित है।

(ङ) और (च) विशेष रूप से निजी कंपनियों के साथ अपने डीलरों/स्टाकिस्टों द्वारा भारी प्रतिस्पर्द्धी का सामना करने के कारण कंपनी द्वारा समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

जिप्सम की दुलाई में छूट

2133. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत चार वर्षों के कुल उत्पादन के संबंध में रेलवे द्वारा ढोये गए जिप्सम की मात्रा के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव जिप्सम को 130 से 110 श्रेणियों में लाने और 20 प्रतिशत की छूट देने पर विचार करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सकरार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजस्थान में पिछले चार वर्षों यथा 1999-2000 से 2002-03 तक जिप्सम के उत्पादन के संबंध में कोयला एवं खान मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर इस अवधि के दौरान रेलवे द्वारा जिप्सन की दुलाई की प्रतिशत दर लगभग 38% बनती है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। 2003-04 के रेल बजट में जिप्सम के सभी भौतिक रूप यथा लंप्स, पाउडर, मोल्ड्स इत्यादि के लिए गाड़ी भार में सिंगल यूनिफार्म क्लास-120 और मालडिब्बों के लिए क्लास-125 निर्धारित की गई थी जबकि इससे पहले के वर्गीकरण में गाड़ी भार के लिए क्लास-120 से क्लास-125 तथा मालडिब्बा भार के लिए क्लास-125 से क्लास-130 तय की गई थी। रेलवे के संचालन व्यय में वृद्धि के बावजूद 2004-05 के रेलवे बजट में जिप्सम के मालभाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

कटनी-इलाहाबाद खंड का विद्युतीकरण

2134. श्री गणेश सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कटनी-इलाहाबाद खंड का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माणिपुर-इलाहाबाद रेलखंड पर अभी भी इकहरी लाइन है;

(घ) यदि हां, तो विद्युतीकरण करने और वहां दोहरी लाइन बिछाने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतकीरण की सापेक्ष प्राथमिकता की वजह से फिलहाल कटनी-इलाहाबाद रेल लाइन को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) मानिकपुर छेऊकी (इलाहाबाद) के दोहरीकरण का कार्य चरणों में किया जा रहा है। मिट्टी और पुल निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(ङ) 2004-05 के दौरान मानिकपुर-कताईयेरडांडी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष खंड को पूरा करने का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़ी अगड़ी जातियों को पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां

2135. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन में आर्थिक रूप से पिछड़ी अगड़ी जातियों और कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) वर्तमान में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपों के 50% का आरक्षण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार किया गया है :

(i) रक्षा कार्मिक	–	8%
(ii) स्वतंत्रता सेनानी	–	2%
(iii) उत्कृष्ट खिलाड़ी	–	2%
(iv) अर्ध सैनिक/पुलिस/	–	8%
(v) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	–	5%
(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	–	25%

किसी अन्य श्रेणी विशेष के लिए और आरक्षण प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नई आधुनिक सिग्नल प्रणाली

2136. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सिग्नलों के प्रचालन में मानवीय भूलों से बचने के लिए नई आधुनिक सिग्नल प्रणाली–रूट रिले इंटरलॉकिंग लगाई है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली की संस्थापना हेतु किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ग) विभिन्न जोनों में नई प्रणाली की संस्थापना हेतु किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(घ) उपर्युक्त प्रणाली हेतु रेलवे द्वारा संस्थापना लागत पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय रेल द्वारा कब तक इस प्रणाली की संस्थापना किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। गतायु सिगनलिंग परिसंपत्तियों के स्थान पर आधुनिक रिले/इलेक्ट्रॉनिक आधारित रूट सेटिंग टाइप की इंटरलॉकिंग प्रणालियां मुहैया कराई जा रही हैं। आधुनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में सेंट्रल कंट्रोल पैनल पर प्रवेश और निर्गम बटन दबाकर तीव्र रूट सेटिंग उपलब्ध होती है, जिससे बेहतर परिचालनिक कुशलता, लोचशीलता और अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। चूंकि इस प्रणाली के अंतर्गत रेलपथ उपयोग का प्रमाणन और कांटे और सिगनलों के बिजली से परिचालन के लिए यार्ड की पूरी ट्रैक सर्किटिंग होती है और रेल परिचालन मे मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है, जिससे रेल परिचालन में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

(ग) ऐसे 1550 स्टेशन हैं, जिन पर यह प्रणाली उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। 1.7.2004 को उन स्टेशनों, जिन पर यह प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है की रेलवे–वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) स्टेशन पर ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रति स्टेशन औसत लागत 1.5 करोड़ रु. है, जो कि स्टेशन के आकार के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(ङ) ऐसे स्वीकृत कार्य जो प्रगति पर हैं उन्हें निधि की उपलब्धता के आधार पर अगले 3–4 वर्षों में पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण

रेलवे	स्टेशनों की संख्या जिन पर यह व्यवस्था की गई है
1	2
मध्य रेलवे	118
पूर्व रेलवे	195
उत्तर रेलवे	263
पूर्वोत्तर रेलवे	22

1	2
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	43
दक्षिण रेलवे	55
दक्षिण मध्य रेलवे	101
दक्षिण पूर्व रेलवे	132
पश्चिम रेलवे	44
पूर्व मध्य रेलवे	130
पूर्व तट रेलवे	99
उत्तर मध्य रेलवे	154
उत्तर पश्चिम रेलवे	13
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	71
दक्षिण पश्चिम रेलवे	34
पश्चिम मध्य रेलवे	76
कुल	1550

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की कमी

2137. डा कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय से संबंधित कुछ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। 9वीं योजना अवधि और 10वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, योजना आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा की और निम्नलिखित कुछ स्कीमों के युक्तीकरण और विलय की सिफारिश की :

9वीं योजना में स्कीम का नाम	विलय की गई स्कीम का नाम
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक स्कीम	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और पुस्तक बैंक
अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास
अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग आर्थिक मापदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग
अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

त्रिपुरा में मालडिब्बों की कमी

2138. श्री खगेन दास : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और विशेषकर त्रिपुरा में निर्माण सामग्रियों की ढुलाई हेतु रेल माल डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई हेतु त्रिपुरा राज्य सरकार और त्रिपुरा की विभिन्न अन्य एजेंसियों और संगठनों द्वारा कितने माल डिब्बों की मांग की गई है; और

(घ) उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रांची के लिए सीधा रेल मार्ग

2139. श्री सुनिल कुमार महतो : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा नगर से रांची तक, चंदिल–नामकोम से होते हुए सीधी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रांची से कांद्रा के लिए एक नई बड़ी लाइन के यातायात सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, कांद्रा से नामकोम तक नई बड़ी लाइन के लिए टोही इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण को बजट 2004–05 में शामिल कर लिया गया है। कांद्रा से टाटानगर पहले ही एक सीधी रेल लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड में कर्मचारियों का उत्पीड़न

2140. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड में कर्मचारियों के उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोके जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारत सरकार, सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान तथा मारुति उद्योग लि. (एमयूएल), के बीच दिनांक 15.5.2002 को हस्ताक्षरित संशोधित संयुक्त उद्यम समझौते (आरजेवीए) में निहित शर्तों के अनुसार, सुजुकी मोटर कारपोरेशन (एमएमसी) एक प्रमुख शेयर धारक बन गया है तथा इस प्रकार एमएमसी मारुति उद्योग लिमिटेड के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। आरजेवीए के अनुच्छेद 2.5.2 के अतर्गत मारुति उद्योग लिमिटेड का बोर्ड अकेले नियुक्तियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य श्रमिक एवं कार्मिक मामलों से संबंधित विषयों के साथ–साथ विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर बिना किसी हस्तक्षेप के निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा। इस मंत्रालय में समय–समय पर बकायों के भुगतान, सेवा में पुनः बहाली तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति आदि से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। उनको उचित कार्रवाई हेतु मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन को अग्रेषित किया जाता रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क ऊपरि पुल निर्माण

2141. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर–फतेहपुर रेल मार्ग पर बिंदकी रोड क्रासिंग पर सड़क ऊपरि पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की लत

2142. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भारत में महिलाओं सहित नशे का उपयोग करने वालों के बारे में रिपोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण हैं और इस संबंध में हाल ही के सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं, तथापि, नशीली दवा के विस्तार, पद्धति और प्रवृत्ति संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मद्यपान, कानाबीस और ओपिएट (हेरोइन छोड़कर जिसका कम विस्तार है) का काफी दुरुपयोग होता है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए गए हैं।

(ग) नशीली दवा दुरुपयोग को मनोवैज्ञानिक–सामाजिक–चिकित्सा समस्या के रूप में स्वीकार करते हुए, जिसके लिए समुदाय आधारित उपचार की आवश्यकता है, सरकार 'मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना' कार्यान्वित कर रही है जिसमें गैर–सरकारी संगठनों को विविध परिवेशों जैसे समुदाय, कार्यस्थल, शिक्षा संस्थान, कारागार आदि में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के प्रभाव और उपभोग को कम करना है। इस समय, योजना के तहत नशामुक्ति केंद्रों और कार्यस्थल निवारण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 361 गैर–सरकारी संगठनों को देश भर में 62 परामर्श एवं जागरूकता केंद्रों तथा 379 उपचार व पुनर्वास केंद्रों को चलाने के लिए वित्तपोषित किया जा रहा है। 2003–04 के दौरान, 22.65 करोड़ रुपये व्यय के मुकाबले, वित्त वर्ष 2004–05 के लिए इस येाजना के वास्ते 29.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नशामुक्ति शिविरों के माध्यम से ग्रामीण आबादी में नशीली दवा दुरुपयोग रोकने पर अधिक बल दिया जा रहा है जो ग्रामीण परिवेश में जागरूकता और उपचार सेवाएं प्रदान करते हैं जहां उपचार केंद्रों की सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर पहुंच से बाहर हैं।

जम्मू और कश्मीर में पुलों का निर्माण

2143. श्री मदन लाल शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के छंब सेक्टर को राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ने के लिए अखनूर में चिनाब नदी पर दूसरा पुल और बाड़ी पाट्टन में मलवर तवी पर पुल का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) उपर्युक्त पुलों को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अखनूर में चिनाब नदी पर एक दूसरे पुल के निर्माण के लिए निम्नतम बोली को अंतिम रूप दिया गया है। महत्तर संक्रियात्मक आवश्यकता की अन्य जरूरतों के कारण मनवर–तवी पुल के प्रस्ताव को निम्न प्राथमिकता दी गई है।

(ग) चिनाब पुल पूरा होने की संभावित तारीख दिसंबर, 2007 है। मनवर–तवी पुल के लिए कोई समय–सारणी नियत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बेरोजगार शिक्षित लोगों के लिए योजनाएं

2144. श्री शिशुपाल एन. पाटले : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन कितने शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार लोग हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में इस लगातार बढ़ रही समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए जाने पर विचार किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रोजगार और बेरोजगार संबंधी 55वें दौर (1999–2000) के अनुसार, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और अधिक उम्र के शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर कुल मिलाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.7 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत आंकी गई है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार

पर सभी (शिक्षित–अशिक्षित) की बेरोजगारी दर 1999–2000 में अनुमानतः 1.5 प्रतिशत है।

दसवीं योजना में वर्ष 2002–07 के दौरान रोजगार के 50 मिलियन अवसर पैदा करने की संकल्पना की गई है। रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए दसवीं योजना में विकास के लिए श्रम प्रधान क्षेत्र और कृषि सहित सामाजिक वानिकी, पशु–पालन, मत्स्य–पालन, बागवानी और संबंधित क्षेत्र तथा लघु एवं मझौले उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना–प्रौद्योगिकी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे उप–क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

आई बी पी कंपनी द्वारा पेट्रोल पंपों का आवंटन निरस्त करना

2145. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2002 से अप्रैल, 2003 तक की अवधि के दौरान आई बी पी कंपनी लि. द्वारा किए गए पेट्रोल पंपों के आवंटन को निरस्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) अप्रैल, 2002 से मार्च; 2003 की अवधि के दौरान मैसर्स आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड द्वारा कतिपय खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) के आवंटन के मामले पर विचार करने के बाद सरकार ने कंपनी को वे डीलरशिपें समाप्त करने के लिए कहा है, जो डीलरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चालू की गई थीं। कंपनी से उन मामलों में दिशानिर्देशों के अनुसार नया चयन करने के लिए भी कहा गया है।

सभी रेल मंडलों में रिक्तियां

2146. श्री किरिप चालिहा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी रेल मंडलों में बड़ी संख्या में रिक्तियां पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल–वार अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

2147. श्री दिन्शा पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितने रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्तमान में, गुजरात राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के 9 एलपीजी भराई संयंत्र प्राचलनरत हैं, जिनकी क्षमता 484 हजार मीटरी टन प्रति वर्ष (ह. मी. ट. प्र. वर्ष) है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में कोई नया एल पी जी भरण संयंत्र चालू करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि राज्य में एल पी जी की वर्तमान मांग पूर्णतः मौजूदा भराई क्षमता द्वारा पूरी की जा रही है। तथापि, इंडियन आयल की चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने राजकोट भरण संयंत्र की क्षमता 44 ह. मी. ट. प्र. वर्ष से बढ़ाकर 66 ह. मी. ट. प्र. वर्ष करने की योजना है।

रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों की मांग

2148. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न संगठनों, सहकारी समितियों, व्यक्तियों से राज्य में और रसोई गैस तथा पेट्रोल पंप खोलने हेतु मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मांगों पर अनुकूल विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को अपने विपणन क्रियाकलापों के लिए वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तदनुसार ओएमसीज महाराष्ट्र सहित देश में नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केंद्रों (आर ओज) की स्थापना के लिए स्थानों की संभाव्यता/वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए नियमित अंतरालों पर सर्वेक्षण आयोजित करती हैं। उनके वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आर ओज की स्थापना करने के लिए व्यवहार्य स्थानों पर विचार किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों का आयोजन करते समय ओ एम सीज विभिन्न राज्य निकायों/जन प्रतिनिधियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखती हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 192 डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 416 आर ओज चालू किए गए हैं।

हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन और उपयोग

2149. श्री जयप्रकाश : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिलावार कितनी धनराशि का आवंटन और उपयोग किया गया;

(ख) क्या प्रत्येक जिले में धनराशि का पूर्णतः उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सड़क कार्यों/बनाई गई सड़कों के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े नहीं रख जाते हैं। राज्यों को निधियां चरण–वार रिलीज की जाती हैं। आज की तारीख तक हरियाणा को रिलीज की गई निधियों तथा उनके उपयोग के बारे में राज्य द्वारा दी गई जानकारी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में) जून, 2004 तक
2000–01 (चरण–I)	25.18	21.25
2001–03 (चरण–II)	62.74	58.43
2003–04 (चरण–III)	20.00	5.20

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया

2150. असादूद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तांदूर, करनाकोट में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयां काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई में इस समय कुल कितने स्थायी कर्मचारी और ठेका मजदूर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या पहले यह फैक्टरी घाटे में चल रही थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि यह इकाई अब लाभ में चल रही है;

(च) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और देय राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इस इकाई का आधुनिकीकरण करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में, तांदूर इकाई में 293 स्थायी कर्मचारी तथा लगभग 439 ठेका मजदूरों की औसत दैनिक तैनाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। तांदूर इकाई वर्ष 1987–88 में इसके आरंभ होने के वर्ष से 2002–03 तक घाटे में चल रही थी।

(ङ) इस इकाई ने वर्ष 2003–04 में प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है।

(च) और (छ) जी, हां। तांदूर यूनिट में कर्मचारियों तथा ठेका मजदूरों को इस इकाई द्वारा नियमित रूप से मासिक वेतन और मजदूरी का भुगतान इसके अपने संसाधनों से किया जा रहा है। सभी अन्य सांविधिक तथा ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि जैसी सेवानिवृत्ति देयताओं का भी भुगतान किया जा रहा है।

(ज़) और (झ) तांदूर इकाई सहित सीसीआई की सभी यूनिटें बीआईएफआर के निदेशों के अनुसार बिक्री के अंतर्गत हैं तथा इस प्रकार पूंजीगत व्यय को आस्थगित किया जा रहा है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी में रिक्त पद

2151. श्री सुरेश चन्देल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न संवर्गों में कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं;

(ख) विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और इन पदों को भरने की लक्षित तारीख क्या है;

(ग) क्या नए अभ्यर्थियों को भरने के बजाय विभाग कार्यक्रम/प्रशासनिक संवर्ग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम में लगा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि रिक्त पदों से संबंधित सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है और इसलिए यह तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) रिक्तियां होना और भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार उनको भरना एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। स्थिति समय–समय पर बदलती रहती है।

(ग) और (घ) कभी–कभी सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण जब कार्मिकों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है और पद रिक्त पड़े होते हैं तो जन–हित में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है।

रिलायंस द्वारा रसोई गैस की बिक्री

2152. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय तेल गिनम (आईओसी) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रसोई गैस की बिक्री करने की अनुमति देने का विरोध किया है;

(ख) क्या ऐसी स्थिति का राज्यों द्वारा संचालित विपणन कंपनियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम तथा बाद में पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा थोक उपभोक्ताओं को सीधे एलपीजी बेचने के बारे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं की है। मैसर्स आरआईएल थोक उपभोक्ताओं की बिक्री के लिए एलपीजी का आयात करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि अन्य समानान्तर विपणनकर्त्ताओं द्वारा किया जा रहा है। सरकारी नीति के अनुसार स्वदेशी एलपीजी उत्पादन का उपयोग पूरी तरह से देश के भीतर खपत के लिए किया जाता है।

उरई और महोबा बरास्ता राठ के बीच रेललाइन

2153. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खजुराहो से महोबा तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है और उसने उरई (यू.पी.) और महोबा बारास्ता राठ के बीच रेललाइन बिछाने को भी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रेल लाइनें बिछाने पर कितना खर्च करने की संभावना है; और

(घ) उक्त लाइन पर अभी तक काम में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) खजुराहो और महोबा के बीच एक नयी रेल लाइन बिछाने संबंधी कार्य को अनुमोदित कर दिया गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। उरई और महोबा के बीच नयी लाइन को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) खजुराहो से महोबा (64.90 कि.मी.) तक नयी लाइन ललितपुर–सतना–रीवा–सिंगरौली और महोबा–खजुराहो परियोजना का एक भाग है।

(ग) खजुराहो–महोबा नयी लाइन की प्रत्याशित लागत 139.89 करोड़ रु. है।

(घ) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 47.79 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 13.12 लाख घन मीटर कार्य पूरा हो गया है। 12 बड़े पुलों में से 2 पुल तथा 76 छोटे पुलों में से 18 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 10 बड़े पुलों तथा 9 छोटे पुलों पर कार्य जारी है।

[हिन्दी]

ब्लाक स्तर पर गैस एजेंसियां

2154. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले प्रत्येक ब्लाक स्तर पर और फिर नियत जनसंख्या के स्तर पर एक गैस एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल हुईं;

(ग) शेष क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर कब तक गैस एजेंसियां स्थापित कर दी जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पहले अखिल भारतीय आधार पर सभी ब्लाकों का व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया था तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए पूर्व विपणन योजनाओं में व्यवहार्य स्थलों को शामिल किया गया था। दिनांक 1.4.2004 को, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से योजनाबद्ध 1246 स्थलों में से 848 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अभी लंबित हैं।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियां अपने–अपने वाणिज्यिक आकलनों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की व्यवहार्य स्थलों पर स्थापना करती हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने की प्रक्रिया में, उपयुक्त स्थल का पता लगाना, गोदाम बनाने के लिए जमीन और अन्य सांविधिक मंजूरियां लेना शामिल होता है। ब्लाक स्तर पर एजेंसियां स्थापित करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं होता। अछूते ब्लाकों/तहसीलों/मंडलों को समाहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को परिवर्तन की सलाह देते हुए प्रक्रिया शुरू की है। कम आय वाले वर्ग के ग्राहकों के लिए परिवर्ती कदमों में 5 कि. ग्रा. के सिलेंडरों की शुरुआत करना, गांवों में सामुदायिक रसोई स्थापित करने तथा उचित मूल्य डीलरों की दुकानों आदि से एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री शामिल है।

[अनुवाद]

अन्य देशों में तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप खोलना

2155. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने भारी लाभ अर्जित करने के मद्देनजर सिंगापुर तथा अन्य देशों में पेट्रोल पंप खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में तेल का स्टॉक (भंडार) घरेलू खपत के लिए अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों में इन कंपनियों द्वारा तेल बिक्री केंद्र खोलने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी तेल विपणन कंपनी अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन

लिमिटेड (बीपीसी) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने सिंगापुर में कोई खुदरा बिक्री केंद्र (पेट्रोल पंप) नहीं खोला है, वहीं आईओसी ने श्रीलंका और मारीशस में अपनी एक–एक सहायक कंपनी के माध्यम से उन देशों में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना कर ली है। ये सहायक कंपनियां अर्थतंत्र के आधार पर स्थानीय रिफाइनरियों सहित विभिन्न स्रोतों से अपनी पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता प्राप्त कर रही हैं। श्रीलंका स्थित कंपनी स्थानीय रिफाइनरी से खरीद और आयात के अलावा अपनी भौगोलिक समीपता देखते हुए भारत से भी अपनी आंशिक आवश्यकता प्राप्त कर रही है। इससे भी भारत को अपने अधिशेष डीजल का निर्यात करने में मदद मिलती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आईओसी अपने आपको एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनी के रूप में स्थापित कर रही है। विदेश में संस्थापनाएं आईओसी को देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता करेंगी।

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान

2156. श्री अनन्त नायक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच रक्षा क्षेत्र में हाल ही में किए गए द्विपक्षीय आदान–प्रदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उस क्षेत्र में बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने हेतु क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) आत्मविश्वास बढ़ाए जाने के उपायों के रूप में रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान–प्रदान एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर समझदारी और विश्वास को बढ़ाना तथा उसे और गहन करना है। हाल ही में किए गए आदान–प्रदानों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(i) भारत और चीन के नौसैनिक पोतों द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यास।

(ii) दोनों देशों के शासकीय प्रतिनिधिमंडलों के दौरे।

(iii) नियमित फ्लैग बैठकें और सीमा कार्मिकों की बैठकें।

(iv) सीमा कार्मिकों की विशेष बैठकों और फ्लैग बैठकों के दौरान देशों के त्यौहारों/राष्ट्रीय दिवसों को मनाया जाना।

मानव रहित हवाई यान (यूएवी) और मानव रहित अंतर्जल यान (यूयूवी) का विकास

2157. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सैन्य टुकड़ियों की जान बचाने के लिए अपनी स्वयं की मानवरहित रक्षा प्रणालियों जैसे यूएवी (मानवरहित हवाई यान) और यूयूवी (मानवरहित अंतर्जल यान) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दो तरह के मानवरहित एरियल वाहन–लक्ष्य और निशांत–का विकास किया है। अंतर्जलीय स्वचालित वाहन का विकास शुरू नहीं किया गया है।

(ख) पुनः इस्तेमाल योग्य मानवरहित एरियल लक्ष्य वाहन 'लक्ष्य' का इस्तेमाल तोप और प्रक्षेपास्त्र कर्मी–दल को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका विकास कर लिया गया है। सामरिक मानवरहित एरियल वाहन 'निशांत', जिसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में टोह लेने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, का विकास रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा किया गया है।

(ग) अन्तर्जलीय स्वचालित वाहन पर विकास कार्य मार्च, 2005 तक आरंभ करने की योजना है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

2158. श्री किन्जरपु येरननायडु :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिनिर्धन को लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अतिनिर्धन के लिए फालतू अनाज का प्रयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम में खामियों का पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उसके सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) वर्ष 2003–04 के दौरान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 8010.45 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए थे, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 892890 स्वरोजगारियों की सहायता की गई थी और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 13,34,245 मकानों का निर्माण/मरम्मत की गई थी।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम और इसके सहयोगी कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के बाद अप्रैल, 1999 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक व्यापक स्व–रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवार (स्वरोजगारियों) को सामाजिक जागरण, उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के जरिए और बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी को मिलाकर आय सर्जक परिसंपत्तियों के प्रावधान के माध्यम से स्व–सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह ऋण से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी एक सहायक घटक है। योजना की शुरुआत से अब तक, 9522.15 करोड़ रु. के कुल निवेश से 20.19 लाख स्व–सहायता समूह बनाए गए हैं और 45.81 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई है।

(घ) से (छ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 1.4.2002 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देखी गई मुख्य समस्याओं में अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की समय पर, नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति में होने वाली कठिनाइयां शामिल हैं जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब होता है और खाद्यान्नों की ढुलाई में समस्या होती है। कुछ राज्यों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत नकद भुगतान की व्यवस्था करने में कइिनाइयां होती हैं, जहां केंद्र द्वारा केवल खाद्यान्न ही मुफ्त में दिए जाते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक अतिरिक्त खाद्यान्नों का उपयोग करने के लिए सरकारी प्रयासों का हिस्सा हैं।

गैस संसाधनों का उपयोग

2159. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. अपने गैस संसाधनों का उपयोग करके सस्ती बिजली उत्पादन की किसी योजना पर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अपतटीय तेल और गैस क्षेत्रों से गैस की ढुलाई करने की बजाय विद्युत उत्पादन किया जाएगा और उसे वर्तमान ग्रिडों के द्वारा पहुंचाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) कुछ राज्यों/बेसिनों में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा सिद्ध सीमांत गैस भंडारों का इन गैस पूलों की अलग–थलग प्रकृति, समीपवर्ती स्थानों में विपणन बाधाओं आदि के कारण दोहन नहीं किया जा रहा है। इन अलग–थलग गैस पूलों में उपलब्ध गैस से बिजली के उत्पादन के लिए ओएनजीसी का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है, प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है।

[हिन्दी]

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास

2160. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर. डी.ओ.) ने पायलटरहित विमान 'लक्ष्य' का सफलतापूर्वक विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'लक्ष्य' की तकनीक के आधार पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पायलटरहित विमान–लक्ष्य का विकास किया है।

(ख) पुनः इस्तेमाल योग्य मानवरहित हवाई लक्ष्य वाहन 'लक्ष्य' का जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के मूल्यांकन तथा चालक दल के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका विकास कर लिया गया है।

(ग) लक्ष्य प्रक्षेपास्त्रों के फायरिंग अभ्यास के लिए अवध्वनिक लक्ष्य है। पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्रों के लिए पूर्ण रूप से नई प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है।

[अनुवाद]

एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री को बढ़ावा देना

2161. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) ने 4 मार्च, 2004 से 20 अप्रैल, 2004 तक 600 रुपये या उससे अधिक मूल्य के एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की खरीद पर एक महीने तक 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार–पत्र का निःशुल्क वितरण करने की पेशकश की थी;

(ख) क्या उन ग्राहकों, जिन्होंने 600 रुपये या उससे अधिक मूल्य का एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल खरीदा था, को समाचार–पत्र की आपूर्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का आई.ओ.सी. से अपनी पेशकश को तुरंत पूरा कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। यह पेशकश केवल दिल्ली के लिए की गई थी।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी), दिल्ली राज्य कार्यालय को कुछ ग्राहकों से कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उनको इंडियन एक्सप्रेस समाचार–पत्र की प्रतियां प्राप्त नहीं हुईं।

(ग) आई.ओ.सी. योजना अवधि के दौरान की गई अपनी पेशकश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिकायतें प्राप्त होने पर इस मामले को तत्काल आई.ओ.सी. के दिल्ली राज्य कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया कि योजना के अनुसार समाचार–पत्र की निःशुल्क प्रतियों का वितरण उनके विक्रेता नेटवर्क के जरिए किया जाए। कुछ मामलों में वाऊचरों पर दिए गए गलत/अधूरे पते के कारण विलंब हुआ। तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई की गई ताकि कोई भी पात्र ग्राहक आई.ओ.सी. द्वारा की गई पेशकश से वंचित न रहे।

दक्कन ओडिसी रेलगाड़ी

2162. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की एक भव्य ऐश–आराम वाली रेलगाड़ी 'दक्कन ओडिसी' चलाने की संकल्पना अब साकार हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को चलाने के उद्देश्य, मुख्य विशेषताओं और किराये का ब्यौरा क्या है और यह रेलगाड़ी किन–किन दर्शनीय और पर्यटन स्थलों पर जाएगी;

(ग) क्या इस लग्जरी रेलगाड़ी में क्षमता से कम यात्री सवारी कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रेलगाड़ी से अनुमानतः कितनी वार्षिक आय होगी और इस आय को केंद्र और राज्य सरकार में किस प्रकार बांटा जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) 'दक्कन ओडिसी' गाड़ी को चलाने का उद्देश्य भारत में रेल द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना है। 7 दिन के फेरे में यह गाड़ी मुंबई से चलती है और वहीं समाप्त होती है तथा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, पुणे, औरंगाबाद और नासिक के पर्यटक गंतव्यों से गुजरती है। पर्यटकों को ऐतिहासिक जयगढ़ और सिंधुदुर्ग किलों, तारकर्ली में बैक–वाटर क्रूज के लिए गोवा के पुराने चर्चों, संग्रहालयों, अजंता और ऐलोरा के विश्व धरोहर के स्थानों पर ले जाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में गाड़ी में मल्टी–क्विजीन डायनिंग, कांफ्रेंस, स्पा, बार, जिम्नेजियम आदि तथा वातानुकूलित बसों द्वारा दर्शनीय स्थलों का भ्रमण की सुविधाएं शामिल हैं। दक्कन ओडिसी गाड़ी की किराया दर सूची निम्नानसुार है :

क्षमता	व्यस्त अवधि अक्तूबर से मार्च	गैर–व्यस्त अवधि अप्रैल
एक यात्री के उपयोग हेतु	485 अमरीकी डालर अथवा 20,000 रु.	395 अमरीकी डालर अथवा 15,000 रु.
दो यात्रियों के उपयोग हेतु	350 अमरीकी डालर अथवा 15,000 रु.	295 अमरीकी डालर अथवा 12,000 रु.
तीन यात्रियों के उपयोग हेतु	285 अमरीकी डालर अथवा 10,000 रु.	240 अमरीकी डालर अथवा 9,000 रु.
प्रेसीडेंशियल सूट/एक यात्री के उपयोग हेतु	950 अमरीकी डालर अथवा 40,000 रु.	750 अमरीकी डालर अथवा 30,000 रु.
प्रेसीडेंशियल सूट/दो व्यक्तियों के उपयोग हेतु	700 अमरीकी डालर अथवा 30,000 रु.	550 अमरीकी डालर अथवा 24,000 रु.

(5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का आधा किराया।)
(घरेलू पर्यटकों के लिए दर सूची रुपये में।)

(ग) से (ङ) अब तक इस गाड़ी को व्यवसायिक उपयोग हेतु केवल एक बार 7.4.2004 को चलाया गया है। आगामी सीजन हेतु इस गाड़ी के लिए बुकिंग प्राप्त हो रही है। इस गाड़ी को हाल ही में शुरू किया गया है और इसे लोकप्रिय होने में अभी कुछ समय लगेगा। वर्तमान में राजस्व को भारतीय रेल और महाराष्ट्र पर्यटन और विकास निगम (एमटीडीसी) के बीच मार्च, 2004 तक 50 : 50 के अनुपात में बांटे जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या

2163. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार संख्या में कमी आने की पुष्टि किस प्रकार होगी;

(ग) इन आंकड़ों को इकट्ठा और संकलित करने वाले प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इन आंकड़ों की सत्यता का पता लगाने संबंधी कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) रोजगार और बेरोजगार का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बेरोजगार का आकलन एन.एस.एस.ओ. द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक क्रियाविधि के आधार पर किया जाता है। रोजगार और बेरोजगार के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के नवीनतम

पंचवर्षीय दौर के आधार पर योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चयन किए गए राज्यों की सामयिक दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) द्वारा अनुमानित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

ग्रामीण क्षेत्रों में सी.डी.एस. आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित सं. ('000)

क्र.सं.	चयनित राज्य	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	2153
2.	असम	532
3.	बिहार	2033
4.	गुजरात	629
5.	हरियाणा	217
6.	कर्नाटक	638
7.	केरल	1800
8.	मध्य प्रदेश	903
9.	महाराष्ट्र	1567
10.	उड़ीसा	787
11.	पंजाब	207
12.	राजस्थान	470
13.	तमिलनाडु	2196
14.	उत्तर प्रदेश	1462
15.	प. बंगाल	3127
	संपूर्ण भारत	19495

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल लाइन बिछाना

2164. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बल्लारशाह से इटापल्ली बरास्ता एटापल्ली रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो रेललाइन बिछाने और सर्वेक्षण करने के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, हाल हीं में इस लाइन के सर्वेक्षण के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, इस समय चालू परियोजनाओं के भारी थूफारर्वड के साथ–साथ संसाधनों की अत्यधिक तंगी है। इस परिदृश्य में, नई लाइन का निर्माण कार्य शुरू करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

रंगिया-मुरकोंगसेलेक रेललाइन पर आमान परिवर्तन कार्य

2165. श्री नारायण चन्द्र वरकटकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगिया–मुरकोंगसेलेक रेललाइन पर आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रंगिया–मुरकोंगसेलेक के आमान परिवर्तन के कार्य को वर्ष 2003–04 की अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण और नक्शे एवं अनुमानों की तैयारी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 2004–05 के बजट में इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

तेल पूल घाटा

2166. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तेल पूल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे तेल के निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार समझौता करने में अनिच्छा प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप तेल पूल घाटे के परिसमापन संबंधी प्रयासों पर क्या समग्र प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) 1.4.2002 में प्रभावी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति पर तेल पूल खाता बंद कर दिया गया है।

सरकार तेल का व्यापार नहीं करती। तेल कंपनियां आवधिक संविदाओं और तत्स्यान निविदाओं के माध्यम से कच्चे तेल का आयात करती हैं। सरकार ने तेल कंपनियों को तेल आयातों/परिशोधन लाभों की हेजिंग की अनुमति दे दी है।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल भंडार मिलना

2167. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल के और अधिक भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल भंडार की अद्यतन खोज का कोई अन्य मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) नए उत्तरी बेसिन में अन्य संभावित क्षेत्र कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) वर्ष 2004 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर जिले के ब्लाक आर जे–ओ एन–90/1 में तीन तेल खोजें की गई हैं। दो खोजों नामतः मांगला तथा एनए, पहले ही मूल्यांकित की जा चुकी हैं जबकि तीसरी खोज अर्थात् एनसी मूल्यांकनाधीन है। उपलब्ध भू–वैज्ञानिक आंकड़ों तथा यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त आंकड़ों को अर्जित करके समाकलन करते हुए खोजों का मूल्यांकन किया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा, ब्लाक में पांच खोजें पहले ही की जा चुकी हैं, यथा गुडा # 2, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी तथा ग्रेटर रागेश्वरी भी मूल्यांकनाधीन हैं। मूल्यांकन के बाद ही खोज की वाणिज्यिकता का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद विकास योजना बनाई जाती है। मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. द्वारा की गई खोजों के मामलों में, ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार इन क्रियाकलापों को निष्पादित किया जाता है।

सैनिकों को लाभ

2168. श्री विजय कृष्ण : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त दी जा रही सुविधाओं और लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हें और अन्य क्या सुविधाएं और लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सैनिक, वेतन के अलावा कई भत्तों के हकदार हैं। तथापि, भत्तों की स्वीकार्यता व्यक्ति की तैनाती के क्षेत्र/स्थान पर निर्भर होती है। सैनिकों को देय विभिन्न भत्तों की एक सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। वेतन और भत्तों के अलावा, सैनिकों को कई सुविधाएं तथा लाभ दिए जाते हैं। ऐसी सुविधाओं और लाभों की एक सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। यदि आवश्यकता होती है तो सैनिकों को मुहैया की जा रही सुविधाओं और लाभों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

सैनिकों को देय भत्ते

1. जोखिम संबंधी भत्ते

(क) अत्यधिक सक्रिय फील्ड क्षेत्र/फील्ड क्षेत्र/संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता

(ख) विशेष क्षतिपूरक विद्रोह रोधी भत्ता

(ग) विशेष क्षतिपूर्ति दूरस्थ बस्ती भत्ता

(घ) उच्च तुंगता/अननुकूल जलवायु भत्ता

(ङ) सियाचिन भत्ता

(च) विशेष बल भत्ता पैरा कमांडों वेतन

(छ) पैरा अलाउंस (पेरा पे)

(ज) पैरा रिजर्विस्ट अलाउंस

(झ) फ्री फाल जम्प इंस्ट्रक्टर अलाउंस

(ञ) पैदल सेना मीडियम मशीन गन तोपचियों के लिए उड़ान भत्ता

(ट) आर्मी एविएटर्स के लिए उड़ान भत्ता

2. अन्य भत्ते

(क) परिवहन भत्ता

(ख) द्वीप विशेष (ड्यूटी भत्ता)

(ग) अर्हता अनुदान

(घ) आर्मी एविएटर्स के लिए अर्हता वेतन

(ङ) वर्दी भत्ता

(च) किट मेंटिनेंस अलाउंस

(छ) सैन्य नर्सिंग सेवा अफसरों के लिए डिस्टिंक्टिव यूनिफार्म अलाउंस

(ज) तकनीकी भत्ता

(झ) शिक्षण भत्ता

(ञ) शासकीय आतिथ्य अनुदान

(ट) विशेष भत्ता सेना चिकित्सा कोर/सेना दंत कोर/रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर

(ठ) स्नातकोत्तर भत्ता (सेना चिकित्सा कोर/सेना दंत कोर/रिमाउंट पशुचिकित्सा कोर)

(ड) भाषा पुरस्कार/भत्ता

(ढ) बाल शिक्षा भत्ता

(ण) वीरता पुरस्कारों के लिए आर्थिक भत्ता

(त) हवाई प्रेषण वेतन

(थ) कम्पोजिट हिल कम्पनसेटरी अलाउंस

(द) वैयक्तिक रखरखाव स्वास्थ्य भत्ता

(ध) रम भत्ता

(न) वर्गीकरण भत्ता

विवरण-II

सैनिकों को देय लाभ/सुविधाएं

1. सेना सामूहिक बीमा निधि के अंतर्गत लाभ :

(क) इंश्योरेंस कवर

(ख) अशक्तता कवर

(ग) विस्तारित बीमा कवर

(घ) निम्नलिखित के लिए ऋण

(i) गृह–निर्माण

(ii) निजी कंप्यूटर

(iii) नई कार और पुरानी कार

(iv) दुपहिया वाहन

2. छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं

3. स्थायी ड्यूटी/अस्थायी ड्यूटी पर सवारी भत्ता/यात्रा सुविधाएं

4. कैंटीन भंडार विभाग सुविधाएं

5. निशुल्क राशन/विशेष राशन भत्ते के बदले में निशुल्क राशन/राशन भत्ता

6. रम और सिगरेट के बदले में नकद भत्ता

7. शिक्षा :

(i) सेना स्कूलों और विभिनन व्यावसायिक संस्थाओं में बच्चों के लिए शिक्षा

(ii) शिक्षा छात्रवृत्ति

(iii) सैनिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण

(iv) बच्चों के लिए स्कूल बसों का प्रावधान

(v) सेवारत सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

8. सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, जिनमें विशेषीकृत चिकित्सा उपचार और विशेषीकृत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

9. आवास :

(i) सेना कल्याण आवास संगठन द्वारा मकानों का प्रावधान

(ii) ब्याज की उचित दरों पर आवासीय ऋण

(iii) फील्ड क्षेत्रों में तैनात सेना कार्मिकों के लिए पृथक्कीकृत कुटुम्ब आवास का प्रावधान

(iv) सैनिक आरामगाहों पर मार्गस्थ सुविधाएं

10. ऐसे अफसरों को मकान किराया भत्ता जिन्हें अपनी हकदारी का सरकारी या किराए का आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है

11. अफसर रैंक के नीचे ऐसे कार्मिकों को क्वार्टरों के बदले मुआवजा, जिन्हें अपनी हकदारी का आवास मुहैया नहीं कराया गया है

12. सैनिकों की मृत्यु के मामले में सरकारी आवास रखे रहना

13. कल्याण :

(i) सेना पत्नी कल्याण संघ द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना

(ii) आशा स्कूलों की स्थापना

14. संक्रियात्मक क्षेत्रों में सेवा करते हुए गैर–वित्तीय फील्ड सेवा रियायतें

15. विविध :

(i) वीरता पुरस्कार विजेताओं को रियायतें

(ii) सभागारों में मनोरंजन सुविधाएं

(iii) इनडोर/आउटडोर खेल सुविधाएं।

सूखा प्रवण क्षेत्र

2169. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने सूखा प्रवण क्षेत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इन राज्यों में विशेषकर उड़ीसा और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में सूखा प्रभावित किसानों के लिए कोई रोजगार योजना आरंभ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 16 राज्यों के 182 जिलों के 972 ब्लाकों में फैला 74.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) सरकार सूखा प्रभावित राज्यों को राहत उपायों के रूप में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से वित्तीय सहायता मुहैया कराती है और खाद्यान्नों की आपूर्ति करती है। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित डी.पी.ए.पी. वाले राज्यों को उपलब्ध कराई गई ऐसी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उपशमन करना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना है। तथापि, दो योजनाओं नामतः संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) को विशेषरूप से क्रमशः मजदूरी रोजगार के सृजन तथा स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों की इनके कारगर कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी तथा मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत शामिल क्षेत्र का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	डी.पी.ए.पी. क्षेत्र (मिलियन है. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	94	9.92

1	2	3	4	5
2.	बिहार	6	30	0.95
3.	छत्तीसगढ़	8	29	2.18
4.	गुजरात	14	67	4.39
5.	हिमाचल प्रदेश	3	10	0.33
6.	जम्मू व कश्मीर	2	22	1.47
7.	झारखंड	14	100	3.49
8.	कर्नाटक	15	81	8.43
9.	मध्य प्रदेश	23	105	8.91
10.	महाराष्ट्र	25	149	19.45
11.	उड़ीसा	8	47	2.62
12.	राजस्थान	11	32	3.20
13.	तमिलनाडु	16	80	2.94
14.	उत्तरांचल	15	60	3.57
15.	उत्तर प्रदेश	7	30	1.58
16.	प. बंगाल	4	36	1.16
	योग	182	972	74.59

विवरण-II

वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के सूखे के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(राशि : करोड़ रुपये में)

(खाद्यान्न : लाख मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2001–02 का सूखा		वर्ष 2002–03 का सूखा		वर्ष 2003–04 का सूखा	
		एन.सी.सी.एफ.	खाद्यान्न	एन.सी.सी.एफ.	खाद्यान्न	एन.सी.सी.एफ.	खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	31.50	123.51	17.20	50.58	7.82
2.	बिहार	–	–	–	–	–	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	127.51	4.74	–	–
4.	गुजरात	–	–	–	3.06	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	14.35	0.10	–	–
6.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–
7.	झारखंड	–	–	–	0.40	–	–
8.	कर्नाटक	–	1.00	207.65	7.20	298.16	7.29
9.	मध्य प्रदेश	34.62	–	171.88	7.80	–	–
10.	महाराष्ट्र	–	0.80	20.00	2.32	242.79	7.00
11.	उड़ीसा	–	1.00	5.29	4.22	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	–	–	889.81	32.58	–	0.14
13.	तमिलनाडु	–	–	332.09	5.00	173.35	3.04
14.	उत्तरांचल	–	–	–	0.50	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	–	–	310.06	2.00	–	–
16.	प. बंगाल	–	–	–	–	–	–

एन.सी.सी.एफ. : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

[हिन्दी]

विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं की लत संबंधी अध्याय शामिल किया जाना

2170. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 26 जून, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित समाचार के अनुसार विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नशीली दवाओं की लत संबंधी एक अध्याय शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र तनाव के विभिन्न कारकों, मित्रों के संसर्ग, हारमोन संबंधी परिवर्तनों के कारण नशीली दवा की लत के प्रति सुभेद्य हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में समुचित शिक्षा संबंधी इनपुट के माध्यम से नशीली दवा के दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें शिक्षित करने से इस अभिशाप में फंसने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ सकती है। मद्यपान तथा पदार्थ दुरुपयोग के निवारण के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्कूली पाठ्यक्रम में इन इनपुट को सम्मिलित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। मंत्रालय नशीली दवा की रोकथाम के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को भी निधियां प्रदान करता है। ये संगठन इन कार्यक्रमों के तहत स्कूलों और कालेजों को शामिल करते हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)

2171. श्री अर्जुन सेठी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत लंबित सहायता प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य के सात जिलों जैसे आंगुल, भद्रक, बौध, क्योंझर, मलकानगिरि, नयागढ़ और न्यूपाड़ा के पक्ष में वर्ष 2004–05 के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी न किए जाने के विशेष कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जिलों को चालू वर्ष के लिए संसाधनों की पहली किस्त रिलीज किए जाने से पहले उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए थे। अब ये दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं और सभी सातों जिलों को केंद्र ने पहली किस्त रिलीज कर दी है।

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

2172. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नयी/लंबित/जारी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में जारी सर्वेक्षणों की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक परियोजनावार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए साधारण बजटीय संसाधनों के अलावा कई कार्य किए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में नई/चालू परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा, जिसमें अब तक मुहैया कराई गई निधियां, पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि, जहां कहीं नियत की गई है, के साथ 2004–05 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय भी शामिल निम्नलिखित है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	अंतिम प्रत्याशित लागत	2003–04 के अंत में अनुमानित परिव्यय	2004–05 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	कार्य पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	शिवपुर–ग्वालियर–भिंड के रास्ते गुणा–इटावा	348.25	423.00	329.59	31.00	गुणा–भिंड पूरा हो गया है
2.	ललितपुर–सतना–महोना–खजुराहो–रीवा–सिंगरोली	541	925.00	50.96	32.00	निर्धारित नहीं
3.	गोधरा–इंदौर–देवास–मकसी	316	900.00	63.99	15.00	देवास–मकसी पूरा हो गया है। शेष परियोजना के लिए लक्ष्य नियत नहीं
4.	रामगंज–मंडी–भोपाल आमान परिवर्तन	262	727.13	24.06	27.00	निर्धारित नहीं
5.	जबलपुर–गोंदिया–बालाघाट–कटंगी सहित	285	511.86	109.46	38.06	गोंदिया–बालाघाट 2004–05, शेष परियोजना के लिए लक्ष्य नियत नहीं
6.	नीमच–रतलाम	135.38	167.51	59.93	25.00	2005–06 तक संभावना है
	दोहरीकरण					
7.	बोलाई–कालीसिंध, कालीसिंध–किसोनी, किसोनी–बेरचा एवं मकसी–पिरमरोड	25.7	49.29	45.18	0.18	पूरा हो गया

1	2	3	4	5	6	7
8.	कालापिपल–फंडा/मकसी–भोपाल	41.5	53.00	10.15	12.62	निर्धारित नहीं
9.	अकोदिया–सुजालपुर	13.15	31.36	0.0001	5.02	निर्धारित नहीं
10.	मानिकपुर–चेयोकी (चरण–I)	32.68	50.74	25.72	10.00	

मध्य प्रदेश में चालू परियोजना सर्वेक्षणों का, उनकी स्थितियों सहित ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	स्थिति समाप्ति के लक्ष्य तारीख
1.	शिरपुर–मऊ नई लाइन	185	31.8.2004
2.	अचलपुर–मुर्तजापुर–यावतमल एवं पुलगांव–अरवी आमान परिवर्तन	225	30.9.2004
3.	छिंदवाड़ा–नागपुर आमान परिवर्तन	150	30.9.2004
4.	भोपाल तीसरी लाइन	139	30.9.2004

2004–05 के बजट में शामिल मध्य प्रदेश में नए सर्वेक्षण :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.
1.	रतलाम–डुंगरपुर नई लाइन का सर्वेक्षण अद्यतन करना	176
2.	रतलाम–मऊ आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण अद्यतन करना	162

ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम

2173. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन बजटों में ग्रामीण क्षेत्र में पनधारा स्थापित करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और आज तक इसका कितना उपयोग किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य का अलग–अलग विवरण क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा अधिकांश धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके राज्यवार कारण क्या हैं;

(ङ) देश में विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के लिए समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने हैक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है;

(च) क्या समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम योजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) का एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण (ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा) किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत निर्मित ढांचों की मरम्मत स्थानीय निकायों द्वारा नहीं की जा रही है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम को देश में पहले से पहचान किए गए ब्लाकों में तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को शेष क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं में विकसित करने के लिए हाथ में लिया गया क्षेत्र तथा विभिन्न राज्यों को वर्ष–वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है। चूंकि ये कार्यक्रम मांग आधारित हैं, अतः निधियों का राज्य–वार आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निधियां सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने और मानदंड पूरा किए जाने के बाद ही जारी की जाती हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) मार्गदर्शी सिद्धांतों में परियोजना की अवधि के दौरान वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) स्थापित करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जिसे परियोजना के पूरा होने के उपरांत सार्वजनिक भूमि पर सृजित परिसंपत्तियों के रख–रखाव के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। वाटरशेड विकास निधि का सृजन लोगों की निजी भूमि पर निष्पादित किए गए कार्यों की लागत के 10% की दर पर प्रयोक्ता समूहों से अंशदान के रूप में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ गरीबी रेखा से नीचे के पहचान किए गए व्यक्तियों के मामले में 5% की दर से) और सामुदायिक भूमि पर व्यय की गई विकास की लागत के 5% की दर पर सभी लाभभोगियों से अंशदान के रूप में और प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में प्राप्त करके किया जाता है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2001–02 से 2003–04 (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) तक की अवधि के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत राज्य–वार जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			कुल जारी की गई निधियां (लाख रु. में)
			2001–02	2002–03	2003–04	
1.	आंध्र प्रदेश	744	4067.00	4854.99	4937.40	13859.39
2.	बिहार	166	242.06	249.75	323.06	814.87
3.	छत्तीसगढ़	338	700.28	1599.62	1329.11	3629.01
4.	गुजरात	601	1165.31	3273.13	3363.14	7801.58
5.	हिमाचल प्रदेश	130	316.62	370.81	529.66	1217.09
6.	जम्मू और कश्मीर	176	297.00	222.75	422.19	941.94
7.	झारखंड	537	882.13	553.50	1212.34	2647.97
8.	कर्नाटक	693	2093.75	2265.04	3215.77	7574.56
9.	मध्य प्रदेश	772	4361.00	4721.01	5021.66	14103.67
10.	महाराष्ट्र	892	2009.62	1294.62	1484.30	4788.54
11.	उड़ीसा	527	970.10	901.10	1045.92	2917.12
12.	राजस्थान	305	1195.13	1430.93	1979.36	4605.42
13.	तमिलनाडु	365	864.88	1059.53	2401.60	4326.01
14.	उत्तर प्रदेश	410	905.72	1717.85	1498.13	4121.70
15.	उत्तरांचल	277	510.75	376.37	473.36	1360.48
16.	प. बंगाल	132	317.65	108.00	243.00	668.65
17.	अन्य		52.62	1.00	20.00	73.62
	योग	7065	20951.62	25000.00	29500.0	75451.62

विवरण-II

वर्ष 2001–02 से 2003–04 (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) तक की अवधि के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्य–वार जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			कुल जारी की गई निधियां (लाख रु. में)
			2001–02	2002–03	2003–04	
1.	आंध्र प्रदेश	300	999.00	1212.45	566.68	2778.13
2.	गुजरात	879	2258.37	3418.13	5612.08	11288.58
3.	हरियाणा	339	1482.92	1809.78	1920.32	5213.02
4.	हिमाचल प्रदेश	217	514.13	850.87	786.99	2151.99
5.	जम्मू और कश्मीर	229	574.89	901.71	1127.54	2604.14
6.	कर्नाटक	491	994.43	1412.52	2319.65	4726.60
7.	राजस्थान	2068	8164.26	8893.54	9146.74	26204.54
8.	अन्य		15.00	1.00	20.00	36.00
	योग	4523	15003.00	18500.00	21500.00	55003.00

विवरण-III

वर्ष 2001–02 से 2003–04 (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत राज्य–वार जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना क्षेत्र (हैक्टेयर में)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			कुल जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
				2001–2002	2002–2003	2003–2004	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	130785	72711.00	1319.89	1395.33	3444.82	6160.04
2.	बिहार	53000	24780.00	66.00	66.00	371.25	503.25
3.	छत्तीसगढ़	82436	34476.96	295.91	549.54	1197.26	2042.71
4.	गोवा	10000	1200.00			82.50	82.50
5.	गुजरात	95220	51529.20	1132.29	1494.42	1733.56	4360.27
6.	हरियाणा	41740	8713.20	214.43	206.27	388.55	809.25
7.	हिमाचल प्रदेश	90110	40426.20	1035.98	1500.73	1349.51	3886.22
8.	जम्मू और कश्मीर	35567	7636.08	321.07	220.86	241.96	783.89

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	झारखंड	39037	12242.22	77.65	41.77	272.25	391.67
10.	कर्नाटक	106678	51197.28	793.78	1394.38	2319.84	4508.00
11.	केरल	15000	2700.00	120.64	96.20	314.75	531.59
12.	महाराष्ट्र	72275	30846.00	746.58	705.08	949.41	2401.07
13.	मध्य प्रदेश	155704.47	120437.80	2206.09	3089.13	2866.22	8161.44
14.	उड़ीसा	96555	47579.70	822.55	885.06	1940.11	3647.72
15.	पंजाब	14181	2552.58	186.61		50.66	237.27
16.	राजस्थान	87362	42092.04	1040.72	772.06	2097.32	3910.10
17.	तमिलनाडु	78343	41902.32	743.00	837.95	1993.50	3574.45
18.	उत्तर प्रदेश	105546	67729.32	1223.35	1657.04	1974.33	4854.72
19.	उत्तरांचल	70814	19965.48	305.30	335.90	364.30	1005.50
20.	प. बंगाल	15460	1527.60	45.00		82.50	127.50
	योग	1395813	682244.98	12696.84	15247.72	24034.60	51979.16
				पूर्वोत्तर राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	94471	45700.08	85.85	458.54	351.89	896.28
2.	असम	232653	186881.40	1619.93	1440.19	1729.91	4790.03
3.	मणिपुर	82500	25500.00	327.99	642.18	313.25	1283.42
4.	मेघालय	28000	11760.00	53.37	23.68	443.65	520.70
5.	मिजोरम	118595	35578.50	481.91	1156.16	612.44	2250.51
6.	नागालैंड	138280	48354.00	1162.69	1740.56	1868.31	4771.56
7.	सिक्किम	30177	4701.24	371.88	184.12	268.98	824.98
8.	त्रिपुरा	19423	4661.52	160.23		31.61	191.84
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	744099	363136.74	4263.85	5645.43	5620.04	15529.32
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	2139912	1045381.72	16960.69	20893.15	29654.64	67508.48

केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक

2174. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने कुछ स्मारकों को केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्मारकों को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित स्मारकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार को स्मारकों के केंद्रीय संरक्षण हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उन प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया जाता है जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय अथवा कलात्मक रुचि के होते हैं और जिनका अस्तित्व 100 वर्ष से अधिक समय से है।

(घ) और (ङ) संबंधित व्यक्तियों तथा राज्य सरकार आदि से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र में एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है।

(च) मार्च, 2004 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए स्मारकों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के परिरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य को आवंटित निधियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2004 तक राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	राज्य	संरक्षण वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आपातसहायेस्वरस्वामी मंदिर एवं घोड़ों वाले द्वार	सेंदामंगलम	सेंदामंगलम	तमिलनाडु	2000
2.	स्वर्णेस्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000
3.	रामलिंगेस्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000
4.	नरसिम्हा मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000
5.	कमलेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगाम	कर्नाटक	2000
6.	मोहम्मद जौक की मजार	सेंट्रल	दरियागंज	दिल्ली	2000
7.	किला दीवार, छाता बाजार, द्वार, बाउली मोट, एवं लाल किला, दिल्ली	लाल किला	सेंट्रल	दिल्ली	2002

1	2	3	4	5	6
8.	अंसारी रोड एवं जवाहर लाल नेहरू मार्ग से समता स्थल (संपूर्ण भाग) को जोड़ने वाले लिंक रोड से शाहजहांनाबाद की नगर दीवार (दरियागंज के निकट)	अंसारी रोड, दरियागंज	उत्तर	दिल्ली	2002
9.	सलीमगढ़ किला जिसमें उत्तर की संरचना का मुख्य द्वार एवं संपूर्ण किला दीवार शामिल है	बेला रोड	उत्तर	दिल्ली	2002
10.	करेंसी बिल्डिंग	डलहौजी स्क्वायर	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2002
11.	एशियाटिक सोसायटी बिल्डिंग	पार्क स्ट्रीट	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2002
12.	मैगेन डेविड सायनागोग	वार्ड नं. 45	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2003
13.	इंस्टीट्यूट डि चन्दननगर, डुप्ले महल	चन्दननगर	हुगली	पश्चिम बंगाल	2003
14.	बेथ–एल–सायनागोग	पोलॉक स्ट्रीट	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2003
15.	पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर	भुवनेश्वर	डिंडिहाट, पिथौरागढ़	उत्तरांचल	2003
16.	आगा खां पैलेस बिल्डिंग	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	2003
17.	स्मारक समूह, झज्जर	झज्जर		हरियाणा	2003
18.	प्राचीन उत्खनित स्थल जिसमें बौद्ध स्तूप के अवशेष शामिल हैं	कंगनहल्ली	गुलबर्गा	कर्नाटक	2003
19.	दक्षिण द्वार, केला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2003
20.	इमामबाड़ा, केला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2003
21.	श्वेत मस्जिद, केला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2003
22.	पीली मस्जिद, केला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2003
23.	त्रिपोलिया गेट, केला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2003
24.	टाउन हाल	शिवपुरी	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	2003
25.	बौद्ध विहार एवं मंदिर के उत्खनित अवशेष, पाल्लावनेश्वरम	मेलाईयुर, कावेरीपट्टनम	सिरकाजी नागापट्टनम	तमिलनाडु	2003
26.	नामा हाउस	दारा कलां	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	2003
27.	हल्दीघाटी	दारा, राजसमंद, नाथद्वारा	खेमनेर	राजस्थान	2003
28.	बादशाही बाग	दारा, राजसमंद, नाथद्वारा	खेमनेर	राजस्थान	2003

1	2	3	4	5	6
29.	चेतक समाधि	दारा, राजसमंद, नाथद्वारा	खेमनेर	राजस्थान	2003
30.	विवेकानंद शैल स्मारक	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	2003
31.	रक्त तलई	नाथद्वारा	राजसमंद	राजस्थान	2003
32.	प्राचीन स्थल (कोटाडा)	धौलावीरा	भुज	गुजरात	2003
33.	विरुपाक्ष मंदिर एवं बाजार	हम्पी कमलापुर	बेलारी	कर्नाटक	2003
34.	सत नारायण भवन	दिल्ली सढोरा खुर्द, दीनानाथ मार्ग, रोशनआरा रोड	नई दिल्ली	दिल्ली	2003
35.	धर्मराज मंदिर	पाथरा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	2003
36.	बन्दोपाध्याय परिवार का मंदिर	पाथरा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	2003
37.	सीतल मंदिर	पाथरा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	2003
38.	नवरत्न मंदिर परिसर	पाथरा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	2003
39.	प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय, चतरभुज नाला	भानपुरा	मंदसौर	मध्य प्रदेश	2003
40.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, सीताखारडी	भानपुर	मंदसौर	मध्य प्रदेश	2003
41.	महाराणा प्रताप का प्रताप स्मारक, ध्वस्त महल, चावंड	सराडा	उदयपुर	राजस्थान	2004
42.	हवा महल के नाम से प्रसिद्ध महल, वीरपुरा (जयसमंद)	सराडा	उदयपुर	राजस्थान	2004
43.	रूठी रानी का महल नाम से प्रसिद्ध हवा महल, वीरपुरा (जयसमंद)	सराडा	उदयपुर	राजस्थान	2004
44.	चंपावती मंदिर	चम्बा	चम्बा	हिमाचल प्रदेश	2004
45.	कपिलेश्वर महादेव मंदिर	अल–हतुआरी, तहसील कामाख्यानगर	धेनकनाल	उड़ीसा	2004
46.	तामलुक राजबती	पदुमबसन, तामलुक	जिला पूर्व मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	2004
47.	प्राचीन बौद्ध स्थल, लंगुड़ी पहाड़ी	मौजा पानीमुहानी, फाजिलपुर एवं शालिपुर, तहसील धर्मशाला	जिला जाजपुर	उड़ीसा	2004

1	2	3	4	5	6
48.	बाराकोठी के नाम से प्रसिद्ध कलाइव हाउस दमदम	दम दम, पी.ओ. नगर बाजार	जिला 24 उत्तर परगना	पश्चिम बंगाल	2004
49.	26 शिव मंदिर	बैरकपोर खारडाह	जिला 24 उत्तर परगना	पश्चिम बंगाल	2004

विवरण-II

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार एवं वर्ष-वार व्यय

(व्यय रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	114.39	417.16	320.14
2.	असम	99.58	89.49	93.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.80	0.39	4.14
4.	बिहार	86.48	112.21	521.65
5.	छत्तीसगढ़	16.70	5.75	171.00
6.	दिल्ली	277.14	996.75	1147.07
7.	दमन एवं दीव	23.61	15.69	53.92
8.	गोवा	50.61	82.57	96.79
9.	गुजरात	99.59	35.36	217.39
10.	हरियाणा	91.85	141.00	315.30
11.	हिमाचल प्रदेश	91.11	44.45	35.22
12.	जम्मू और कश्मीर	145.03	121.23	290.41
13.	झारखंड	4.33	8.07	171.00
14.	कर्नाटक	476.19	1143.68	917.23
15.	केरल	75.12	18.26	119.30
16.	मध्य प्रदेश	250.51	217.11	494.14
17.	महाराष्ट्र	828.49	408.25	610.08
18.	मणिपुर	1.42	0.27	1.25
19.	मेघालय	4.94	4.44	5.91
20.	नागालैंड	5.67	12.92	12.94
21.	उड़ीसा	114.73	1021.69	273.51
22.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	3.30	1.63	35.11
23.	पंजाब	57.92	40.14	23.19
24.	राजस्थान	235.00	240.22	840.27
25.	सिक्किम	27.60	32.99	32.00
26.	तमिलनाडु	187.79	322.20	525.20
27.	त्रिपुरा	17.05	20.05	29.82
28.	उत्तर प्रदेश	385.13	710.64	1161.23
29.	उत्तरांचल	36.52	64.13	138.83
30.	पश्चिम बंगाल	146.13	260.18	369.44
	कुल	3955.73	6499.92	9027.36

[हिन्दी]

विज्ञापन अवधि

2175. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कार्यक्रमों के आवंटित समय के दौरान विज्ञापनों की अवधि में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे दिनांक 9 जनवरी, 2004 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक के रूप में अधिसूचित किया गया है, से पे–चैनलों के साथ–साथ अन्य चैनलों में विज्ञापन हेतु अधिकतम समय को विनियमित करने के लिए पैरामीटरों के संबंध में सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

सेना के लिए अधिकरण का गठन

2176. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना के मामलों को निपटाने के लिए पृथक् अधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिकरण को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) तीनों सेनाओं से संबंधित कोर्ट मार्शल के निर्णय से उत्पन्न अपीलों और सेवा मामलों को निपटाने के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसकी कार्य योजना तथा अन्य ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पहिया और धुरा संयंत्र की स्थापना

2177. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना बिहार में छपरा के निकट परसा में पहिया और धुरा संयंत्र स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या येलहंका स्थित (बंगलौर के निकट) रेल पहिया और धुरा कारखाने का पूरा–पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो परसा में अन्य पहिया और धुरा कारखाना स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2004–05 के रेलवे बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई है।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता को अनुमानित लागत देने को कहा गया है।

(ग) और (घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) येलहंका स्थित रेल पहिया कारखाने (पहले पहिया एवं धुरा संयंत्र के नाम से जाना जाता था) की क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रेल द्वारा पत्तन जोड़ा जाना

2178. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री ब्रह्मानन्द पंडा :
श्रीमती अर्चना नायक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल द्वारा पत्तन को जोड़ने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना हरीदासपुर–प्रदीप तक 82 कि.मी. लंबे रेल मार्ग का निर्माण करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। प्रथम दृष्टि में पत्तन संपर्क परियोजनाओं की पहचान की गई है। ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं :

स्वीकृत पत्तन/भीतरी भू-प्रदेश संपर्क कार्य

पत्तन	परियोजना का नाम	
1	2	
जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट (जेएनपीटी)	पणवेल–जे एन पी टी	दोहरीकरण
	पणवेल–करजत	नई लाइन
पारादीप पत्तन	रजतगढ़–नेरगुंडी	दोहरीकरण
	नेरगुंडी–कटक–रघुनाथपुर	दोहरीकरण
	रेहामा–पारादीप	दोहरीकरण
	हरिदासपुर–पारादीप	नई लाइन
	बांसपानी–दैतारी	नई लाइन
मेंगलोर पत्तन	हसन–मंगलौर	आमान परिवर्तन
पीपावाव पत्तन	सुरेंद्रनगर–पिपावाव	आमान परिवर्तन
कुड्डालूर पत्तन	सेलम–कुड्डालूर	आमान परिवर्तन
	कुड्डालूर के रास्ते तंजावुर–विल्लुपुरम	आमान परिवर्तन
कांडला एवं मुंद्रा	गांधीधाम–पालनपुर	आमान परिवर्तन
हल्दिया पत्तन	पांसकुड़ा–हल्दिया : फेज–I (पांसकुड़ा–राजगोडा)	दोहरीकरण
भीतरी भू-प्रदेश संपर्क कार्य		
	होजपेट–गुंतकल	दोहरीकरण
	बरौनी–तिलरथ	दोहरीकरण
	गोंडा–गोरखपुर लूप	आमान परिवर्तन
	मिलडी–समदरी	आमान परिवर्तन
	कटिहार–जोगबनी (कटिहार–राधिकापुर सहित)	आमान परिवर्तन
	मानसी–सहरसा	आमान परिवर्तन
	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	आमान परिवर्तन
	रंगिया–मरकोंगसेलक	आमान परिवर्तन
अस्वीकृत पोर्ट/भीतरी भू-प्रदेश संपर्क कार्य		
वल्लरपदम–इडापल्लि		नई लाइन
हस्तवरम–कृष्णापत्तनम		नई लाइन
सूरत–हजीरा		नई लाइन
भद्रक–धमोरा		नई लाइन
छत्तरपुर–गोपालपुर		नई लाइन
तुगलकाबाद–दादरी आईसीडी		नई लाइन
भरूच–समनी–दहेज		आमान परिवर्तन
अजमेर–फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी		आमान परिवर्तन
दिल्ली–रेवाड़ी		आमान परिवर्तन

(ग) और (घ) जी हां, हरिदासपुर–पारादीप परियोजना का भूमि–अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 301.84 करोड़ रु. है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना के लिए 6 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ङ) कार्य समाप्ति के लिए अभी तक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। बहरहाल, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को 5 वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा करने की योजना है।

हथियार और गोलाबारूद का निर्यात

2179. श्री सुरेश कलमाडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश में निर्मित हथियार और गोलाबारूद के निर्यात के लिए तीसरी दुनिया के देशों के साथ कोई वार्ता की है और उनके साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक भारत द्वारा कितना निर्यात किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद अपने कुछ उत्पादों का मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीका के देशों को निर्यात कर रहे हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा किए गए निर्यात इस प्रकार हैं :

2001–2002	33.58 मिलियन अमेरिकी डालर
2002–2003	45.22 मिलियन अमेरिकी डालर
2003–2004	93.69 मिलियन अमेरिकी डालर
2004–2005	9.97 मिलियन अमेरिकी डालर

(जून, 2004 तक अनंतिम)

[हिन्दी]

रसोई गैस का आयात

2180. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रसोई गैस का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान कितनी रसोई गैस का आयात किया गया;

(ग) देश में उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रसोई गैस की कुल कितनी खपत हुई;

(घ) रसोई गैस की औद्योगिक और घरेलू खपत अलग–अलग कितनी रही; और

(ङ) सरकार द्वारा रसोई गैस की घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए अलग–अलग कितना उपभोक्ता मूल्य निर्धारित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना निम्नानुसार है :

(मिलियन मीट्रिक टन)

	2002–03	2003–04
1. एलपीजी का आयात	1.073	1.708
2. एलपीजी की खपत	8.351	9.307
(1) सा.क्षे.उ. की बिक्री	8.143	9.091
(क) घरेलू	7.737	8.790
(ख) गैर–घरेलू	0.406	0.301
(2) निजी कंपनियों की बिक्री	0.208	0.216

(ङ) जबकि घरेलू एलपीजी एक रियायती उत्पाद है, वहीं गैर–घरेलू एलपीजी एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है। वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य 261.60 रुपये प्रति सिलेंडर है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

2181. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और भुसावल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने कि.मी. लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूरत–भुसावल लाइन पर, सूरत–उधना (4 कि.मी.) और जलगांव–भुसावल (25 कि.मी.) खंडों के बीच पहले से ही दोहरी लाइन मौजूद है। शेष खंड अर्थात् उधना–जलगांव (306.93 कि.मी.) के दोहरीकरण के लिए भी सर्वेक्षण 2003–04 में पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 306.93 कि. मी. लंबी दोहरी विद्युतीकृत लाइन की लागत 6.11% प्रतिफल

की दर से 578.84 करोड़ रुपये आकलित की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को पश्चिम रेलवे के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलवे लिंक

2181. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर हेतु बाया–न्यू मोयनागुरी से जोगीघोपा वैकल्पिक रेल लिंक के बारे में सेक्टर संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक सेक्टर के स्थानिक सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण, अनुमानित धनराशि और वास्तविक आवंटन के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) उक्त लिंक के लिए किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम क्षेत्र में भू–अधिग्रहण में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शेष कार्य को पूरा करने के लिए और धूबरी से फकीराग्राम के बीच आमान परिवर्तन के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) न्यू मोयनागुरी–जोगीघोपा (245 कि.मी.) निर्माण की प्रत्याशित लागत 733 करोड़ रु. है। पूरे खंड का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 31.3.04 तक 33.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। न्यू मोयनागुरी–माथाभंगा खंड के लिए 89.07 करोड़ रुपये के आंशिक अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल और असम सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है। भूमि की लागत से संबंधित 9.36 करोड़ और 11.48 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः पश्चिम बंगाल और असम सरकार को जमा करा दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 17.785 कि.मी. के लिए भूमि सौंप दी है जिस पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) बजट 2004–05 में 42 कराड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। फकीरग्राम–दुबरी खंड पर फकीरग्राम–सथ्थग्राम आमान परिवर्तन कार्य शुरू कर दिया गया है जहां पुल का कार्य प्रगति पर है। गोलकगंज और गौरीपुर के बीच मिट्टी संबंधी और पुल का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली और भिवाड़ी के बीच रेल लाइन

2183. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में कौन–कौन से महत्वपूर्ण शहरों को अभी तक रेलवे के मानचित्र में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव रेल लाइन द्वारा इन शहरों को जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली तथा भिवाड़ी के बीच रेल लाइन का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मेरठ से पानीपत और पलवल के रास्ते खुर्जा से रोहतक, भिवाड़ी और रिवाड़ी अभी तक रेल संपर्क से नहीं जुड़े हैं।

(ख) जी, नहीं। 1995 में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, खुर्जा–पलवल–रेवाड़ी–रोहतक रेल लिंक (212.6 कि.मी.) की प्रत्याशित लागत 365 करोड़ रुपये थी और प्रतिफल 2% से कम थी। झज्जर के रास्ते रेवाड़ी और रोहतक के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए दूसरा सर्वेक्षण 1997 में किया गया था। रेवाड़ी–भिवाड़ी रेल लिंक भी इसी मार्ग का एक हिस्सा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि 81 कि. मी. लंबी रेल लाइन पर लगभग 110 करोड़ रुपये लागत आएगी और प्रतिफल की दर नकारात्मक होने के कारण परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) दिल्ली और रेवाड़ी के बीच रेल लिंक पहले से मौजूद है। बहरहाल, रेवाड़ी–भिवाड़ी के बीच रेल लिंक सार्वजनिक भागीदारी योजना के तहत शुरू किया जाना था जिसमें राजस्थान सरकार को कार्य शुरू करना था तथा हरियाणा राज्य में भूमि की उपलब्धता आदि के संबंध में हरियाणा सरकार से सहयोग प्राप्त करना था। बहरहाल, राजस्थान परियोजना विकास निगम या हरियाणा सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। मैसर्स राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में यह सूचित

किया है कि प्रतिफल की दर नकारात्मक होने के कारण परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

रेल ऊपरि पुल का निर्माण

2184. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन रेल–ऊपरि पुलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जारी कार्यों में से किसी को पूरा करने में कोई वित्तीय संकट अथवा तकनीकी परेशानी आड़े आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) लागत में भागीदारी के आधार पर राज्यवार स्वीकृत ऊपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ के ऊपर बनने वाले पुलों का निर्माण करती है तथा पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू करने में रेलवे को कोई वित्तीय अथवा तकनीकी कठिनाई नहीं है। सामान्य प्रबंध आरेखन (जी.ए.डी.) के अनुमोदित करने तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा आकलन के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

विवरण

लागत में भागीदारी के आधार पर रेल ऊपरि सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर है, का राज्यवार स्वीकृत संख्या संबंधी विवरण निम्नानुसार है :

(हजार रुपये में)

राज्य	ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं		2004–2005 में स्वीकृत नए कार्य		कुल	
	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	49	241147	1	1100	50	242247
असम	3	10969	0	0	3	10969
बिहार	42	430552	5	17999	47	448551
छत्तीसगढ़	5	43550	0	0	5	43550
दिल्ली	1	7825	0	0	1	7825
गुजरात	4	19600	1	1000	5	20600
हरियाणा	13	122873	0	0	13	122873
झारखंड	20	222020	0	0	20	222020
कर्नाटक	37	240800	1	2000	38	242800
केरल	53	136700	0	0	53	136700
मध्य प्रदेश	9	87343	0	4000	9	91343
महाराष्ट्र	21	87576	2	700	23	88276
उड़ीसा	9	30500	0	3000	9	33500

1	2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	0	0	3	1300	3	1300
पंजाब	28	125352	0	0	28	125352
राजस्थान	7	62957	1	4000	8	66957
तमिलनाडु	41	282300	5	2900	46	285200
उत्तर प्रदेश	23	131165	3	16300	26	147465
पश्चिम बंगाल	45	171472	1	1000	46	172472
कुल	410	2454701	23	55299	433	2510000

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रम

2185. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा कार्य तीव्रगति से आगे बढ़ाने, कार्यकरण को सुचारु बनाने और देश भर में इसके नेटवर्क का विस्तार करने हेतु प्रसार भारती के गठन के समय से एच.पी.टी./एल.पी.टी. टी.वी. टावर खड़ा करने का कार्य बहुत धीमा हो गया है;

(ख) देश में आकाशवाणी कार्यक्रमों से अभी भी कुल कितनी जनसंख्या वंचित है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आकाशवाणी द्वारा अपने नेटवर्क को बढ़ाने के स्थान पर प्लेटिनम जुबली मनाने के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद करने का औचित्य क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या शतप्रतिशत आबादी को आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम उपलब्ध कराने का लक्ष्य कार्य को इतनी धीमी गति से करने से प्राप्त किया जा सकेगा;

(ङ) यदि हां, तो यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा और उसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) नवंबर, 1997 में प्रसार भारती के गठन के पश्चात्, दूरदर्शन ने 479 अतिरिक्त ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया है। स्थलीय कवरेज के और अधिक विस्तार हेतु देश के विभिन्न भागों में इस समय 59 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) मीडियम वेव और एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए आकाशवाणी द्वारा मौजूदा रेडियो कवरेज जनसंख्या–वार 99.13 प्रतिशत है जिसके 10वीं योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के पश्चात् 99.49 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है। मीडियम वेव और एफएम ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त, आकाशवाणी शार्ट वेव ट्रांसमीटरों के जरिए भी प्रसारण करता है। शार्ट वेव प्रसारण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी द्वारा क्षेत्र और जनसंख्या वार 100 प्रतिशत देश को पहले ही कवर किया जाता है।

(ग) कटक में आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के हिस्से के रूप में आकाशवाणी की प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किए गए थे जिसके लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान नहीं करवाई गई थीं।

(घ) से (च) 10वीं योजना में मुख्य बल के.यू. बैंड में उपग्रह प्रसारण जिसके 2004 के दौरान चालू हो जाने की आशा है, के जरिए कवर न किए गए क्षेत्रों को टी.वी. कवरेज उपलब्ध करवाने पर है। के.यू. बैंड प्रसारण के शुरू हो जाने पर, देश के किसी भी भाग (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) में दर्शकों के लिए एक छोटे आकार की डिश एंटिना प्रणाली की सहायता से 30 फ्री–टु–एयर टी.वी. चैनलों को देखना संभव हो जाएगा।

[अनुवाद]

एथेनोल का उत्पादन

2186. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वैकल्पिक ईंधन विकास जैसे एथेनोल गैस हाईड्रेट्स इत्यादि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पेट्रोल और डीजल में एथेनोल मिलाने का विकल्प चुनने की रूपरेखा अंतर्मंत्रालयीय कृतक बल द्वारा तैयार की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एथेनोल आधारित उत्पादन में निवेश करने के लिए गैर–सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान एथेनोल का कितना उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ वैकल्पिक ईंधन विकास के लिए निम्न उपाय किए हैं :

– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 चीनी उत्पादक राज्यों और 3 संसक्त संघ राज्य क्षेत्रों में 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

– डीजल में बायोडीजल के मिश्रण के प्रचालनात्मक, वित्तीय, पर्यावरणीय और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने रिवाड़ी (हरियाणा) और मुंबई (महाराष्ट्र) में दो प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केंद्र ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के भंडारण, आपूर्ति और वितरण के लिए एक रोड मैप तैयार किया है।

– वाणिज्यिक पैमाने पर गैस हाइड्रेटों का दोहन करने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर, 2000 के दौरान एक संचालन समिति (एक तकनीकी समिति द्वारा समर्थित) का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश के 21 जिलों और तमिलनाडु के 9 जिलों और चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में 5% एथेनोल का मिश्रण पूरी तरह लागू किया गया है। एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए भविष्य का रोड मेप किफायती मूल्य पर एथेनोल की निश्चित उपलब्धता पर निर्भर है।

डीजल में एथेनोल के मिश्रण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) समय–समय पर संशोधित चीनी विकास फंड अधिनियम, 1982 और चीनी विकास फंड (एसडीएफ) नियमावली, 1983 में, व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए निर्जल एलकोहल या एलकोहल से एथेनोल के उत्पादन के लिए किसी चीनी कारखाने या उसकी किसी इकाई को ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। एसडीएफ के नियम सहकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बीच एथेनोल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों के आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई करते हुए कोई अंतर नहीं करते हैं। अधिनियम और नियम उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं।

(च) एथेनोल गन्ने के सीरे से व्युत्पन्न वस्तु है जो नियंत्रणमुक्त मद है। इस प्रकार कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

रेलवे की भूमि का उपयोग

2187. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अधिकांश भूमि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस भूमि के वाणिज्यकरण के पश्चात् कोई राजस्व अर्जित किया है और गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(च) इस समय रेलवे की कुल कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा है; और

(छ) सरकार द्वारा रेलवे भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेलवे के पास लगभग 4,23,000 हेक्टेयर भूमि है जिसमें से 20,000 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है जो ज्यादातर रेलपथ के साथ–साथ पट्टियों में है। रेलवे को अपने उपयोग हेतु इस भूमि की आवश्यकता है।

(ङ) और (छ) वह भूमि जिसकी तत्काल उपयोग हेतु आवश्यकता नहीं है, का सदुपयोग अस्थायी रूप से पौधरोपण तथा रेल संचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग आदि के लिए किया जाता है। रेलवे द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

2001–02	223.53
2002–03	91.49
2003–04	116.53 (अनंतिम)

(च) लगभग 2200 हेक्टेयर।

रेलगाड़ियों में यात्री सामान की सुरक्षा और पहचान

2188. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों के सामान की सुरक्षा और पहचान के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य रेलगाड़ियों में भी लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना से यात्री किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा

2189. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकार से वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वर्ष 2004-05 के लिए स्वीकृत धनराशि 16,029 करोड़ रुपये में वृद्धि की जाएगी;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आज तक 31,000 रिहायशी स्थानों पर कार्य हो चुका है जिसमें लगभग 80,000 कि.मी. लंबा क्षेत्र शामिल है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले मात्र रिहायशी क्षेत्रों को 13 राज्यों में कार्यक्रम के अनुसार जोड़ दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किस हद तक अधिक धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) पिछड़ने वाले सभी राज्य किस हद तक वर्ष 2004-05 के दौरान कार्य पूरा कर लेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) वर्ष 2003–04 के बजट में हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर प्रति लीटर 50 पैसे का अतिरिक्त उपकर लगाए जाने के कारण वर्ष 2004–05 के लिए 2325 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि और ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए अलग से 1500 करोड़ रु. और देने के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

(ख) वर्ष 2004–05 के लिए प्रस्तावित बजट 2468 करोड़ रु. है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न राज्यों में 1000 से अधिक की आबादी वाली बसावटों का कवरेज सड़कों से न जुड़ी बसावटों की संख्या और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए आवंटित निधियों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर बजट आवंटन किया जाता है। राज्यों को निधियों की रिलीज प्रगति और पूर्व में रिलीज की गई निधियों के संदर्भ में हुए व्यय पर निर्भर करती है।

करगिल युद्ध

2190. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा कितने सैन्यकर्मी हताहत हुए और कितनों को युद्धबंदी बनाया गया और कितने करगिल युद्ध के बाद अभी भी लापता हैं;

(ख) क्या सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों ने करगिल कोष में जमा हुई अत्यधिक धनराशि के उपयोग के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री, रक्षा प्राधिकारियों और विभिन्न राजनेताओं के पास भी धनराशि जमा कराए जाने की खबर है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राहत कोषों में अलग–अलग विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ङ) अब तक इस धनराशि का कितना उपयोग किया गया है; और

(च) अब तक शहीद हुए जवानों के कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है और युद्ध में घायल, अपंग हुए जवानों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा लापता हुए जवानों के परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) करगिल संघर्ष में मारे गए, घायल हुए तथा पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए और अभी तक लापता कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :

मामले की प्रकृति	सेना			वायु सेना			कुल
	अधिकारी	जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	अन्य रैंक	अधिकारी	जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	अन्य रैंक	
मारे गए	26	23	473	03	–	02	527●
घायल हुए	99	84	1445	–	–	–	1628
युद्धबंदी	–	–	02	01$	–	–	03
लापता हुए	–	–	–	–	–	–	–
कुल	125	107	1920	04	–	02	2158

●लापता हुए 3 अधिकारियों तथा 8 अन्य रैंकों सहित जिन्हें मृत मान लिया गया था।
$बाद में रिहा कर दिए अधिकारी।

करगिल कोष के प्रचुरोद्भवन के संबंध में सेवारत तथा सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों द्वारा चिंता जताए जाने संबंधी कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

सेना का एक सेना केंद्रीय कल्याण कोष है, जिसमें से युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा अशक्त हुए सैनिकों सहित युद्ध के हताहतों के परिवारों के पुनर्वास के लिए नकद अनुदान दिए जाते हैं। इस कोष में करगिल युद्ध सहित युद्ध हताहतों के परिवारों के पुनर्वास के लिए विभिन्न दाताओं से धन प्राप्त किया गया है।

रक्षा मंत्रालय को देश में अन्य एजेंसियों द्वारा धन प्राप्त किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। करगिल युद्ध के दौरान धन प्राप्त करने वाली विभिन्न एजेंसियां इस मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

संक्रिया विजय करगिल के दौरान मारे गए सभी 522 सैन्य कर्मियों के निकट संबंधियों को सभी वित्तीय लाभों का भुगतान कर दिया गया है सिवाय दो मामलों के जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। इन दो मामलों में से एक मामले में मृतक कार्मिक के माता–पिता के नाम से रेजिमेंट केंद्र में आवधिक

जमा में 1.20 लाख रुपये की सहायता का निवेश किया गया है। दूसरे मामले में मृतक कार्मिक की पत्नी को 3.75 लाख रुपये के सेना समूह बीमा, 1,506 रुपये के सेना समूह बीमा परिपक्वता तथा 30,000 रुपये के अनुग्रह–अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मृतक कार्मिक के माता–पिता को 2 लाख रुपये की सहायता भी दी गई है।

करगिल संघर्ष में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकट संबंधियों को एक व्यापक कल्याण पैकेज प्रदान किया गया है। इसमें 10 लाख रुपये का एकमुश्त क्षतिपूर्ति अनुग्रह–अनुदान, मृतक सैनिक द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा विनिर्दिष्ट दरों पर यथालागू मृत्यु उपदान तथा परिवार उपदान, सेना समूह बीमा–अधिकारियों के लिए 8 लाख रुपये तथा अधिकारी से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए 3.75 लाख रुपये शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय रक्षा कोष से निम्नलिखित सहायता भी प्रदान की गई है :

रिहायशी यूनिट के लिए 5 लाख रुपये; प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये तक शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 1 लाख रुपये; मृतक सैनिकों पर आश्रित उनके जरूरतमंद माता–पिता के लिए 2 लाख रुपये। सेना केंद्रीय कल्याण कोष से 30,000/– रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की गई है।

मारे गए 527 कार्मिकों में से 359 कार्मिकों के निकट संबंधियों को रिटेल आउटलेट/एलपीजी एजेंसियां दी गई हैं तथा 20 मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा 30 अशक्त सैनिकों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रोजगार दिया गया है।

520 मृतक सैनिकों के निकट संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा कोष से रिहायशी यूनिट अनुदान दिया गया है। अशक्त हुए 309 सैनिकों में से 149 को सेवामुक्त कर दिया गया है तथा 160 सैनिकों को अभी भी सेवा में बनाए रखा गया है। उन्हें भी उपयुक्त राष्ट्रीय रक्षा कोष पैकेज का भुगतान किया गया है।

भारत-पाक सीमा पर सेना द्वारा कब्जे में ली गई भूमि

2191. श्री छेवांग थुपस्तन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना द्वारा विभिन्न युद्धों के दौरान सैनिक कार्रवाई के लिए भारत–पाक सीमा पर कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में भूमि का कितना क्षेत्र सेना के कब्जे में है;

(ग) क्या उक्त भूमि को उनके स्वामियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय लगभग 4735 एकड़ भूमि अब भी सेना के कब्जे में है।

(ग) पहले कब्जे में ली गई अधिकांश भूमि उनके मालिकों को सौंप दी गई है तथापि, भूमि का एक छोटा हिस्सा, जो संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए सेना के कब्जे में रहेगा, को छोड़कर शेष भूमि सुरंगें हटाए जाने के बाद उनके मालिकों को सौंप दी जाएगी।

(घ) जैसा कि ऊपर (ग) में बताया गया है भूमि के इस छोटे हिस्से की संक्रियात्मक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है।

[हिन्दी]

रेल लाइनें बिछाना

2192. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिछाई गई रेल लाइन (कि.मी.) में की लंबाई का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने के लिए राज्य–वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लाइनों को बिछाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिछाई गई नई लाइनों का विवरण इस प्रकार है :

परियोजना	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
येरामारस–कृष्णा	15	आंध्र प्रदेश
धरमावरम–पेनूकोंडा	32	आंध्र प्रदेश
फतुहा–इसलामपुर	42	बिहार
दुरौंधा–महाराजगंज	5	बिहार
सासाराम–नोखा	20	बिहार
जगदीशपुर–तिलैया	10	बिहार
ऊना–चरारू–टकराला	16	हिमाचल प्रदेश
बजाल्टा–ऊधमपुर	40	जम्मू एवं कश्मीर
देवास–मकसी	36	मध्य प्रदेश
पनवेल–करजत	28	महाराष्ट्र
जोरुली–क्योंझर	48	उड़ीसा
कुमारघाट–मनु	21	त्रिपुरा
कटरा–फैजाबाद	9	उत्तर प्रदेश
बजकुल–कांथी–निचंदा	28	पश्चिम बंगाल
गजौल–बुनियादपुर बलूरघाट	71	पश्चिम बंगाल
काकद्वीप–नामखाना	13.26	पश्चिम बंगाल

(ख) और (ग) 273 कि.मी. नई लाइन को वर्ष 2004–05 के दौरान पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। विवरण इस प्रकार है :

परियोजना	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
1	2	3
अमरावती–चन्दुरबाजार	44	महाराष्ट्र
राजगीर–नतेसर	18	बिहार
नोखा–संझौली	10	बिहार
बांका–बाराहाट	13	बिहार
चंडीगढ़–मोरिंडा	45	पंजाब
काकीनाडा–कोटिपल्ली	44	आंध्र प्रदेश
कांथी–दीघा	32	पश्चिम बंगाल
महेन्द्रलालनगर–आमटा	12	पश्चिम बंगाल
हासन–श्रवणबेलगोला और बैंगलोर–नीलामंगला	55	कर्नाटक

(घ) बजट 2004–05 में नई लाइन योजना शीर्ष के तहत 947.1 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का विस्तार

2193. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विद्यमान रेल लाइन का श्रीशैलम पहाड़ियों की तलहटी तक विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2003 में महबूबनगर और कुरनूल जिलों के बीच श्रीशैलम पहाड़ियों की तलहटी तक रेल लाइन के विस्तार करने का अनुरोध किया था। कलवाकुर्थी के रास्ते हैदराबाद और श्रीशैलम के बीच प्रस्तावित लाइन लगभग 160 कि.मी. लंबी होगी और इस पर 480 करोड़ रुपये से कम लागत नहीं आएगी। संसाधनों की भारी तंगियों तथा नई लाइन परियोजना के भारी थ्रो–फारवर्ड के कारण भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में नई रेल लाइनें

2194. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरांचल में नई रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस

पर क्या कार्रवाई की गई है और नए रेल पथों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्तरांचल के तहसील मुख्यालय के निकट कंप्यूटरीकृत केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। नानकमाता, सितारगंज के रास्ते किच्छा से खटीमा तक (57.7 कि.मी.) नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को 165.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पूरक बजट 2003–04 में शामिल किया गया है। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। इस कार्य के लिए बजट 2004–05 में 5.37 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) देश के किसी भी भाग में तहसील मुख्यालय के पास कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों की व्यवस्था किए जाने की कोई नीति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की खपत में वृद्धि

2195. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस की बढ़ी हुई खपत से पेट्रोलियम उत्पादों के अधिशेष में वृद्धि हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की खपत में सीमांतक वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान खपत क्रमशः लगभग 65, 69 और 73 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) रही है।

(ग) और (घ) चूंकि वृद्धि सीमांतक वृद्धि थी, इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

2196. श्री नीतीश कुमार :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ने केंद्र सरकार से कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक इस संबंध में जातियों के नाम सहित प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्य–वार/संघ राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक सूची में शामिल जातियों के नाम, सूची में शामिल करने के लिए लंबित जातियों के नाम सहित प्रत्येक अनुरोध/प्रस्ताव की राज्य–वार/संघ राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है और सूची में शामिल किए जाने के लिए लंबित जातियों को सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) उत्तर प्रदेश के खंड 'क' में उल्लिखित जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है अथवा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन हेतु 451 निवेदनों में से 323 निवेदन उत्तर प्रदेश शासन सहित संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भेजे गए क्योंकि

इनमें जातीयता संबंधी ब्यौरा नहीं दिया गया था। जाति–वार नाम केवल उन मामलों में रखे जा सकते हैं जहां जातीयता संबंधी सूचना सहित पूर्ण प्रस्ताव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त हो गए हैं और उन्हें भारत के महारजिस्ट्रार के पास भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जिन प्रस्तावों पर भारत के महारजिस्ट्रार ने अपनी सहमति दे दी है उन्हें अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है। तद्नुसार, भारत के महारजिस्ट्रार के पास 46 प्रस्ताव और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास 80 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनका जातिवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिन प्रस्तावों पर सहमति दी गई है उनका जातिवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। तथापि, प्रस्तावों के अंतिम निपटान की कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन पर कई एजेंसियों से परामर्श करना होता है। अनुसूचित जातियों की सूचियों में पहले से शामिल जातियों के नाम विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव विधि नियम–पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

विवरण-I

भारत के महारजिस्ट्रार को भेजे गए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय का नाम
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	1. कुम्हार
2.		2. मोघिया
3.		3. सूथ सारथी
4.		4. अरख खांगर
5.		5. दहिया
6.		6. सखवार
7.		7. चिक
8.		8. ढोली, दमानी, डोम, बरेथ, नागर्ची
9.	उत्तर प्रदेश	1. अहेरिया
10.		2. चिक/चिकवा आदि
11.	उड़ीसा	1. चम्भर
12.		2. केसुरिया
13.		3. भीना, तुलभीना
14.		4. धोबा वैष्णव, रजक, राजका
15.		5. खादल/खोदल/खदोला
16.		6. बागिया
17.		7. बेत्रा
18.		8. मेहन्तर
19.		9. गोखा वैष्णब, गोकह बैष्णब
20.		10. सितूरिया, सित्रा
21.		11. अघेरा केला, मुंडपोटा केला, सिन्दूरिया केला
22.		12. जयन्तारा पानो, जेना पानो आदि
23.		13. अधूरिया डोम्ब, अधूरिया डोम
24.		14. खातिया
25.		15. कुदूमा, कोदमा, कोदमम आदि
26.		16. कान्द्रा वैष्णब, कन्दारा बैष्णब
27.		17. कालान्दी, कालंदी, बैष्णब, कालिंदी बैष्णब
28.		18. पाना बैष्णब, पानो बैष्णब आदि
29.		19. बूना पानो, पाना तांती
30.		20. बोरी बैष्णब
31.	केरल	1. वेतन
32.		2. मलयन
33.		3. मदिगा
34.		4. पेरुमन्नन
35.		5. कोप्पलन
36.		6. व्यानाड पूलयन, व्यानाडन पूलयन, माथा/माथा पुलया

1	2	3
37.		7. अजीला, नलकदया, नलददेयावा
38.		8. पन्नन
39.		9. आदि अन्धारा
40.		10. चन्दाला
41.		11. कूसा
42.		12. नयादि
43.		13. पल्लूवन
44.		14. पुल्लूवन
45.	पश्चिम बंगाल	1. लायक
46.	झारखंड	1. तांती (ततवा)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजे गए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय का नाम
1	2	3
1.	चंडीगढ़	1. सपेरा
2.		2. चमार, रविदास
3.	दादरा व नागर हवेली	1. रोहित
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1. धूसिया
5.	गुजरात	1. मेघवाल चरनिया
6.		2. चरनिया मेघवाल
7.		3. मेघवाल महेश्वरी
8.		4. महेश्वरी मेघवाल
9.	हरियाणा	1. कबीर पंथी जुलाहा
10.		2. हलखोर खकरोब
11.		3. मेघवाल
12.		4. बरवाला
13.	हिमाचल प्रदेश	1. तरखान
14.	जम्मू–कश्मीर	1. चूरा
15.		2. जेन
16.		3. मझवी
17.		4. नदियाला
18.	कर्नाटक	1. बोवी, कल्लूवद्दर, मन्नूवद्दर, बन्दीवद्दर
19.		2. डोम्ब, डोम्मारा
20.		3. परदेशी भान्ता, तकारी, उधिल्लयन
21.		4. भान्ता, भोम्ता, घांती चोरेस के पर्याय के रूप में घांती चोरे
22.		5. कोरावारी, कईकाडी कोरमा शेट्टी, कुंचीकोरवा, येराकाला
23.		6. कोराचा
24.	केरल	1. पुल्लूवन
25.		2. सम्बवन
26.		3. पुलया
27.		4. थाचर (बढ़ई को छोड़कर)
28.	मध्य प्रदेश	1. बसोद
29.		2. चितारी, चितर–महाराणा, चितर, चित्रकार
30.		3. दहिया
31.		4. सारथी
32.		5. सैस
33.	महाराष्ट्र	1. हेला
34.		2. परदेशी–चमार
35.		3. बसोद
36.		4. चर्मकार
37.	मणिपुर	1. चकपा

1	2	3
38.	उड़ीसा	1. सपुआकेला, नलुआकेला, मुंदपाताकेला, सिंदूरियाकेला
39.		2. जगीली, जागली
40.		3. बरीकी
41.		4. लखेरी
42.		5. कुमारी
43.		6. पत्रातांती
44.		7. बैती, बौती, चुनारी
45.		8. बजिया
46.		9. चमारा, चमार रोहिदास, चमार रविदास
47.		10. रजका
48.		11. खादल, खोदल
49.		12. घानी
50.	त्रिपुरा	1. धोबी
51.		2. चमार–रोहिदास, चमार–रविदास
52.		3. झालो–मालो, मल्ला–बर्मन
53.	उत्तर प्रदेश	1. बैसवार
54.		2. सनौरिया
55.	छत्तीसगढ़	1. बगड़ी, बागड़ी
56.		2. बंचाड़ा
57.		3. बारगुंडा
58.		4. बेदिया
59.		5. भानूमती
60.		6. चदर
61.		7. चीदर
62.		8. चीतर
63.		9. दहैत, दहायत, दाहत
64.		10. धानुक
65.		11. धेड़, धेर
66.		12. दोहोर
67.		13. होलिया
68.		14. कंजर
69.		15. खंगर, कनेरा, मिर्धा
70.		16. कुचबंधिया
71.		17. मेघवाल
72.		18. मोघिया
73.		19. मुस्खान
74.		20. नट, कलबेलिया, सपेरा, नवदीगर, कुबूतर
75.		21. पासी
76.		22. रुइझर
77.		23. सिलावत
78.		24. जमराल
79.		25. कोमा सम्मिलित नहीं करने को गलती से चमार और मंगन के बीच में शामिल कर दिया गया है।
80.		26. तूरी

विवरण-II

भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बीच सहमत प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय का नाम
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	बागरी, बागड़ी (विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन)
2.	केरल	थंडन (विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन)

टिप्पणी : अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन संबंधी वर्षवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

मकसी-इन्दौर-देवास-गोधरा परियोजना का पूरा होना

2197. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बजट में मक़सी–इन्दौर–देवास–गोधरा परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय–सारिणी निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना के देवास–मकसी खंड पर कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और लाइन 31.10.2003 को चालू कर दी गई है। बहरहाल, शेष परियोजना, जिसे 1992 में बंद कर दिया गया था, पर कार्य शुरू करने और व्यय के लिए आवश्यक क्लीयरेंस अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(घ) परियोजना की प्रत्याशित लागत लगभग 900 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के देवास–मकसी खंड को पहले ही पूरा किया जा चुका है और लाइन चालू कर दी गई है। शेष परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की समीक्षा

2198. श्री रामदास बंडु आठवले :
श्री चन्द्रशेखर दूबे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना देश में ग्राम स्तर पर अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में उक्त योजना के अंतर्गत कोई आंतरिक अध्ययन और समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार विशेषकर झारखंड राज्य में तत्संबंधी निष्कर्ष और परिणाम क्या है और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का क्या प्रभाव हुआ है;

(घ) क्या आशा के अनुरूप रोजगार सृजन नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य ग्राम स्तर पर मांग आधारित स्थायी सामुदायिक आधारभूत सुविधाएं सृजित करना था। इस योजना को 25 सितंबर, 2003 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।

(ख) और (ग) जी, हां। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में अध्ययन करवाए गए थे। कुल मिलाकर जे.जी.एस.वाई. के तहत निष्पादन संतोषजनक था। कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

(i) जे.जी.एस.वाई. और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जैसे अन्य चालू ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बीच सामाजिक मध्यस्थता/अभिसरण था।

(ii) कार्यक्रम में अपने कार्यान्वयन के दो वर्षों के दौरान ग्राम स्तर पर अनुपूरक मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जा सकता था।

(iii) निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं और पंचायती राज संस्था के कर्मियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(iv) सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता थी।

(घ) कार्यक्रम के तहत कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह कार्यक्रम अब परिचालन में नहीं है।

[अनुवाद]

नौपाड़ा से गुनपुर तक आमान परिवर्तन

2199. श्री परसुराम माझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौपाड़ा से गुनपुर तक का आमान परिवर्तन कार्य ईस्ट कोस्ट रेलवे के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उपर्युक्त आमान परिवर्तन परियोजना के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) नौपाड़ा–गुनपुर लाइन का आमान परिवर्तन पहले ही शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 90 कि.मी. की लंबाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। 31.3.04 तक इस परियोजना पर पहले ही लगभग 15.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और बजट 2004–05 में इस परियोजना के लिए 15 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

एल.एन.जी. की खरीद के लिए भारत और ईरान के बीच सौदा

2200. श्री तथागत सत्पथी :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने खोजे गए तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी के बदले में एल.एन.जी. की खरीद के लिए सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने टन एल.एन.जी. के आयात की सम्भावना है;

(घ) क्या आयातित एल.एन.जी. के उच्च मूल्य को राजसहायता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजसहायता किस प्रकार प्रदान की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच जनवरी, 2003 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। खोजे गए एक तेल क्षेत्र में हिस्से के लिए विनिमय के रूप में ईरान से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के तहत 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मि.मी. टन प्रति वर्ष) एल.एन.जी. आयात किए जाने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाना

2201. श्री पंकज चौधरी :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बाड़ की लंबाई क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी लंबाई तक बाड़ लगाई गई है; और

(घ) पूरी नियंत्रण रेखा पर कब तक बाड़ लगाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) 690 कि.मी. में बाड़ लगाने की योजना है जिसमें से 650 कि.मी. तक बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। शेष 40 कि.मी. में काम चल रहा है और यह कार्य दिसंबर, 2004 तक पूरा किया जाना है।

शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

2202. श्री मनोज कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शराब बनाने वाली कपंनियों द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कपंनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार शराब के छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों, व्यावसायिक विज्ञापन के लिए अपनी संहिता का पालन करते हैं जो शराब के विज्ञापनों पर रोक लगाती है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से सभी सैटेलाइट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित/पुनः प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है। विज्ञापन संहिता में, अन्य के साथ–साथ, ऐसे विज्ञापनों को निषिद्ध किया गया है, जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेटों, तम्बाकू के उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा अथवा अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री अथवा उपभोग को बढ़ावा देते हों।

विज्ञापन संहिता के कथित उल्लंघनों के संबंध में जनसदस्यों और संगठनों से समय–समय पर शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। केंद्र सरकार ने दिनांक 22.5.2002 को विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अंतर–मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। विज्ञापन संहिता के ऐसे उल्लंघनों का संज्ञापन समिति द्वारा स्वप्रेरणा से भी लिया जाता है। समिति की सिफारिशों पर टी.वी. चैनलों को विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते पाए गए विज्ञापनों को प्रसारित न करने का निर्देश दिया जाता है। विज्ञापन समिति की स्थापना के पश्चात् शराब के ब्रांडों के 14 (चौदह) विज्ञापनों को प्रसारित न करने के लिए विभिन्न टी.वी. चैनलों को निदेश देने वाले अंतिम आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जहां तक निजी एफ.एम. चैनलों का संबंध है, लाइसेंस–धारकों को आकाशवाणी की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है।

भारतीय प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.), भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखना और उनमें सुधार लाना है। अधिनियम की धारा 13, उपधारा 2(ग) के अनुसार, परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और पत्रकार जनरुचि के उच्च मानकों को बरकरार रखें और नागरिकता के अधिकारों एवं दायित्वों दोनों के यथोचित भाव को प्रोत्साहित करें।

भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) ने निम्नलिखित मानदंड तैयार किए हैं :

> "किसी ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो कि सिगरेटों, तंबाकू के उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री अथवा उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता हो।"

चूना पत्थर के लिए माल भाड़ा

2203. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूना पत्थर के लिए रेल माल भाड़े में चौगुनी वृद्धि हुई है जबकि आयातित चूना पत्थर पर आयात शुल्क और माल भाड़े में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वृद्धि और कमी का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चूना पत्थर की ढुलाई को श्रेणी 110 के अंतर्गत लाने और माल भाड़े पर 10% की छूट देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। आयातित और स्वदेशी चूना पत्थर दोनों के लिए रेल

मालभाड़ा एक समान है और वर्ष 2002–03 से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। रेलवे के संचालन व्ययों में वृद्धि होने के बावजूद रेल बजट 2004–05 में भी चूना पत्थर के लिए मालभाड़े की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाड़ीभार के लिए चूने के पत्थर को अभी भी श्रेणी–120 के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है।

ललितपुर से सिंगरौली तक की रेल लाइन

2204. श्री गणेश सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर से सिंगरौली तक की रेल लाइन को स्वीकृति दे दी गई है और क्या इस लाइन पर कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त रेल लाइन पर कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 1997–98 के बजट में ललितपुर–सतना–रीवा–सिंगरौली और महोबा–खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य को शामिल किया गया है। ललितपुर–खजुराहो और महोबा–खजुराहो खंडों के लिए विस्तृत अनुमानों को अनुमोदित कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 99.6 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 14.83 लाख घन मीटर कार्य पूरा हो चुका है। 25 बड़े पुलों में से 2 तथा 151 छोटे पुलों में से 39 पुल पूरे कर लिए गए हैं। 20 बड़े पुल तथा 28 छोटे पुलों पर कार्य प्रगति पर है। शेष खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ग) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

विमानपत्तन क्षेत्रों का विस्तार

2205. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों की कृषि योग्य भूमि को भारतीय वायुसेना के अधीन विमानपत्तन क्षेत्र के विस्तार के लिए जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसानों को किसी मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। रक्षा प्रयोजनों के लिए यथावश्यक भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथासंशोधित) तथा जम्मू और कश्मीर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1968, यथालागू के सांविधिक उपबंधों के अनुसार अर्जित की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जब कभी भूमि का अर्जन किया जाता है तो किसानों को अधिनियमों के उपबंधों के तहत मुआवजा दिया जाता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में डी-6 गैस क्षेत्र का विकास

2206. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आंध्र प्रदेश में डी–6 गैस क्षेत्र के विकास का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गैस क्षेत्र द्वारा लाभान्वित होने वाले विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आठ गैस खोजों में से केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 ब्लाक में की गई दो खोजों नामतः धीरूभाई–1 और 3 के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से विकास योजना प्राप्त हुई है।

(ग) चूंकि खोज से उत्पादन अभी शुरू होना है, इसलिए अब तक इस गैस खोज से किसी विद्युत संयंत्र को लाभ नहीं पहुंचा है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

प्राचीन प्रतिमाओं और कलाकृतियों की तस्करी

2207. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न हिस्सों और विशेषकर राजस्थान से प्राचीन प्रतिमाओं और कलाकृतियों की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे रोकने और पुरातत्व महत्व के ऐसे स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों से प्राचीन मूर्तियों तथा कलावस्तुओं की तस्करी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, जैसा कि राजस्थान पुलिस द्वारा रिपोर्ट दी गई है, हाल ही में 786 पुरावस्तुओं को बरामद किया गया है तथा इस संबंध में 25 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्राचीन मूर्तियों तथा कलावस्तुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर चौबीसों घंटों के लिए पहरा और निगरानी कर्मचारी, सशस्त्र पुलिस रक्षक और प्राइवेट सुरक्षा रक्षक लगाए जाते हैं।

झारखंड में कापार्ट

2208. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष–वार झारखंड में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट) की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके तहत उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार, स्थान–वार कापार्ट के माध्यम से प्रत्येक राज्य में स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन स्वयंसेवी संगठनों के राज्य–वार नाम क्या हैं जिनके अनुदान उक्त अनुदानों की उपयोगिता में हुई अनियमितताओं की वजह से रोक लिए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कापार्ट के जरिए झारखंड के लिए निर्धारित अनुमानित धनराशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस से वंचित उत्तर प्रदेश के गांव

2209. श्रीमती जयप्रदा :
श्री राजाराम पाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों और कस्बों में खाना पकाने के लिए रसोई गैस उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों और कस्बों के नाम क्या हैं तथा रसोई गैस वितरकों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे गांवों और कस्बों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए सरकार की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का वितरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 1.4.2004 को ओएमसी उत्तर प्रदेश राज्य में 77.88 लाख के ग्राहकों के साथ 1015 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थी। इन डिस्ट्रीब्यूटरों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव के ब्यौरे तेल विपणन कंपनियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, तेल विपणन कंपनियों ने राज्य के सभी ब्लॉकों का व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है और पहले के विपणन योजनाओं में शामिल किए जाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण श्रेणी के तहत 158 व्यवहार्य स्थलों का पता लगाया है। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिपें केंद्रीय स्थल के आस–पास के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करती हैं। ऐसी आशा है कि इन सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू हो जाने के बाद, राज्य में एलपीजी वितरण बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।

रेल उपरिपुल

2210. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में कुछ रेल उपरिपुलों का निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो 2004–05 के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य–वार आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्रस्तावित रेल उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। भारतीय रेल पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत सड़क उपरिपुल/निचले पुल के कुल 433 कार्य हैं जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें 23 कार्य चालू वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र में सड़क उपरिपुलों के चल रहे 21 निर्माण कार्य हैं। महाराष्ट्र में समपार सं. 24–25 और 26–27 के बदले क्रमशः जोगेश्वरी (दक्षिण) और (उत्तर) में सड़क उपरिपुल के दो निर्माण कार्य कार्यक्रम 2004–05 में शामिल किए गए हैं। लागत में भागीदारी के आधार पर चल रहे 21 कार्यों के लिए मुहैया कराए गए 875.76 लाख रुपये के अलावा वर्ष के दौरान इन दोनों कार्यों के लिए 7 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

विवरण

निर्माण कार्यक्रम 2004–05

राज्यवार निधियों का आवंटन हजार रुपयों में

राज्य	ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं		2004–2005 में स्वीकृत नए कार्य		कुल (हजार रुपये में)	
	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	49	241147	1	1100	50	242247
असम	3	10969	0	0	3	10969
बिहार	42	430552	5	17999	47	448551
छत्तीसगढ़	5	43550	0	0	5	43550
दिल्ली	1	7825	0	0	1	7825
गुजरात	4	19600	1	1000	5	20600
हरियाणा	13	122873	0	0	13	122873
झारखंड	20	222020	0	0	20	222020

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	37	240800	1	2000	38	242800
केरल	53	136700	0	0	53	136700
मध्य प्रदेश	9	87343	0	4000	9	91343
महाराष्ट्र	21	87576	2	700	23	88276
उड़ीसा	9	30500	0	3000	9	33500
पांडिचेरी	0	0	3	1300	3	1300
पंजाब	28	125352	0	0	28	125352
राजस्थान	7	62957	1	4000	8	66957
तमिलनाडु	41	282300	5	2900	46	285200
उत्तर प्रदेश	23	131165	3	16300	26	147465
पश्चिम बंगाल	45	171472	1	1000	46	172472
कुल	410	2454701	23	55299	433	2510000

कर्नाटक में मार्ग-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं का हस्तांतरण

2211. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आईओसीएल कर्नाटक राज्य के बहिलाकुली में सरकारी मार्ग–निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं का हस्तांतरण नए व्यवहार्य एलपीजी वितरकों को नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आईओसीएल के डिस्ट्रीब्यूटरों से बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटरों को ग्राहकों के स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रगति पर है। सरकार ने ग्राहकों के स्थानांतर में विलंब के कारणों का पता लगाने और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्र जांच–पड़ताल आयोजित करने हेतु दोनों कंपनियों को निदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में नये पेट्रोल पंप एवं एजेंसियां खोलना

2212. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में नये पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंसियों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां यथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) की हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित संख्या

में खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपें (पेट्रोल पंप) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने की योजना है :

तेल कंपनी का नाम	हिमाचल प्रदेश		जम्मू व कश्मीर	
	खुदरा बिक्री के. की सं.	एलपीजी डी. की सं.	खुदरा बिक्री के. की सं.	एलपीजी डी. की सं.
आईओसी	66	19	55	03
बीपीसी	24	42	55	42
एचपीसी	22	03	67	07
आईबीपी	64	00	46	00
कुल	176	64	223	52

इनमें से कई डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2004–05 के दौरान चालू होने की संभावना है; तथापि, ये सब कब तक चालू होंगी इसकी सही समय सीमा निर्दिष्ट करना कठिन है क्योंकि चालू किया जाना कई कारकों जैसे उम्मीदवारों का चयन, डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन, भूमि की उपलब्धता तथा स्थानीय प्राधिकारियों आदि से अन्य सांविधिक अनुमोदनों पर निर्भर करेगा।

हैदराबाद शहर में एलपीजी की कमी

2213. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद शहर में एलपीजी की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैस आपूर्ति के लिए विशाखापतनम से हैदराबाद तक 600 कि.मी. लंबी पापइलाइन का कार्य निर्माणाधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ङ) यह परियोजना कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और

(च) यह पाइपलाइन किस सीमा तक हैदराबाद के लोगों की एलपीजी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) हैदराबाद नगर में अपने ग्राहकों की एलपीजी की मांग पूर्णतः पूरी कर रही हैं। किसी भी ओएमसी द्वारा एलपीजी की किसी कमी की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

(ग) एलपीजी के परिवहन के लिए विजाग–सिकंदराबाद पापइलाइन यांत्रिक रूप से 22 जून, 2003 को पूरी कर ली गई है।

(घ) और (ङ) विशाखापटनम से विजयवाड़ा तक पाइपलाइन के भाग को चालू कर दिया गया है और यह वाणिज्यिक प्रचालन कर रहा है। विजयवाड़ा और सिकंदराबाद के बीच पाइपलाइन भाग 21 जुलाई, 2004 को चालू हो गया है।

(च) इस पाइपलाइन की क्षमता केवल सिकंदराबाद/हैदराबाद शहर के लिए 7,68,000 एमटी प्रति वर्ष एलपीजी का परिवहन करने की है।

महाराष्ट्र में एसजीआरवाई के तहत प्रस्तावों की मंजूरी

2214. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 2002 में एसजीआरवाई के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है;

(ग) क्या उन्हें अनुमोदित और स्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) आवंटन आधारित योजना है। योजना के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन राज्यों को और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर जिलों को, वित्त वर्ष के आरंभ में, पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाता है। योजना का शत–प्रतिशत कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वर्ष 2002–03 के लिए

महाराष्ट्र के लिए नकद आवंटन 14108.67 रु. था जिसमें से 13724.74 लाख रु. रिलीज किए गए।

विशिष्ट घटक योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवार

2215. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए तैयार की गई विशिष्ट घटक योजना के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रवार कितनी थी और 2004–05 के दौरान सम्मिलित किए जाने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निर्धारित लक्ष्य क्या थे;

(ग) क्या निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विशेष संघटक योजना बनानी और कार्यान्वित करनी होती है। लक्ष्यों के निर्धारण व विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा से फौज हटाना

2216. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सचिव स्तरीय वार्ता के पश्चात् भारत सरकार ने भारत–पाक सीमा पर तैनात फौज को हटाने पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसे दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध कायम करने के मार्ग में एक बाधा माना जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार इसको एक बाधा नहीं मानती है। रक्षा बलों की तैनाती सर्वोपरि अधिकार है ताकि आतंकवाद के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा तथा प्रभावशाली कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एलपीजी कनेक्शन और वितरण में संलग्न कंपनियां

2217. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में एलपीजी कनेक्शन और वितरण में संलग्न कंपनियों के नाम और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कंपनी द्वारा नियुक्त वितरकों/डीलरों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसे वितरकों/डीलरों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राज्य में एलपीजी कनेक्शनों में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो 2004–2005 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्तमान में चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां, नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) पश्चिम बंगाल में उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित कर रही हैं।

(ख) और (ग) 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां पश्चिम बंगाल राज्य में 426 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों

का प्रचालन कर रही थीं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नाम तेल विपणन कंपनियों के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में एलपीजी कनेशन पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में मांग पर उपलब्ध है। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों को स्थानों की संभाव्यता और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

ईरान से तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने की स्थिति

2218. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच जनवरी, 2003 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। खोजे गए तेल क्षेत्र में हिस्से के लिए विनिमय के रूप में ईरान से 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मि.मी. टन प्रति वर्ष) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात करने का प्रस्ताव है।

हजीरा पत्तन से संपर्क

2219. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना हजीरा पत्तन को इसके दूरदराज के इलाकों से जोड़ने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना कृभको के साइडिंग ट्रैक का विस्तार हजीरा तक करने की भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) हजीरा बंदरगाह को जोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय रेल विकास योजना का एक भाग है।

(ग) तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण के अनुसार, नई लाइन को मौजूदा कृभको साइडिंग के समानांतर ही बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) निर्माण कार्य परियोजना विकास के पूरे होने, वित्तीय भागीदारी में सामारिक भागीदारों और परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल, परियोजना का विकास प्रगति पर है।

खड़गपुर और भुवनेश्वर खंड का विद्युतीकरण

2220. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट और दक्षिण–पूर्वी रेल के खड़गपुर और भुवनेश्वर खंड का विद्युतीकरण समय सारिणी में एक बार से अधिक परिवर्तन किए जाने के बावजूद पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) खड़गपुर–भुवनेश्वर खंड पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बीना, म.प्र. स्थित तेल शोधक कारखाने में हुई प्रगति

2221. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीना स्थित शोधक कारखाने की स्थापना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) बीना रिफाइनरी परियोजना

के तीन घटक हैं—(1) बीना में छह मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की रिफाइनरी, (2) वाडीनार (गुजरात) में कच्चा तेल आयात सुविधा, (3) वाडीनार से बीना तक कच्चे तेल की एक राज्यवार पापइलाइन। बीना में रिफाइनरी ब्लाक के लिए और वाडीनार में कच्चे तेल के टर्मिनल के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। कच्चे तेल की पाइपलाइन के मार्ग के साथ–साथ प्रयोक्ता के अधिकार/रास्ते के अधिकार का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। परियोजना के लिए सभी पर्यावरणीय अनापत्तियां भी प्राप्त कर ली गई हैं। इस परियोजना पर अब तक 156 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय किया जा चुका है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 5.3% है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवर्तित मांग–आपूर्ति परिदृश्य और उन्नत उत्पाद गुणवत्ता विनिर्देशों के समरूपण को पूरा करने के लिए प्रक्रिया संकेन्द्रण पुनरीक्षण अध्ययन करने के एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से, अन्य सरकारों द्वारा अपने–अपने राज्यों में ग्रासरूट रिफाइनरी परियोजनाओं को दिए गए प्रोत्साहनों के समान कतिपय कर प्रोत्साहन दिए जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

उड़ीसा के पारादीप तट पर तेल शोधक संयंत्र

2222. **श्रीमती अर्चना नायक :**
श्री तथागत सत्पथी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित पारादीप तेल शोधक संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिना और विलंब के संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ग) संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस संयंत्र से उत्पादन के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच 16.2.2004 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अनुसार आईओसीएल रिफाइनरी का निर्माण 2009–10 तक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय आरंभ करेगी। तथापि, यदि देश में बाजार परिस्थितियां पहले के अनुमानों की तुलना में रिफाइनरी से उत्पादों की घरेलू बिक्री के उच्चतर स्तरों के अनुकूल रहती हैं तो आईओसीएल इस परियोजना को 2008–09 तक पूरी करने के प्रयास करेगी। अक्तूबर, 2002 के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत 7500 करोड़ रुपये है।

सीसीआई का पुनर्गठन

2223. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) के निजीकरण के बारंबार प्रयास कंपनी के सीमेंट संयंत्रों हेतु कोई भी बोली प्राप्त न होने की वजह से निष्फल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन सीमेंट संयंत्रों के पुनर्निर्माण पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) माननीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के निदेशों के अनुसरण में ऑपरेटिंग एजेंसी (आईएफसीआई) द्वारा सीसीआई की यूनिटों को पृथकरूप से या सामूहिक रूप से या सीसीआई के सभी 10 संयंत्रों को समग्र रूप से बिक्री करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं लेकिन, राजबन यूनिट के लिए दिनांक 15.1.2004 को केवल दो वित्तीय बोलियां प्राप्त हुईं।

(ग) से (ङ) सीसीआई अप्रैल, 1995 से ही बीआईएफआर के संदर्भाधीन है तथा इसे वर्ष 1996 में रुग्ण घोषित कर दिया

गया है। सीसीआई की बिक्री की प्रक्रिया बीआईएफआर के तत्त्वावधान के अंतर्गत चल रही है। सीसीआई के संबंध में निर्णय बीआईएफआर के अंतिम निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् लिया जाएगा।

तेल पर से लक्जरी कर समाप्त करना

2224. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो पहिया और चार पहिया वाहनों के प्रयोगकर्ताओं के लिए तेल पर से लक्जरी कर समाप्त करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई विलास कर नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाएं

2225. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री प्रदीप गांधी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विभिन्न रेल परियोजनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक पर किया जाने वाला खर्च क्या है तथा उनके पूर्ण होने की समय सारिणी क्या है;

(घ) समय सारिणी के अनुसार इन परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदम क्या हैं;

(ङ) क्या दलतीराज हरा जगदलपुर (बस्तर) रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पूर्णतः और अंशतः गुजरने वाली विभिन्न चल रही नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 2004–05 के दौरान प्रस्तावित बजट आवंटन और लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई हो, सहित 31.3.2004 तक किए गए खर्च का परियोजना–वार प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2004 तक किया गया खर्च (करोड़ रु. में)	2004–05 के दौरान प्रस्तावित बजट आवंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
		नई लाइन			
1.	शिवपुर–ग्वालियर–भिंड के रास्ते गुना–इटावा (348.25 कि.मी.)	गुना–भिंड पूरा हो गया है। भिंड–इटावा (36 कि.मी.) पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	423.00	329.54	31.00
2.	ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरोली और महोबा–	कार्य चरणों में किया जा रहा है। ललितपुर–खजुराहो (167.5 कि.मी.) और महोबा–खजुराहो	925.00	29.33	32.00

1	2	3	4	5	6
	खजुराहो (541 कि.मी.)	(65 कि.मी.) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। खजुराहो–सतना (116 कि.मी.) और रीवा–सिंगरोली (191.6 कि.मी.) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।			
3.	दाहोद, सरदारपुर, धार और देवास–मकसी के रास्ते गोधरा–इंदोर (316 कि.मी.)	देवास–मकसी (36 कि.मी.) पूरा हो गया है। गोधरा–इंदौर पर कार्य योजना आयोग के परामर्श से शुरू किया जाना है।	900.00	58.10	15.00
4.	रामगंज मंडी–भोपाल (262 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रामगंज मंडी–झालावाड़ (25.72 कि.मी.) के बीच कार्य शुरू हो गया है।	727.13	6.72	27.00
5.	दल्लीराजहरा–जगदलपुर (235. कि.मी.)	इस रेलवे लाइन का प्रथम चरण अर्थात् दल्लीराजहरा से रावघाट तक का पूरा निर्माण मैसर्स स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की लागत पर किया जाना है, जिसने वन विभाग की अपेक्षित स्वीकृति न मिलने के कारण इस पार्ट परियोजना की लागत रेलवे के पास अभी तक जमा नहीं कराई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय हाल ही में इस भाग के लिए अपेक्षित वन भूमि के डायवर्जन के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है।	369.00	0.43	0.01
6.	विश्रामपुर–अम्बिकापुर (19.88 कि.मी.)	वन भूमि को छोड़कर सारी भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और वन भूमि का हस्तांतरण प्रगति पर है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	80.33	28.49	20.00
		आमान परिवर्तन			
1.	बालाघाट–कटांगी सहित जबलपुर–गोंदिया (285 कि.मी.)	गोंदिया–बालाघाट खंड पर मिट्टी, पुल और रेलपथ लिंकिंग का कार्य प्रगति पर है। खंड को 2004–05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जबलपुर छोर से 12 कि.मी. चक्करदार संरेखण का कार्य और बालाघाट–कटांगी तथा बालाघाट–नैनपुर खंडों पर पुल संबंधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है।	511.86	109.81	38.06

1	2	3	4	5	6
2.	नीमच–रतलाम (135.38 कि.मी.)	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 2005–06 के दौरान कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।	167.51	55.44	25.00
		दोहरीकरण			
1.	कालापिपल–फंदा/मकसी–भोपाल (41.49 कि.मी.)	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	53.00	6.63	12.62
2.	अकोडिया–मोहम्मद खेड़ा–सुजलपुर (13.15 कि.मी.)	बजट 2003–04 में नए कार्य के रूप में शामिल किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करना शुरू हो गया है।	31.36	0.00	5.02
3.	मानिकपुर–छिओकी (चरण–I) (32.68 कि.मी.)	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और मिट्टी आपूर्ति के कार्य प्रगति पर हैं। रेलपथ लिंकिंग के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य 2004–05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।	50.74	25.72	10.00
4.	कोरबा–गेवरा रोड (8 कि.मी.)	गेवरा रोड–कुसुमुंडा (3 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू हो गया है। कुसुमुंडा–कोरबा के बीच कार्य प्रगति पर है।	46.80	29.72	13.23
5.	बिलासपुर–उरकुरा (तीसरी लाइन) (110 कि.मी.)	बिलासपुर–डगोरी को 2004–05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। डगोरी–भाटपाड़ा के बीच, निपनियां–भाटपाड़ा के बीच मध्यवर्ती खंड में रेलपथ लिंकिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। भाटपाड़ा–उरकुरा का दोहरीकरण रेल विकास निगम लि. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	249.86	105.90	72.00

(ग) से (च) उपरोक्त के अलावा, दल्लीराजहरा–जगदलपुर (235 कि.मी.) नई लाइन और अकोडिया–मोहम्मद खेड़ा–सुजलपुर (13.15 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजनाओं पर अभी कार्य शुरू किया जाना है।

दल्लीराजहरा–जगदलपुर नईलाइन का पहला चरण अर्थात् दल्लीराजहरा से रावघाट का संपूर्ण निर्माण मैसर्स स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की लागत पर किया जाना है, सेल ने वन विभाग की अपेक्षित स्वीकृति न मिलने के कारण इस पार्ट परियोजना की लागत रेलवे के पास अभी तक जमा नहीं कराई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय हाल ही में दल्लीराजहरा–जगदलपुर खंड के लिए आवश्यक वन भूमि के डायवर्जन के लिए 'सिद्धांत रूप में' सहमत हो गया है। जैसे ही सेल द्वारा रेलवे के पास धन जमा करा दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि का कब्जा सौंप दिया जाएगा, कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अन्य नए कार्य जो 10वीं योजना के दौरान रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे, उनका उचित समय पर निर्धारण किया जाएगा।

अकोडिया–मोहम्मद खेड़ा–सुजलपुर (13.15 कि.मी.) के दोहरीकरण को रेल बजट 2003–04 में नए कार्य के रूप में शामिल किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करना शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

महिला स्व-सहायता समूहों हेतु रसोई गैस एजेंसियां

2226. श्री अनन्त नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिला स्व–सहायता समूहों को नई रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसी रसोई गैस एजेंसियों को किस तिथि से महिला स्व–सहायता समूहों को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा महिला स्वतः सहायता समूह को सीधे एलपीजी गैस एजेंसियां आवंटित करने की कोई योजना नहीं है।

अप्रचलित स्पेयर पार्ट्स को जमा किया जाना

2227. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपये के अप्रचलित स्पेयर पार्ट्स सुरक्षा बलों के तीनों स्कंधों में जमा हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स की अनुमानित कीमत, उनके उद्‌भव और खरीद के वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान कितनी मात्रा में अप्रचलित स्पेयर पार्ट्स नीलाम किए गए और इन स्पेयर पार्ट्स की बिक्री से कितनी धनराशि अर्जित की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न किस्म, उत्पत्ति तथा पुराने पड़ गए हिस्से–पुर्जे जमा हो गए हैं। अप्रचलित हिस्से–पुर्जों का ब्यौरा, उनकी अनुमानित लागत, उत्पत्ति और अधिप्राप्ति का वर्ष तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान 3289 मदों की बिक्री से कुल 6.61 करोड़ रुपये अर्जित किए गए। वर्ष 2004–05 के अब तक के आंकड़े इस स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

तेलशोधक कंपनियों को लाभ और हानि

2228. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
श्री नीतीश कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कमी/वृद्धि के परिणामस्वरूप तेलशोधक कंपनियों के लाभ और हानि का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान तेल–शोधक कंपनियों के लाभ–हानि में कमी/वृद्धि का तिमाहीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कंपनियों को लाभार्जन करने वाली कंपनी बनाने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के समन्वित तेल शोधन और विपणन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के करोपरांत लाभ के तिमाही–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ये कंपनियां नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में, वे अपने–अपने वाणिज्यिक आकलन के अनुसार निर्णय लेती हैं। अपनी लाभप्रदत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से उनके द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ, रिफाइनरी थ्रुपुट में वृद्धि, ऊर्जा खपत में कमी, लागतों में कमी आदि, शामिल हैं।

विवरण

(रु. करोड़)

तिमाही	आईओसी		बीपीसीएल		एचपीसीएल	
	2003–04	2002–03	2003–04	2002–03	2003–04	2002–03
अप्रैल–जून	944.67	624.99	319.27	245.02	157.34	116.62
जुलाई–सितंबर	1806.77	253.69	477.11	324.60	443.84	456.00
अक्तूबर–दिसंबर	2403.44	776.56	484.29	233.01	775.71	330.62
जनवरी–मार्च	1849.94	2199.65	413.90	447.40	527.05	634.12
कुल	7004.82	6114.89	1694.57	1250.03	1903.94	1537.36

[अनुवाद]

उड़ीसा में पनधारा विकास कार्यक्रम

2229. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केंद्र सरकार को उड़ीसा सरकार से पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलावार कितने परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) अब तक जिलेवार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए;

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) अब तक कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग उड़ीसा में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) केवल पहले से पहचान किए गए ब्लॉकों में ही कार्यान्वित किया जाता है। उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत जिला–वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जिलों तथा स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) ये कार्यक्रम मांग आधारित हैं तथा राज्य को निधियां सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने और मानदंड पूरा किए जाने के बाद ही जारी की जाती हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत अभी तक जिला–वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत पहले से पहचान किए गए जिले

क्र.सं.	जिले	विगत तीन वर्षों (2001–02 से 2003–04) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2001–02 से अभी तक जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	बारगढ़	54	381.7000
2.	बोलंगीर	96	499.2200
3.	बौद्ध	25	124.1150
4.	धेनकनाल	21	93.1500

1	2	3	4
5.	कालाहांडी	120	743.9455
6.	नौपाड़ा	55	424.3895
7.	फूलबनी	130	459.0000
8.	सोनपुर	26	191.6075
	योग	527	2917.1275

विवरण-II

उड़ीसा में स्वीकृत समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) परियोजनाएं

क्र.सं.	जिले	विगत तीन वर्षों (2001–02 से 2003–04) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2001–02 से अभी तक जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1.	बालासोर	1	89.45
2.	कटक	1	124.55
3.	देवगढ़	1	113.04
4.	गजापथी	1	57.28
5.	गंजम	1	125.95
6.	कालाहांडी	1	57.75
7.	क्योंझर	1	49.20
8.	खुर्दा	1	63.26
9.	कोरापुट	1	41.25
10.	मलकानगीरी	1	41.25
11.	मयूरभंज	1	49.50
12.	नवरंगपुर	2	199.65
13.	रायागादा	1	41.25
14.	सम्बलपुर	1	193.01
15.	सुन्दरगढ़	1	41.25
	योग	16	1287.64

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

2230. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा देश में एफ.एम. रेडियो स्टेशनों से संबंधित नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नए दिशानिर्देशों का निर्णय हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में कितने निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर केरल में निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को अनुमति देने हेतु कितने शहरों/नगरों को चुना गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) चरण–II के एफ.एम. प्रसारण हेतु सिफारिशें करने के लिए सरकार ने फिक्की के महासचिव, डा. अमित मित्रा की अध्यक्षता में दिनांक 24.7.2003 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नवंबर, 2003 में प्रस्तुत कर दी थी, जो मंत्रालय की वेबसाइट (http:www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है। आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों सहित रिपोर्ट को दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेज दिया गया है, जो कि प्रतीक्षित है।

(घ) इस समय 21 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं।

(ङ) केरल में तिरुवनंतपुरम और कोची सहित चरण–I के निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण हेतु 40 शहरों का चयन किया गया।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों की आवश्यकता

2231. श्री सुरेश चन्देल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या रेल डिब्बों की मांग को हमारे कारखानों द्वारा पूरा नहीं किया जाता है अथवा विदेशों से रेल डिब्बों को आयात करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यात्री डिब्बों को सरकार द्वारा निर्यात किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने प्रतिवर्ष लगभग 40 प्रकार के सवारी डिब्बों का प्रापण किया है।

(ख) और (ग) भारतीय रेल के दो सवारी डिब्बा कारखानों जैसे सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नै और रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला में उपलब्ध मौजूदा क्षमता के अलावा सार्वजनिक सेक्टर में दो सवारी डिब्बा कारखाने तथा मैसर्स जैसप्स एंड कंपनी, कोलकाता और मैसर्स भारत अर्थ मूवरस लिमिटेड, बैंगलोर भारतीय रेल की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। अतः क्षमता में कमी के आधार पर सवारी डिब्बों का आयात नहीं किया जाता है।

(घ) जी, हां। रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इक्नोमिक्स सर्विसेज (राइट्स) और मैसर्स इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) को भारतीय रेलवे द्वारा विनिर्मित चल स्टॉक और कलपुर्जों को निर्यात करने के लिए नामित किया गया है।

(ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय रेल के दो सवारी डिब्बा कारखानों द्वारा विनिर्मित सवारी डिब्बे और सवारी डिब्बा कलपुर्जों के निर्यात का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	सवारी डिब्बों/सवारी कलपुर्जों की संख्या	देश जिसको निर्यात किया गया
सडिका	मीटर लाइन	
1994–95	15 मीला. सवारी डिब्बे	वियतनाम
1997–98	27 मीला. सवारी डिब्बे	तंजानिया
रेडिका		
2000–01	72 अदद मीला. बोगियां	वियतनाम

[अनुवाद]

अमरीका के साथ सैन्य संधि

2232. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत के साथ घनिष्ठ सैन्य संधि को जारी रखने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने प्रक्षेपास्त्र रक्षा और रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की पेशकश और संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अमरीका ने आपसी हित में अमरीकी और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच सैन्य संबंधों को जारी रखने में उत्सुकता दिखाई है। इस बात को 1 से 2 जून, 2004 तक भारत में आयोजित अमरीका–भारत रक्षा नीति समूह की 6वीं बैठक के दौरान दोहराया गया था।

(ख) अमरीका और भारत के बीच प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा के बारे में बातचीत हुई थी जिसमें अमरीकी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम के बारे में ब्रीफिंग शामिल थी। प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए न कोई विशिष्ट प्रस्ताव किया गया था और न ही मांगा गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत–अमरीकी सैन्य संबंधों का एक अभिन्न पहलू है। रक्षा से संबद्ध प्रौद्योगिकी तक पहले से अधिक पहुंच अमरीका–भारत रक्षा संबंधों का एक नवोदित क्षेत्र है।

(ग) से (च) अभी तक ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं जिन पर सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। सरकार पुरानी परंपराओं के अनुरूप एक स्वतंत्र नीति के मानदंडों के अंतर्गत अमरीका के साथ रक्षा क्षेत्र को शामिल करते हुए करीबी सहयोग और

संबंध बनाना चाहती है। विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण–दोषों तथा राष्ट्रीय हित को देखते हुए विचार किया जाएगा।

कुडप्पा से बंगलौर तक नई रेल लाइनें

2233. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडप्पा से बंगलौर तक बरास्ता मदानपल्ली, भद्राचलम नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में मदनापल्ली के रास्ते कुडप्पा से बैंगलोर तक नई रेल लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए निवेदन किया है। इसमें भद्राचलम को शामिल नहीं किया गया है और यह प्रस्तावित संरेखण में भी नहीं आता है।

(ख) मदनापल्ली के रास्ते कुडप्पा से बैंगलोर तक नई रेल लाइन के अद्यतन सर्वेक्षण को बजट 2004–05 में शामिल कर लिया गया है।

ग्रामीण बस्तियों का आर्थिक विकास

2234. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले पांच वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण बस्तियों में आर्थिक विकास लाने के परिकल्पित प्रस्ताव के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पहले ही ग्रामीण व्यक्तियों में आर्थिक विकास की अवधारणा को स्वीकृति दे दी थी और इस उद्देश्य के लिए 5000 ग्रामीण बस्तियों की पहचान की थी;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों हेतु अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या तीव्र विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है किन्तु इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

निधियों का उपयोग

2235. श्री वाई जी. महाजन :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रक्षा के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आवंटित निधियों का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में रक्षा सेवाओं को आवंटित निधि और इस अवधि के दौरान खर्च की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

	निवल बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2001–02	62000.00	54265.73
2002–03	65000.00	55661.83
2003–04	65300.00	60030.51*

*अनंतिम, खाते अभी बंद नहीं किए गए।

(ख) आवंटित निधि के खर्च न किए जाने के कारण संबंधित वर्षों के विनियोजन खाता (रक्षा सेवाएं) में दिए गए हैं, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आवंटित निधि के पूर्ण उपयोग के लिए रक्षा व्यय की विभिन्न खरीद प्रक्रियाओं और प्रगति की स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक हो, अनवर्ती कार्रवाई की जाती है। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत खाते में अधिग्रहण कार्य को करने के लिए एक नया अधिप्राप्ति संगठन भी स्थापित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरांचल द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग

2236. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरांचल को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) केंद्र द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत नई स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां चरणबद्ध तरीके से रिलीज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तरांचल राज्य को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा और राज्य द्वारा बताया गया उपयोगिता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रु. करोड़ में)	अनुमोदित सड़क कार्यों की संख्या	प्रयुक्त राशि (रु. करोड़ में)	पूरे कर लिए गए सड़क कार्य
2000–01 (चरण–I)	60.63	69	54.11	65
2001–03 (चरण–II)	140.41	92	43.74	31
2003–04* (चरण–II)	0	52	0	0

*59.53 करोड़ रु. की लागत से प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। तथापि, निधियां रिलीज नहीं की गई क्योंकि राज्य के पास निधियां उपलब्ध थीं।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्री

2237. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–04 के दौरान और चालू वर्ष में आज तक रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा कर रहे कितने यात्रियों को पकड़ा गया तथा उसकी वजह से रेलवे द्वारा उठाई गई अनुमानित हानि का जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा जोन–वार इनसे कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वर्ष 2003–04 और चालू वर्ष (मई 2004 तक) बिना टिकट/अनुचित टिकट पर यात्रा करते पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूली गई रेलवे को देय राशि संलग्न विवरण में दी गई है। बिना टिकट यात्रा से हुई हानि की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ग) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध नेमी जांच के अलावा, रेलवे मजिस्ट्रेटों, रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के कार्मिकों की मदद से नियमित रूप से विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। इस तरह पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बिना टिकट/अनियमित यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम पेनल्टी 50/– रुपये से बढ़ाकर 250/– रुपये कर दी गई है।

विवरण

रेलवे	गाड़ियों में बिना टिकट/ अनुचित टिकट पर यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों की संख्या (लाख में) अप्रैल, 2003 से मई, 2004 तक	रेलवे बकाया की वसूली गई राशि (करोड़ रुपए में) अप्रैल, 2003 से मई, 2004 तक
1	2	3
मध्य	16.17	28.19
पूर्व	14.07	10.88
पूर्व मध्य	11.79	14.08
पूर्व तट	3.00	4.04

1	2	3
उत्तर	44.26	49.45
उत्तर मध्य	16.75	27.33
पूर्वोत्तर	8.31	12.85
पूर्वोत्तर सीमा	3.52	6.68
उत्तर पश्चिम	5.45	7.15
दक्षिण	6.27	9.08
दक्षिण मध्य	15.04	22.82
दक्षिण पूर्व	4.76	6.23
दक्षिण पूर्व मध्य	4.71	5.27
दक्षिण पश्चिम	2.50	4.49
पश्चिम	20.59	28.22
पश्चिम मध्य	5.97	9.98
कुल	183.16	246.74

जिला स्तर की इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

2238. श्री नीतीश कुमार :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायितव जिला स्तर की इकाइयों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कुछ संस्थानों को चुना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार इन योजनाओं के माध्यम से जिला स्तर की स्थानीय समस्याओं को भी सुलझाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां रिलीज करता है। यह प्रक्रिया राज्य सरकारों के परामर्श से विकसित की गई है, जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रालय के अनुभव के आधार पर और संविधान में उल्लिखित विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप है। संभावना की जाती है कि इस प्रक्रिया से कार्यान्वयन की गति में तेजी आएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। मंत्रालय विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय जिला स्तरीय समस्याओं को दूर करता है। पंचायती राज संस्थाओं की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला आयोजना समितियां भी गठित की जाती हैं।

इन्दौर-देवास-उज्जैन खंड पर रूट रिले इंटरलॉक के साथ टोकनरहित प्रणाली

2239. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर–देवास–उज्जैन खंड पर रूट रिले इंटरलॉक के साथ टोकनरहित प्रणाली प्रदान करने से संबंधित कोई प्रस्ताव/योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो रूट रिले इंटर–लॉकिंग कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इंदौर–देवास–उज्जैन खंड पर आठ स्टेशन हैं जिनमें से एक स्टेशन (इंदौर) में रूट रिले अन्तर्पाशन (आरआरआई) की व्यवस्था की जा रही है और शेष सात स्टेशनों पर पैनल अंतर्पाशन (पीआई) की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि ये स्टेशन छोटे आकार के हैं। पीआई और आरआरआई कार्यों के साथ धुरा काउंटर द्वारा ब्लॉक प्रूविंग (टोकन रहित ब्लॉक कार्य प्रणाली) का कार्य भी किया जाएगा।

(ख) छः स्टेशनों पर अर्थात् मांगलियागांव, देवास, नारंजीपुर, करछा और विक्रमनगर पर पैनल अंतर्पाशन का कार्य पूरा हो गया है। अन्य स्टेशनों अर्थात् लक्ष्मीबाईनगर और इंदौर स्टेशनों पर कार्य मार्च, 2005 तक पूरा होने की संभावना है। इस खंड पर धुरा काउंटर द्वारा ब्लॉक प्रूविंग (टोकन रहित ब्लॉक प्रणाली) की व्यवस्था भी मार्च, 2005 तक होने की संभावना है।

[अनुवाद]

रक्षा उपस्करों की खरीद

2240. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा खरीद विभाग द्वारा अपनी स्थापना के समय से रक्षा उपस्कर बोर्ड द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उनमें से अभी कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दिया जाना शेष है; और

(ख) शेष प्रस्तावों को अभी तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड की स्थापना होने से अब तक इसने रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति के पचहत्तर प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी। अब तक इक्यावन संविदाएं की गई हैं। शेष चौबीस मामले प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

मरु क्षेत्रों के विस्तार पर नियंत्रण

2241. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन–किन राज्यों में मरु क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में मरु क्षेत्रों के विस्तार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) मरुस्थलीकरण एक भूमि अवक्रमण प्रक्रिया है जो भीषण जलवायु परिस्थितियों, अनुपयुक्त प्रबंधन पद्धतियों तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मौजूद है। मरुस्थलीकरण की प्रबलता का आकलन करने के लिए विभिन्न जलवायु–विषयक, भूमि, जल एवं सामाजिक आर्थिक प्रतिमानों का विस्तृत मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक इस प्रकार के कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी. डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) आदि जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं और अवक्रमित वन भूमि के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम मौजूद है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से गुजरने वाली गैस पाइप-लाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी

2242. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कृष्ण :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री अबदुल्लाकुट्टी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) क्या पाकिस्तान इस पाइपलाइन को अंतर्राष्ट्रीय गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जो ईरान से पाकिस्तान होकर भारत पहुंचेगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त पाइपलाइन के लिए कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और.

(च) उपयोग हेतु इस पाइपलाइन द्वारा कितने प्रतिशत गैस प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सरकार भारत और ईरान के बीच प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने सहित भारत को ईरानी गैस की आपूर्ति के लिए कई वर्षों तक अनेक विकल्पों पर विचार करती रही है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान ने समय–समय पर ईरान–पाकिस्तान–भारत जमीनी गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव के प्रति अपना सहयोग प्रकट किया है और आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंताओं का समाधान करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इस संबंध में वार्ता करने के लिए भी अपनी इच्छा प्रकट की है।

(घ) से (च) परियोजना का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

पेट्रोल की गुणवत्ता में सुधार

2243. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों ने यूरो–III नियमों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान प्रसंस्करण इकाइयों को यूरो–III नियमों के अनुसार पुनर्गठित करने से आए खर्च का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस समय तक कंपनी–वार उन्नयन कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी, हां। आटो ईंधन नीति में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) महानगरों/निर्धारित नगरों में अप्रैल, 2005 तक और शेष देश में अप्रैल, 2010 तक यूरो–III समकक्ष ईंधन की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। 1.4.2010 से पूरे देश में यूरो–III समकक्ष मानकों की शुरुआत का कार्यक्रम 1.4.2005 से पूरे देश में भारत चरण–II मानक और निर्धारित नगरों में यूरो–III समकक्ष मानकों के लागू होने के बाद वर्ष 2006 में समीक्षा के अध्यधीन है। परियोजनाओं की पूर्णता के अनुमानित समय के साथ उपर्युक्त उन्नयन परियोजनाओं में शामिल व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कंपनी का नाम	यूरो–III के उन्नयन के लिए संबद्ध व्यय (रु. करोड़)	परियोजना की पूर्णता का अनुमानित समय
1	2	3
चरण-I (निर्धारित नगरों में यूरो-III की आपूर्ति के लिए) अप्रैल, 2005 का कार्यक्रम		
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	5551	मार्च, 2005
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	1941	अक्तूबर, 2004–जनवरी, 2005
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	1152	अप्रैल, 2005–मई 2006
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	1157	अक्तूबर, 2004

1	2	3
चरण-II (सारे देश में यूरो-III की आपूर्ति के लिए) अप्रैल, 2010 का कार्यक्रम		
मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	400	फरवरी, 2006
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	4412	2009–10
कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड	2080	2009–10
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	296.86	2005–06
बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्राकैमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल)	805	2009–10

हिन्दुस्तान केबल फैक्ट्री का पुनर्गठन

2244. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में स्थित हिन्दुस्तान केबल फैक्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार फैक्ट्री के पुनर्गठन का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन के संबंध में विशेषकर विस्थापित कर्मचारियों के संदर्भ में क्या उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की रूपनारायणपुर (प. बंगाल) यूनिट में कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण फरवरी, 2004 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बीआईएफआर ने एचसीएल की पुनर्संरचना तथा पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) के रूप में नियुक्त किया है। प्रचालन एजेंसी ने एचसीएल के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तावित किया था जिसमें 933 करोड़ रुपये के नई इक्विटी निवेश और 483 करोड़ रुपये की राहत, छूट और अन्य रियायतें शामिल थीं। भारी उद्योग विभाग में पुनरुद्धार पैकेज की जांच की गई तथा प्रथम दृष्टया यह महसूस किया गया कि इक्विटी की इतनी बड़ी राशि के निवेश के बावजूद भी कंपनी की दीर्घवधि जैव्यता तथा संभरण सुनिश्चित नहीं है, अतः प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है। हालांकि, बीएसएनएल के साथ एचसीएल के विलय की संभावना पर विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है। चूंकि, कंपनी अपने संसाधनों से कर्मचारियों के बकायों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, अतः भारत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए मार्च, 2004 में 13.76 करोड़ रुपये की गैर–योजना सहायता जारी की। वीआरएस के इच्छुक कर्मचारियों या पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए लोक उद्यम विभाग की परामर्श, पुनःप्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती (सीआरआर) की योजना उपलब्ध है।

लोकगीत अकादमी

2245. श्री पी. सी. थामस : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोकगीत अकादमी कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या करेल सरकार ने राज्य में ऐसी अकादमी स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संस्कृति मंत्रालय के कुछेक स्वायत्त संगठन जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आदि पहले से ही लोकसाहित्य के परिरक्षण तथा प्रलेखन कार्य में कार्यरत हैं। इसी प्रकार कुछ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जैसे नेशनल फोल्कलोर सपोर्ट सेंटर, चेन्नई तथा रूपायन संस्थान, जोधपुर भी इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुखोई-30 एम के-I के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

2246. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुखोई–30 एम के–I के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भारत और रूस के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अनुसार भारत द्वारा रूस को कितनी धनराशि का भुगतान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) इस करार में एस यू–30 एम के–I विमान, इसके इंजनों तथा हिस्से–पुर्जों के सैटों का लाइसेंसशुदा उत्पादन करने की परिकल्पना है। रूसी पक्ष लाइसेंस संबंधी तकनीकी दस्तावेज, विशिष्ट गैर–मानकीकृत उपस्कर एवं औजार, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा भारत में रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, उत्पादन के विभिन्न चरणों में तकनीकी किटों की व्यवस्था करेगा।

(ग) सरकार ने कुल 4809.3 मिलियन अमरीकी डालर (वर्ष 2000 के मूल्य स्तर पर 22122,78 करोड़ रुपये और 1 अमरीकी डालर = 46 रुपये की दर पर) की लागत से हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एस यू–30 एम के–I विमान, इसके इंजनों तथा हिस्से–पुर्जों का लाइसेंसशुदा विनिर्माण किए जाने के लिए मंजूरी दी है जिसमें लाइसेंसशुल्क, तकनीकी सहायता, प्रौद्योगिकी सुविधाओं और तकनीकी किटों की लागत के लिए रूस को भुगतान किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम संबंधी समिति

2247. श्री तथागत सत्पथी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनधारा विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों ने सरकार से समिति को जारी रखने का अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की स्थापना लागत को किस तरह से पूरा करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(छ) क्या उड़ीसा में वहां सूखे की स्थिति के मद्देनजर पनधारा कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्र से और अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (च) वाटरशेड विकास संबंधी कार्यक्रमों सहित केंद्र द्वारा प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य–स्तर पर मंत्री (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में तथा जिला–स्तर पर संबंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां, संसद/राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में जब कभी भी परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में, पुनर्गठन के अध्यधीन नियमित आधार पर कार्य करती हैं। तथापि, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए अलग से कोई विशेष समिति गठित नहीं की गई है। इन समितियों की बैठकों के संबंध में तथा अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यय को जिलों में उपलब्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआर.डी.ए.) प्रशासन शीर्ष के अंतर्गत रखा जाना होता है।

(छ) और (ज) उड़ीसा से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

निजामुद्दीन में सिगनलिंग नेटवर्क

2248. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सिगनलिंग नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वहां अब तक की गई आधुनिकीकरण संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1992–93 में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर सीमेन्स किस्म का रूट रीले अंतर्पाशन उपलब्ध कराया गया था। तदुपरान्त, निजामुद्दीन स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोचिंग यार्ड में परिवर्तन और परिवर्धन के कार्य को स्वीकृत किया गया था। यह कार्य जून, 2004 में पूरा किया जा चुका है। दो अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म बनाए गए हैं और दो मौजूदा प्लेटफार्मों का विस्तार किया गया है। इन अतिरिक्त सुविधाओं को चालू करने के लिए स्टेशन पर सिगनलिंग प्रणाली का आशोधन किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बहु प्रारूप परिवहन प्रणाली की स्थिति

2249. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकंदराबाद–काचीगुड़ा–फलकनुमा क्षेत्रों को जोड़ने वाली बहु प्रारूप परिवहन प्रणाली (एमएमटीएस) के दूसरे चरण की स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जारी की गई; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बहु आयामी परिवहन प्रणाली के चरण–I में सिकंदराबाद–काचेगुडा–फलकनुमा खंड का कार्य शुरू कियां गया था और 14.2.2004 को इसे उपनगरीय सेवाओं के लिए खोल दिया गया है।

(ख) इस परियोजना के लिए 69.64 करोड़ रु. का अनुमान स्वीकृत किया गया है जिसे अब संशोधित करके 85.92 करोड़ रु. कर दिया गया है। 30.6.2004 तक किया गया व्यय इस प्रकार है :

(i) रेलवे का हिस्सा	44.32 करोड़ रुपये
(ii) राज्य सरकार	39.61 करोड़ रुपये

(ग) बहु आयामी परिवहन प्रणाली के चरण–I का पूरा खंड चालू कर दिया गया है।

उड़ीसा तट के अपतटीय क्षेत्र में तेल

2250. श्री अर्जुन सेठी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा तट के पतटीय क्षेत्र में तेल का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल टिकटों की कालाबाजारी

2251. श्री शिवाजी अधलराव पाटील :
श्री कैलाश बैठा :
श्री अजीत कुमार सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल टिकटों की कालाबाजारी में लगे रेल अधिकारियों तथा दलालों के बीच मिली–भगत होने के कारण यात्रियों को रेल टिकटों का आरक्षण कराने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई छापों के बावजूद भी इस कृत्य पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अवैध आरक्षण को रोकने के लिए वर्तमान उपबंधों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रैकेट में संलिप्त लोगों की पहचान करने तथा इस रैकेट को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रेलवे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता होती है, यथापेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, दलालों/असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए राजकीय रेल पुलिस व रेल सुरक्षा बल कार्मिकों के सहयोग से वाणिज्य व सतर्कता विभागों द्वारा नियमित और आकस्मिक जांचें की जाती हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है जो दलालों आदि के साथ गुप्त रूप से सहयोग करते पाए जाते हैं।

[हिन्दी]

राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच समन्वय

2252. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के बीच समन्वय की निगरानी के लिए एक केंद्रीय एजेंसी का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलगाड़ियों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन बलों द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये तथा असहयोग के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कार्य कर रही एलपीजी एजेंसियां तथा पेट्रोल पंप

2253. श्री अनन्त नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का राज्य में चालू वित्त वर्ष 2004–05 के दौरान नए पेट्रोल पंप लगाने और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उड़ीसा राज्य में 160 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 498 खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) ओएमसीज अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार व्यवहार्य स्थानों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरओज की स्थापना करती हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ओएमसीज की योजना उड़ीसा राज्य में 38 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 80 आरओज स्थापित करने की योजना है।

[हिन्दी]

सूडान में पाइपलाइन बिछाने की परियोजना

2254. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा सूडान में पापइलाइन बिछाने संबंधी परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से आम आदमी को क्या लाभ होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने खार्तूम रिफाइनरी से सूडान बंदरगाह तक 12 इंच व्यास वाली 741 कि.मी. लंबी जमीनी बहु–उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण और सहबद्ध कार्य टर्न–की आधार पर 200 मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक की अनुमानित लागत पर करने

के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को 24.6.2004 को अनुमति प्रदान कर दी थी।

(ग) सूडान सरकार के साथ हुए अनुबंध के अनुसार इस पाइपलाइन परियोजना में ओवीएल के निवेश से प्रतिफल ओवीएल की इच्छा पर कच्चे तेल के रूप में अथवा नकद रूप में लिया जा सकता है जिससे देश की तेल सुरक्षा में वृद्धि होगी। पाइपलाइन परियोजना के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध में भी भारतीय घटक का प्रावधान है जिससे भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार के अवसर उत्पन्न होंगे।

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में ज्वलनशील गैस का पता लगाना

2255. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखियों में ज्वलनशील गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोगों के मन से भय निकालने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ इस स्थान से गैस के उत्पादन के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) अपने प्रारंभ से ही भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा वेधन द्वारा ज्वालामुखी क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश राज्य में हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण कार्य कर रही है। दिनांक 1.4.2004 को हिमाचल प्रदेश में ओएनजीसी द्वारा 3,899 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) के द्वि–आयामी सर्वेक्षण किए गए हैं। राज्य में ग्यारह अन्वेषी कूपों का वेधन किया गया था, जिनमें से पांच कूपों का वेधन ज्वालामुखी संरचना में किया गया था। एक कूप का वेधन बाल्ह संरचना में किया गया था। जेएमआई–1 तथा बाल्ह–1 कूप में कुछ गैस होने के संकेत मिले हैं और जेएमआई–6 में गैस के संकेत थे। अन्य सभी कूपों को हाइड्रोकार्बनों से अलग रखा गया है। दिनांक 10.7.2002 को, एक कूप, जेएमआई–ख का पहले वेधन किया गया था, उसमें कुछ गैस और जल का सक्रिय रिसाव होना पाया गया था। तत्पश्चात् ओएनजीसी अधिकारियों ने कूप को ढकने के उपाय किए और इस समय उसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तथापि, कूप को निगरानी में रखा गया है और क्षेत्र की हदबन्दी करते हुए उस पर 24 घंटे सुरक्षा रखी गई है।

फिलहाल, ओएनजीसी हिमाचल प्रदेश में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तीसरे दौर के तहत दिए गए ब्लॉक एचएफ–ओएनएन–2001/1 तथा नामांकन आधार पर दिए गए कांगड़ा–मंडी क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर रही है। क्षेत्र में गैस के रक्षित भंडारों की वाणिज्यिक प्रमात्रा की खोज तथा सिद्ध होने के बाद ही गैस उत्पादन की व्यवहार्यता निर्धारित की जा सकती है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश तट से एनटीपीसी संयंत्र गुजरात तक गैस की ढुलाई

2256. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गैस क्षेत्र से गुजरात के एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों तक गैस की ढुलाई की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम लागत पर ढुलाई करने की गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की पेशकश को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। एनटीपीसी ने गुजरात में अपने विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की अधिप्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बोलियां आमंत्रित की थीं। ईंधन [पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी)/ प्राकृतिक गैस] की आपूर्ति विद्युत संयंत्र की चारदीवारी तक की जानी थी अर्थात पुनर्गैसीकरण टर्मिनल (एलएनजी आपूर्ति शृंखला के मामले में) और घरेलू प्राकृतिक गैस के मामले में गैस क्षेत्र से।

बोली प्रक्रिया के परिणाम के रूप में प्राकृतिक गैस की

आपूर्ति के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा भेजा गया प्रस्ताव प्रौद्योगिकीय–वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य और वित्तीय मूल्यांकन में निम्नतम पाया गया है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए आरआईएल को एक आशय पत्र पहले ही भेजा जा चुका है जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कार्य दायित्व में आंध्र प्रदेश तट से दूर क्षेत्र से गैस का परिवहन और गुजरात राज्य में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र की चारदीवारी तक गैस की सुपुर्दगी शामिल है।

(ग) गेल द्वारा दर्शाई गई कीमत एनटीपीसी के मूल्य बोली खोलने के बाद की थी और इसलिए इसको संज्ञान में नहीं लिया जा सका।

इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा विकलांगों के लिए उदवीकरम योजना

2257. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने विकलांगों के लिए सामाजिक कल्याण योजना 'उदवीकरम' हेतु धनराशि जारी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 'इंडियन आयल इंडेन उदवीकरम थित्तम' शीर्षक वाले कार्यक्रम के तहत कार्पोरेशन ने दिनांक 10.6.2004 को त्रिची में और दिनांक 20.6.2004 को थारांगम्बादी में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को क्रमशः 50 और 64 घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी किए। सुरक्षा जमा, रिफिल लागतों आदि का खर्चा इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वहन किया गया था।

चैनलों को लाइसेंस जारी करना

2258. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैनलों को लाइसेंस जारी करने संबंधी बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में दिखाए जाने के लिए कुल कितने चैनलों को लाइसेंस देने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं;

(ग) इनमें से कितने चैनल विदेशी सहयोग वाले हैं और कितने बिना सहयोग वाले हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) आज तक की स्थिति के अनुसार, भारत से टी.वी. चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति हेतु 11 नए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आवेदनों के अनुसार, सभी आवेदक कंपनियों में शत–प्रतिशत भारतीय इक्विटी है।

(घ) कोई समय–सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनियों का नाम	चैनलों के नाम	शेयर धारिता/इक्विटी	
			भारतीय	विदेशी
1	2	3	4	5
1.	फलक टीवी लि.	फलक टीवी और अलहिंद टीवी	100%	....
2.	सेवेन स्टार शापिंग नेटवर्क प्रा. लि.	सेवेन स्टार	100%	
3.	ट्वंटी फर्स्ट सेंचुरी न्यूज रूम प्रोडक्शंस लि.	सीएटी टीवी	100%	
4.	एकोनकार टेलीविजन प्रा. लि.	एकोनकार टेलीविजन	100%	....

1	2	3	4	5
5.	टोटल टेलीफिल्म्स प्रा. लि.	टोटल टीवी	100%	
6.	एनटर 10 टेलीविजन प्रा. लि.	एनटर 10	100%	
7.	सीनियर मीडिया लि.	सीनियर 1 टीवी	100%	
8.	केडीएम इंडिया प्रा. लि.	शक्ति एंटरटेनमेंट	100%	
9.	अमृता इंटरप्राइजिज लि.	अमृता	100%	
10.	शलोम कम्युनिकेशन प्रा. लि.	शलोम टेलीविजन	100%	
11.	तेलुगु सिनेमा एंटरटेनमेंट प्रा. लि.	तेलुगु सिनेमा	100%	....

[हिन्दी]

रतलाम मऊ खंड का आमान परिवर्तन

2259. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रतलाम नीमच खंड के साथ रतलाम मऊ खंड के आमान परिवर्तन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस खंड के आमान परिवर्तन से संबंधित कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर

2260. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की राज्यवार संख्या कितनी है और उन कंपनियों के नाम क्या–क्या हैं तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित कंपनियों के नाम क्या हैं और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही गैस एजेंसियों के लिए व्यवस्था कर रही है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान गैस एजेंसियां खोलने के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिनांक 1.4.2004 को विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की प्रचालनरत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। तेल विपणन कंपनियों के अपने–अपने निदेशक (विपणन) के पास एजेंसियों के नाम उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में, संपूर्ण देश में एलपीजी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं। तथापि, तेल विपणन कंपनियां देश में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने की संभाव्यता/वाणिज्यिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए नियमित अंतरालों पर सर्वेक्षण करती हैं। तेल विपणन कंपनियों के वाणिज्यिक आकलनों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने के लिए व्यवहार्य स्थलों पर विचार किया जाता है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने के कार्य में उचित स्थान का पता लगाने, गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि और अन्य सांविधिक मंजूरियां शामिल होती हैं। सरकार ने तेल विपणन कपंनियों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

विवरण

दिनांक 1.4.2004 तक राज्यवार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स

राज्य/संघ शासित राज्य	आईओसी (एमडी)	आईओसी (एओडी)	आईओसी कुल	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
आंध्र प्रदेश	290	0	290	160	272	4	726
अरुणाचल प्रदेश	5	23	28	0	0	0	28
असम	74	130	204	15	8	0	227
बिहार	153	0	153	60	42	0	255
छत्तीसगढ़	46	0	46	20	34	0	100
दिल्ली	191	0	191	69	46	0	306
गोवा	6	0	6	17	28	0	51
गुजरात	296	0	296	105	118	6	525
हरियाणा	130	0	130	76	55	8	269
हिमाचल प्रदेश	77	0	77	13	16	0	106
जम्मू व कश्मीर	70	0	70	14	54	0	138
झारखंड	81	0	81	27	23	0	131
कर्नाटक	206	0	206	108	154	0	468
केरल	183	0	183	95	70	0	348
मध्य प्रदेश	235	0	235	112	96	0	443
महाराष्ट्र	182	0	182	367	389	7	945
मणिपुर	7	21	28	0	0	0	28
मेघालय	14	18	32	0	0	0	32
मिजोरम	3	20	23	0	0	0	23
नागालैंड	7	16	23	0	0	0	23
उड़ीसा	62	0	62	29	66	0	157
पंजाब	231	0	231	95	69	12	407
राजस्थान	189	0	189	103	106	0	398

1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम	3	0	3	0	0	0	3
तमिलनाडु	321	0	321	113	84	9	527
त्रिपुरा	8	18	26	0	0	0	26
उत्तर प्रदेश	619	0	619	235	143	18	1015
उत्तरांचल	115	0	115	16	12	1	144
पश्चिम बंगाल	251	5	256	68	94	8	426
उप–योग	4055	251	4306	1917	1979	73	8275
संघ शासित राज्य							
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	0	2	0	0	0	2
चंडीगढ़	21	0	21	3	6	0	30
दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	1	0	1
दमन व दीव	0	0	0	0	2	0	2
लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	2
पांडिचेरी	6	0	2	2	5	0	13
उप–योग	31	0	31	5	44	0	50
अखिल भारतीय	4086	251	4337	1922	1993	73	8325

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का कच्चे तेल और गैस शिपिंग में प्रवेश

2261. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार कच्चे तेल और गैस शिपिंग के व्यापार में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार कच्चे तेल और गैस शिपिंग व्यापार के क्षेत्र में कितनी धनराशि के निवेश का है;

(ग) देश और विदेश में वे कौन से अतिरिक्त क्षेत्र हैं जहां पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अपने व्यापार का विविधीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सरकार को यह सूचित किया है कि उनकी व्यावसायिक विकास योजना और उनकी प्रचालनात्मक इकाइयों के साथ उनके सहयोगात्मक एकीकरण के भाग के रूप में क्रूड और प्राकृतिक गैस के नौवहन में प्रवेश करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव संकल्पनात्मक चरण पर है और इस संदर्भ में प्रस्ताव में निहित अन्य विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद ही संभावित निवेश का निर्धारण किया जा सकता है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी ने सरकार को यह भी सूचित किया है कि ज्यादातर बड़ी विश्वव्यापी तेल कंपनियों द्वारा पालन की जा रही कार्यनीति के अनुरूप ओएनजीसी मूल्य शृंखला एकीकरण और सभी प्रचालनात्मक इकाइयों के बीच समन्वय

के जरिए व्यावसायिक विकास विकल्पों पर कार्रवाई कर रही है। चूंकि ओएनजीसी रिफाइनरी के स्वामित्व के अलावा पहले ही प्राकृतिक गैस और एलएनजी व्यवसाय में संलग्न है, इसलिए कंपनी विद्युत, पेट्रोरसायन क्षेत्रों आदि में प्रवेश के लिए विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।

अतिक्रमण के अधीन भूमि

2262. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री रघुनाथ झा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न जोनों में अतिक्रमण के अधीन आकलित भूमि की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) लगभग 2200 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमणाधीन है।

(ख) सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 और रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

2263. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई उचित कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। कई ऐसे कार्यक्रम हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

(i) अन्नपूर्णा स्कीम–राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत उन वरिष्ठ नागरिकों जो पात्र होते हुए वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए जा सके, को 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी के हिसाब से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। लाभार्थी 65 वर्ष और उससे अधिक आयु का व निराश्रित हो जिसकी अपने स्वयं के आय स्रोतों से, अथवा पारिवारिक सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से, निर्वाह के बहुत कम या कोई नियमित साधन न हों।

(ii) अंत्योदय स्कीम–उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा

भारत सरकार ने अंत्योदय स्कीम दिसंबर, 2000 में शुरू की। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों में से अभिज्ञात 1.5 करोड़ परिवारों को 35 कि.ग्रा. प्रति माह प्रति परिवार की दर पर खाद्यान्न दिया जाता है। चावल 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. और गेहूं 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर पर दिए जाते हैं।

(iii) राज्य वृद्धावस्था पेंशन स्कीम–राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा

वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा परिवर्तनीय दरों पर मासिक पेंशन दी जाती है।

(iv) वित्तमंत्रालय (बीमा प्रभाग) द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

सरकार ने 'वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना' नामक एक विशेष पेंशन पालिसी आरंभ की है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन स्कीम के रूप में 9 प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल की गारंटी है। 55 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक इसके पात्र हैं (अधिकतम सीमा कोई नहीं)। पेंशन भोगियों को जीवनपर्यन्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम 250 रुपये प्रति माह और अधिकतम 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन है। यह मासिक पेंशन नागरिक द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान किए जाने के अगले माह से शुरू होगी।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में आकाशवाणी और दूरदर्शन रिले केंद्र

2264. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पहाड़ी राज्यों के लिए विशेषकर उत्तरांचल के कुमाऊं प्रभाग में प्रसार भारती द्वारा कितने आकाशवाणी और दूरदर्शन रिले केंद्रों को स्वीकृत किया गया है;

(ख) इनमें से कितने केंद्रों को स्थापित किया जा चुका है और बचे हुए केंद्रों के चालू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन स्वीकृत केंद्रों को कब तक स्थापित करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल में 42 दूरदर्शन परियोजनाओं और 6 आकाशवाणी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है। इनमें से केवल 2 आकाशवाणी परियोजनाएं उत्तरांचल के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हैं।

(ख) और (ग) 34 दूरदर्शन परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है और शेष 8 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा उनके अगले दो वर्षों के दौरान चालू हो जाने की आशा है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, केंद्रों हेतु स्थल का आवंटन अभी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा स्थल सौंपे जाने के पश्चात् स्टेशन को अधिष्ठापित करने में लगभग दो वर्ष लगेंगे।

[अनुवाद]

सार्वजनिक कल्याण कार्यों के लिए भूमि का आवंटन

2265. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में इस समय सेना के कब्जे वाली भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हैदराबाद में इस भूमि के काफी बड़े क्षेत्र का कई वर्षों से कोई उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या कुछ गैर–सरकारी संगठनों और अन्य लोगों ने सरकार से इस भूमि को सार्वजनिक कल्याण के कार्यों के लिए आवंटित करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद में क्रमशः 11,004.915 और 13,638.87 एकड़ भूमि सेना के कब्जे में है।

(ख) जी, नहीं। अधिकांश भूमि का सक्रिय इस्तेमाल किया जा रहा है और खाली पड़ी हुई या अप्रयुक्त दिखने वाली भूमि वास्तव में सेना की भावी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्धारित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ संगठन अर्थात् अंबेडकर सेवा संगम, सिकन्दराबाद; अध्यक्ष, भारतीय वैमानिकी सोसाइटी, हैदराबाद; अध्यक्ष, इंदिरा गांधी शैक्षिक सोसाइटी, सिकन्दराबाद; और संस्थापक/अध्यक्ष, जय जवान पार्क, हैदराबाद ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए रक्षा भूमि का आवंटन करने के वास्ते संपर्क किया है। मौजूदा नीति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद में कोई अधिशेष भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे संगठनों को रक्षा भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2266. श्री अर्जुन सेठी :
श्री गुरुदास कामत :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री काशीराम राणा :
श्री चंदकांत खैरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान रेलवे स्टेशनों का जोन–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उन्नत/आधुनिक

बनाए जा रहे रेलवे स्टेशनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में आज की स्थिति के अनुसार क्या सरकार को रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्यों से विशेषकर उड़ीसा से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इन सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.3.2003 को जोनवार स्टेशनों की संख्या (ब्लॉक हट और हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर) इस प्रकार है : मध्य रेलवे–854, पूर्व रेलवे–663, उत्तर रेलवे–1164, पूर्वोत्तर रेलवे–746, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे–432, दक्षिण रेलवे–744, दक्षिण मध्य रेलवे–689, दक्षिण पूर्व रेलवे–791, पश्चिम रेलवे–1023। राज्य–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) रेलवे स्टेशनों को अपग्रेडेशन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और हालत के आधार पर जहां कहीं इनकी आवश्यकता होती है, ये प्रतिवर्ष किए जाते हैं। 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत जोनवार एवं राज्यवार आवंटन संबंधी सूचना और अब तक किए गए खर्च सहित चालू प्रमुख आधुनिकीकरण संबंधी निर्माण कार्य (प्रत्येक 50 लाख रु. या इससे अधिक लागत वाले) और विभिन्न स्टेशनों पर चालू वर्ष के लिए स्वीकृत नए कार्यों को रेलवे बजट प्रलेखों के साथ संसद में प्रस्तुत किए गए निर्माण कार्यों, मशीनरी एवं चल स्टॉक कार्यक्रम, भाग–II में शामिल किया गया है।

ऊपर दिए गए अनुसार प्रमुख आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों की सूचीं उपलब्ध है जबकि प्रत्येक 50 लाख रु. से कम लागत वाले अन्य यात्री सुविधा कार्यों के लिए कुल उपलब्ध राशि कार्यों को प्रगति और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले नए कार्यों की आवश्यकता के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय रेलों को एकमुश्त आवंटन किया जाता है। इसके अलावा, जहां कहीं आवश्यकता होती है, स्टेशनों पर दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) की व्यवस्था में सुधार भी किए जाते हैं। वार्षिक मरम्मतों और अनुरक्षण में भी कुछ सुधार किए जाते हैं।

ऐसे निर्माण कार्यों का वित्त–पोषण 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलों को की गई व्यवस्था से किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित आवंटन और उपयोग किया गया था :

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु.) (ब.अ.)	व्यय (करोड़ रु. में)
2001–02	190*	169
2002–03	200	175
2003–04	205	181**

*निर्माण, परिचालन, पट्टा और हस्तांतरण (बोल्ट) को छोड़कर

**अनंतिम

(घ) से (च) आम जनता और जनता के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्टेशनों पर और गाड़ियों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में अनुरोध/सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे सभी अनुरोधों के ब्यौरों को संकलित नहीं किया जाता है। रेलों का यह सतत प्रयास रहता है कि यथासंभव अधिक से अधिक सुझावों को स्वीकार करें तथापि कार्य सम्हाले गए यातायात की मात्रा, स्टेशन की सापेक्ष महत्ता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को अपने वार्षिक निर्माण कार्य कार्यक्रम और चल स्टॉक प्रस्तावों को तैयार करते समय ऐसे सुझावों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है।

रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष लंबित मामले

2267. श्री रामदास बंडु आठवले :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दावा अधिकरण की स्थानवार पीठों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक रेलवे दावा अधिकरण द्वारा कितने मामले निपटाए गए और न्यायाधिकरण ने कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया;

(ग) रेलवे दावा अधिकरण के सामने आज की तारीख तक कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) यह मामले कब से लंबित पड़े हैं और ऐसे मामलों के निपटारे में हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) सामान्य रूप से ऐसे मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(च) अधिकरण के सामने दावा याचिकाओं को तेजी से निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए देश में विशेषकर कुईलोन, केरल में दावा अधिकरण की और पीठ खोलने का है; और

(ज) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) की 18 स्थानों पर 21 खंडपीठ हैं—1. दिल्ली*, 2. चंडीगढ़, 3. लखनऊ, 4. गाजियाबाद, 5. गोरखपुर, 6. कोलकाता**, 7. पटना, 8. गुवाहाटी, 9. भुवनेश्वर, 10. मुंबई, 11. भोपाल, 12. अहमदाबाद, 13. जयपुर, 14. नागपुर, 15 चेन्ने, 16. सिकंदराबाद, 17. एर्णाकुलम, 18. बेंगलूरू।

(ख)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	डिक्री की गई राशि (रुपये में)
2001–02	9952	34.06 करोड़
2002–03	10496	45.06 करोड़
2003–04	8785	37.58 करोड़
2004–05 (1.7.04 तक)	1783	5.33 करोड़

(ग) 1.7.2004 को 24,566

*दो **तीन

(घ)

दावा संबंधी अनिर्णित मामलों की समय–वार संख्या					
एक वर्ष से कम पुराने	एक वर्ष पुराने	2 वर्ष पुराने	3 वर्ष पुराने	4 वर्ष पुराने	5 वर्ष और उससे अधिक पुराने
7358	5880	3190	2300	1609	4229

इन मामलों के निपटान में विलंब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(i) समय–समय पर सदस्यों के पद रिक्त होना।

(ii) दावाकर्त्ता के पास उत्तराधिकार न होना।

(iii) साक्ष्य अथवा अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक/उनके वकील द्वारा स्थगन की मांग।

(iv) दावाकर्त्ता द्वारा दावा संबंधी मामलों का एक खंडपीठ से दूसरी खंडपीठ में अंतरण की मांग।

(ङ) वर्ष 2003–04 के दौरान दावा संबंधी मामलों के निपटान में लगा औसतन समय निम्नानुसार है :

माल–687 दिन, धन वापसी–669 दिन, गाड़ी दुर्घटनाएं–417 दिन और अप्रिय घटनाएं–757 दिन

(च) (क) दुर्घटना मामलों में दावाकर्त्ता को दुर्घटना स्थल पर ही दावा पेश करने की बजाय उस स्थान जहां वह सामान्यतः निवास करता है, आरंभिक स्टेशन पर, गंतव्य स्टेशन पर दावा पेश करने की सुविधा।

(ख) प्रत्येक मामले में स्थगनों की संख्या तीन तक सीमित कर दी गई है।

(ग) आर.सी.टी. अंतिम सुनवाई की तिथि के उपरांत 21 दिनों के भीतर आदेश जारी करता है।

(घ) दुर्घटना के दावा संबंधी मामलों का तत्काल निपटान करने की मानीटरिंग हेतु सभी क्षेत्रीय रेलों पर मुख्य दावा अधिकारी के अधीन एक दुर्घटना सेल का गठन किया गया है।

(ङ) दावा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु महत्वपूर्ण पण्यों के लिए एक ही खिड़की पर निपटान।

(च) विभिन्न पण्यों के दावा निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित है और निर्धारित समय सीमा में ही मामले निपटाने की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास किए जाते हैं।

(छ) महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ उनके दावों को अंतिम रूप देने के लिए नियमित बैठकें की जाती हैं।

(छ) जी, नहीं। केरल राज्य के एर्णाकुलम में एक खंडपीठ पहले से ही कार्य कर रही है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहीदों के आश्रितों को एलपीजी डीलरशिप और पेट्रोल पंप देना

2268. श्री शिवराज सिंह चौहान :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कारगिल युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के आश्रितों को एलपीजी डीलरशिप और पेट्रोल पंपों की प्राप्ति के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तारीख तक ऐसे लोगों को कितने एलपीजी डीलरशिप और पेट्रोल पंप दिए गए हैं; और

(ग) 2004 के अंत तक कितने पेट्रोल पंप और डीलरशिप दिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 'आपरेशन विजय' (कारगिल) में युद्ध के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन हेतु विशेष योजना के लिए 500 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियत की गई हैं। अब तक डीजीआर से 475 लाभार्थियों के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। लाभार्थियों द्वारा चयन किए गए स्थानों के व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर तेल उद्योग की सिफारिशों के बाद आवंटनों का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक सरकार 455 डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन अनुमोदित कर चुकी है। इनमें से 364 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू कर दिए गए हैं। 16 मामलों में आवंटितियों ने विभिन्न वैयक्तिक कारणों से प्रस्ताव स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की है। शेष 75 मामलों में से कुछ मामलों में चालू किए जाने का कार्य प्रगति पर है और अन्य मामलों में भूमि उपलब्ध न होने, आवंटितियों द्वारा उत्पाद/स्थान के परिवर्तन के लिए अनुरोध आदि जैसे विभिन्न कारणों से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नए गैस भंडार क्षेत्र

2269. श्री अनन्त नायक :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री महेश कनोडीया :
श्री परसुराम माझी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर नए गैस भंडार क्षेत्रों की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन नए क्षेत्रों से गैस उत्पादन के लिए उठाए जाने वाले कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 2003–04 के दौरान आंध्र प्रदेश के तट के परे केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 ब्लाक में धीरूभाई–7 और धीरूभाई–8 नामक दो गैस खोजें की गई थीं जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और निको रिसोर्सेस लिमिटेड के परिसंघ द्वारा उड़ीसा के तट के परे एनईसी–ओएसएन–97/2 ब्लाक में धीरूभाई–9, धीरूभाई–10 और धीरूभाई–11 नामक तीन गैस खोजें की गई हैं। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन ने भी आंध्र प्रदेश के तट के परे जी–4 संरचना में 2003–04 के दौरान एक गैस खोज की है। उपर्युक्त खोजों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

रेलवे में खरीद प्रणाली

2270. श्री शिवाजी अधलराव पाटील :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेलवे की खरीद प्रणाली भ्रष्टाचार और कदाचार से परिपूर्ण है;

(ख) क्या सरकार खरीद प्रणाली में माफिया की भागीदारी से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) निविदा माफिया के चंगुल से रेलवे की खरीद प्रणाली को मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। खरीद प्रणाली में भ्रष्टाचार और कदाचार अथवा माफिया के संलिप्त होने के कोई प्रमुख मामले प्रकाश में नहीं आए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल मंत्रालय में सुपरिभाषित खरीद प्रणाली मौजूद है, ताकि खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। सामान्यतः खरीद समाचार पत्रों/निविदा पत्रिकाओं/रेलवे की वेबसाइटों में व्यापक प्रचार करके खुली निविदाओं के माध्यम से की जाती है। बहरहाल, तात्कालिकता और अन्य कारकों के आधार पर बुलेटिन निविदा/सीमित निविदा कोटेशन/एकल निविदाएं भी आमंत्रित की जाती है। खरीद में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं से बचने के लिए वेब आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई–प्रोक्योरमेन्ट के लिए एक पायलट परियोजना स्वीकृत की गई है। खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जांच किए जाने और शिकायतों की छानबीन किए जाने की व्यवस्था है।

सब्जियों को ढोने के लिए वातानुकूलित वैन

2271. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से सब्जियों, फलों और भोज्य पदार्थों को ढोने के लिए वातानुकूलित वैन शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन राज्यों के बीच चलाई जाएगी;

(ग) ऐसी गाड़ियों के विनिर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इससे लोगों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। भारतीय रेल पर फलों, सब्जियों, फ्रोजन खाद्य पदार्थों आदि सहित नश्य पण्यों के परिवहन के लिए अब तक कुल 10 प्रशीतित वैन शुरू किए गए हैं। चूंकि रेलवे पर यह एक नई तरह की सेवा है इसलिए संभावित यातायात अभी लगाया जाना है। प्रशीतित वैनों या किसी अन्य वाहनों/माल–डिब्बों का आवंटन राज्य–वार नहीं किया जाता बल्कि जहां कहीं से भी परिवहन की मांग की जाती है, इनका उपयोग किया जाता है।

(ग) 2002–03 के मूल्य के अनुसार एक प्रशीतित यान के निर्माण में लगभग 52 लाख रु. की लागत आती है।

अन्य पिछड़े वर्गों में संपन्न वर्ग

2272. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग के निर्धारण के लिए मानदण्डों का पुनरीक्षण के बारे में 11 दिसम्बर, 2003 के तारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों में सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय मानदंड की पुनरीक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच संपन्न वर्ग (क्रिमी लेयर) के निर्धारण के लिए आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में 9.3.2004 को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवश्यक आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

रेलवे में कार्यरत कर्मचारी

2273. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय के और इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में श्रेणीवार कुल कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं;

(ख) उक्त तिथि की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इस मंत्रालय में और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुल कितने पद रिक्त हैं और दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार ये पद किन तिथियों से रिक्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मंत्रालय में और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में रिक्त पदों को भरने के लिए कैडर-वार और एक्स कैडर-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

के.यू. बैंड पारेषण

2274. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर उत्तरांचल में के.यू. बैंड पारेषण को शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तरांचल में दूरदर्शन के कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों को 500 वाट के कम क्षमता वाले पावर ट्रांसमीटरों से बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो इन ट्रांसमीटरों के कब तक बदलने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2004 के दौरान के.यू. बैंड में उपग्रहीय प्रसारण आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ख) के.यू. बैंड ट्रांसमिशन की शुरुआत के साथ ही लघु आकार की डिश एंटिना प्रणाली की सहायता से उत्तरांचल सहित देश के दर्शकों के लिए 30 फ्री-टु-एयर टी.वी. चैनल देख पाना संभव हो सकेगा। के.यू. बैंड ट्रांसमिशन परियोजना के लिए निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। शुरुआती चरण में उत्तरांचल सहित आठ राज्यों/क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में सफल प्रदर्शन के जरिए इस नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ियों, विद्यालयों, जन स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों, युवा क्लबों, सहकारी समितियों आदि जैसी जन संस्थाओं को 30 चैनलों के समूह को देखने के लिए सेट टॉप बॉक्स और डिश एंटिना उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन संस्थाओं को डिश एंटिना और उपग्रह अभिग्रहण उपस्कर (टी.वी. रिसीवर को छोड़कर) का एक पूरा सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित सेट टॉप बॉक्सों की कुल संख्या दस हजार है। जहां भी सेट टॉप बॉक्सों और डिशों का वितरण संभव नहीं है, वहां चैनलों के वितरण हेतु दूरदर्शन द्वारा केबल शीर्ष-छोर स्थापित किए जाएंगे। इन राज्यों के कवर न किए गए लगभग 50 टी.वी. परिवारों की आबादी वाले गांवों/क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन द्वारा लगभग 200 केबल शीर्ष छोर अधिष्ठापित किए जाएंगे।

(ग) से (ङ) उत्तरांचल या देश में अन्यत्र कहीं भी अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलने की कोई स्कीम नहीं है। कवर न किए गए क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज अब के.यू. बैंड में उपग्रहीय ट्रांसमिशन के माध्यम से उपलबध करवाना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास और निवास विकास

2275. श्री पी. सी. थामस : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास और निवास विकास के लिए नवीन पहल के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों, विशेषकर केरल से केंद्र सरकार के समक्ष लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस योजना हेतु व्यय किया गया धन कितना है;

(घ) 2004–05 में इस योजना हेतु प्रस्तावित धनराशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना को जारी रखने की इच्छुक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत आज तक की स्थिति के अनुसार 76 परियोजनाएं लंबित हैं और उनमें से पांच केरल की हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत राज्यवार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर है।

(घ) ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण एक परियोजना आधारित और मांग–जनित योजना है। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मिति केंद्रों के लिए चल रही और नयी परियोजनाओं के लिए 8.00 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, इस योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत आरंभ से अब तक राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	7
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	5
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	5
15.	महाराष्ट्र	8
16.	मणिपुर	8
17.	मेघालय	6
18.	मिजोरम	2
19.	नागालैंड	7
20.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	1
22.	राजस्थान	7

1	2	3
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	22
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	34
27.	उत्तरांचल	1
28.	प. बंगाल	3
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	दादरा व नागर हवेली	0
31.	दमन व दीव	0
32.	लक्षद्वीप	0
33.	पांडिचेरी	0
34.	ख्याति प्राप्त संगठन	2
	कुल	170

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2001–02, 2002–03 और 2003-04 के दौरान ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत राज्यवार रिलीज की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्षवार रिलीज की गई राशि		
		2001–2002	2002–2003	2003–2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34.59	38.89	2.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	167.55	93.70	88.62
3.	असम		65.69	94.18
4.	बिहार	16.00	45.38	
5.	छत्तीसगढ़			
6.	गोवा			
7.	गुजरात		4.99	4.99
8.	हरियाणा			25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	18.70	17.50	19.46
10.	जम्मू और कश्मीर	20.67		
11.	झारखंड			
12.	कर्नाटक			
13.	केरल		11.24	28.90
14.	मध्य प्रदेश	46.38	4.66	
15.	महाराष्ट्र	96.44	25.71	63.95
16.	मणिपुर	104.85	50.00	50.00
17.	मेघालय	49.75	91.88	74.45
18.	मिजोरम			50.00
19.	नागालैंड	50.00	121.00	8.00
20.	उड़ीसा	8.00		
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	23.00	75.16	
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	87.26	40.28	88.32
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश	165.97	326.50	69.20
27.	उत्तरांचल			
28.	पश्चिम बंगाल	4.92	10.00	
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
30.	दादरा व नागर हवेली			
31.	दमन व दीव			

1	2	3	4	5
32.	लक्षद्वीप			
33.	पांडिचेरी			
34.	ख्यातिप्राप्त संगठन	70.00		450.00
	कुल	964.08	1022.57	1117.80

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, सदन से एक मैम्बर मिसिंग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब एक नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक नए मैम्बर को ओथ लेने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, एक नए सदस्य को शपथ लेनी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी, श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालेसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालेसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 357/04]

(3) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए

समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 358/04]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं श्री लालू प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2003 जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 257(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 359/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 360/04]

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 361/04]

(2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 362/04]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रैड्डी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.अी. 363/04]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 364/04]

(4) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 365/04]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 366/04]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की

अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 367/04]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 368/04]

(दो) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 369/04]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के संबंध में वर्ष 2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 370/04]

(3) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के संबंध में वर्ष 2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 371/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं, श्री संतोष मोहन देव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 372/04]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 373/04]

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 374/04]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : महोदय, मैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 375/04]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नॉलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नॉलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 376/04]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम–अनुपस्थित

श्री पी. चिदम्बरम–अनुपस्थित

उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 377/04]

(दो) नेशनल बैकवार्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 378/04]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.आ. 379/04]

(ख) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 380/04]

(4) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 381/04]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 382/04]

(7) भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का जुलाई, 2001 से जून, 2002 तक की अवधि के लिए चालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 383/04]

(9) (एक) राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 (भाग) और 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 384/04]

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1999–2000 (भाग) और 2000–2001 के लिए दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 385/04]

(11) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की वर्ष 2001–2002 के लिए सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.अी. 386/04]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2004–2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 387/04]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति का एक प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाना है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : जी, नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि विपक्ष के माननीय नेता इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि इस प्रकरण के बारे में केंद्र का एक केबिनेट मंत्री फरार हो जाए और इस कारण सदन में न आए, इसके बारे में प्रधानमंत्री सदन में अपना वक्तव्य दें। आप उन्हें निर्देश दें कि वह ऐसा करें। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब तक इसका प्रबंध न हो जाए तब तक आज के लिए हाउस स्थगित करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि इस सभा में अध्यक्षपीठ

प्रासंगिक नहीं रह गई है। अध्यक्ष की कोई भूमिका ही नहीं रह गई है। माननीय सदस्य स्वयं ये निर्णय लेते हैं कि कौन बोलेगा, कब वे बोलेंगे और वे किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति देंगे या नहीं। ऐसा लगता है कि यहां अध्यक्षपीठ की कोई भूमिका नहीं रह गई है और यहां तक कि अध्यक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। मुझे पता चलना चाहिए कि क्या माननीय सदस्य इस सभा पर गर्व करते हैं, जहां अध्यक्ष बोल नहीं सकता!

विपक्ष के माननीय नेता ने कतिपय टिप्पणियां की हैं। सुबह भी उन्होंने ऐसा ही किया था और अब यहां उसे दोहराया है। जब वे मुझसे मिले तो मैंने उनसे वह बताने का आग्रह किया था। प्रत्येक सदस्य जानता है, मेरी तरह ही विपक्ष के माननीय नेता भी यह जानते हैं कि अध्यक्षपीठ माननीय प्रधानमंत्री या किसी माननीय मंत्री को वक्तव्य देने को बाध्य नहीं कर सकती।

मैंने प्रातः भी यही कहा था। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह उनकी मर्जी है कि वे इसका प्रत्युत्तर कैसे दें, दें या नहीं दें या कब दें। मैं उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। माननीय विपक्ष के नेता से बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता।

चूंकि सभा में एक अनुरोध किया गया था, उसका सम्मान करते हुए मैं सभा को कल 23 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 जुलाई, 2004/ श्रावण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सूची की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री अर्जुन सेठी	242
2.	प्रो. रासा सिंह रावत	243
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	244
4.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	245
	श्रीमती निवेदिता माने	
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	246
	श्री निखिल कुमार चौधरी	
6.	श्री प्रबोध पाण्डा	247
7.	श्री विजय कृष्ण	248
8.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	249
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	250
	श्री सुरेश चन्देल	
10.	श्री शिवराज सिंह चौहान	251
11.	श्री किन्जरपु येरननायडु	252
	डा. एम. जगन्नाथ	
12.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	253
	श्री नीतीश कुमार	
13.	श्री काशीराम राणा	254
	श्री राम कृपाल यादव	
14.	श्री अधीर चौधरी	255
	श्री उदय सिंह	
15.	श्री भर्तृहरि महताब	256
	श्री प्रभुनाथ सिंह	
16.	श्री राज बब्बर	257
17.	श्री एन. एन. कृष्णदास	258
18.	श्री कैलाश मेघवाल	259
19.	श्रीमती पी. सतीदेवी	260
20.	श्री रायापति सांबासिवा राव	261

अतारांकित प्रश्नों की सूची की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
अबदुल्लाकुट्टी, श्री	2242
आदित्यनाथ, योगी	2109
आचार्य, श्री बसुदेव	2080
अहीर, श्री हंसराज जी	2096, 2117, 2164, 2216
आठवले, श्री रामदास बंडु	2129, 2198, 2241, 2260, 2267
अजनाला, डा. रतन सिंह	2095
'बचदा', श्री बच्ची सिंह रावत	2074, 2194, 2236, 2264, 2274
बैठा, श्री कैलाश	2251
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2133, 2203
बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	2101
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2090
वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2097, 2165
बुधौलिया, श्री राजनरायन	2076, 2153
चक्रवर्ती, श्री अजय	2108
चालिहा, श्री किरिप	2146
चंद, श्री निहाल	2102
चंदेल, श्री सुरेश	2152, 2231, 2255
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2077, 2192

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
चौधरी, श्री निखिल कुमार	2187
चौहान, श्री शिवराज सिंह	2170, 2225, 2252, 2268
चौधरी, श्री पंकज	2104, 2201
चौधरी, श्री अधीर	2166, 2217, 2254
दास, श्री खगेन	2138
दासगुप्त, श्री गुरुदास	2124, 2140, 2207, 2244, 2262
देवरा, श्री मिलिन्द	2085, 2159
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2075, 2105, 2175, 2246
दूबे, डा. चन्द्र शेखर	2198, 2208
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2083, 2155, 2224
गांधी, श्री प्रदीप	2225
गेहलोत, श्री थावरचन्द	2172
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2089
जगन्नाथ, डा. एम.	2158, 2167, 2233
जय प्रकाश, श्री	2149
जटिया, डा. सत्यनारायण	2073
जयप्रदा, श्रीमती	2145, 2209
झा, श्री रघुनाथ	2112, 2262
जोगी, श्री अजीत	2087
कलमाडी, श्री सुरेश	2179, 2227
कामत, श्री गुरुदास	2266
कनोडीया, श्री महेश	2232, 2269
खैरे, श्री चन्द्रकांत	2266
खां, श्री सुनील	2080
खारवेनथन, श्री एस. के.	2113
कृष्ण, श्री विजय	2099, 2168, 2223, 2242
कृष्णदास, श्री एन. एन.	2184, 2230

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
कुरुप, श्री सुरेश	2115
लिब्रा, श्री सुखदेव सिंह	2095
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2172, 2197, 2239, 2259
महाजन, श्री वाई. जी.	2078, 2185, 2235
महतो, श्री बीर सिंह	2125
महतो, श्री सुशील कुमार	2139
महताब, श्री भर्त्रुहरि	2169, 2229
माझी, श्री परसुराम	2126, 2199, 2269
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2098, 2113, 2223, 2242
माने, श्रीमती निवेदिता	20.98, 2099, 2113, 2223
मेघवाल, श्री कैलाश	2188, 2232, 2257, 2271
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2200
मोदी, श्री सुशील कुमार	2088, 2116, 2246
मोहले, श्री पुन्नू लाल	2107, 2176, 2225
मनोज कुमार, श्री	2087, 2131, 2202
मुर्मू, श्री हेमलाल	2117
मुर्मू, श्री रूपचन्द	2094, 2163, 2215, 2263, 2273
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2142
नायर, श्री पी. के. वासुदेवन	2124
नायक, श्री अनन्त	2082, 2156, 2226, 2253, 2269
नायक, श्रीमती अर्चना	2117, 2178, 2222, 2269
नीतीश कुमार, श्री	2196, 2228, 2238
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	211, 2196
ओवसी, श्री असादूद्दीन	2150, 2213, 2249, 2265
पाल, श्री राजाराम	2209

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	2178
परस्ते, श्री दलपत सिंह	2071, 2160, 2237
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	2132, 2211
पटेल, श्री दिन्शा	2147
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	2148, 2169, 2210
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2081, 2173, 2186
पाटले, श्री शिशपुाल एन.	2144
प्रसाद, श्री अनिरुद्ध उर्फ साधु यादव	2098, 2099
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2084, 2157, 2218, 2256
राई, श्री नकुल दास	2091
राजेन्द्र कुमार, श्री	2093
राजेन्द्रन, श्री पी.	2103, 2267
राणा, श्री काशीराम	2181, 2185, 2266
राव, श्री रायापति सांबासिवा	2189, 2234, 2258, 2272
रावले, श्री मोहन	2079
रावत, प्रो. रासा सिंह	2154, 2268
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2130
रेड्डी, श्री एस. पी. वाई.	2123, 2193
शैलेन्द्र कुमार, श्री	2135, 2205
शर्मा, डा. अरुण कुमार	20922, 2182
सत्पथी, श्री तथागत	2086, 2200, 2222, 2247, 2266
सेन, श्रीमती मिनाती	2242
सेठ, श्री लक्ष्मण	2111, 2178
सेठी, श्री अर्जुन	2171, 2220, 2250, 2266
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2125
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2137, 2212
शर्मा, श्री मदन लाल	2143
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	2162, 2214, 2251, 2270
सिंह, श्री अजीत कुमार	2251
सिंह, श्री दुष्यंत	2188, 2169, 2174, 2183, 2248
सिंह, श्री गणेश	2134, 2204
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2098, 2113, 2223, 2242
सिंह, श्री प्रभुनाथ	2161, 2235, 2240, 2270
सिंह, श्री राजीव रंजन 'ललन'	2180, 2228
सिंह, श्री राम लखन	2128
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2120
सुब्बारायण, श्री के.	2100
सुमन, श्री रामजीलाल	2180, 2196, 2238
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2114
ठक्कर, श्रीमती जया बहन बी.	2072, 2152, 2158, 2218
थामस, श्री पी. सी.	2119, 2245, 2275
थुपस्तन, श्री छेवांग	2122, 2191
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	2106
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2136, 2206, 2243
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2185
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2135
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2110, 2177, 2222
वर्मा, श्रीमंती ऊषा	2127, 2195
वीरेन्द्र कुमार, श्री	2172, 2221, 2242, 2261
विनोद कुमार, श्री बी.	2121, 2190
येरननायडु, श्री किन्जरपु	2158, 2167, 2201

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की सूची की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

संस्कृति

रक्षा 246, 248, 252

भारी उद्योग और लोक उद्यम : 244, 250

सूचना और प्रसारण : 251, 255, 257, 260, 261

पंचायती राज : 253

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस : 243, 245, 247, 249

रेल 254

ग्रामीण विकास 242, 256, 258, 259

सामाजिक न्याय और अधिकारिता :

अतारांकित प्रश्नों की सूची की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

संस्कृति 2099, 2103, 2104, 2123, 2174, 2207, 2245

रक्षा : 2074, 2088, 2112, 2142, 2156, 2157, 2160, 2168, 2176, 2179, 2190, 2191, 2201, 2205, 2216, 2227, 2232, 2235, 2240, 2246, 2265

भारी उद्योग और लोक उद्यम : 2140, 2150, 2223, 2244

सूचना और प्रसारण : 2080, 2081, 2086, 2087, 2091, 2098, 2105, 2115, 2122, 2125, 2129, 2151, 2175, 2185, 2202, 2230, 2258, 2264, 2274

पंचायती राज : 2116, 2130

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस : 2072, 2077, 2078, 2084, 2085, 2100, 2101, 2110, 2114, 2120, 2127, 2132, 2135, 2145, 2152, 2154, 2155, 2159, 2161, 2166, 2167, 2180, 2186, 2195, 2200, 2206, 2209, 2211, 2212, 2213, 2217, 2218, 2221, 2222, 2224, 2226, 2228, 2242, 2243, 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2260, 2261, 2268, 2269

रेल : 2071, 2075, 2076, 2079, 2082, 2083, 2089, 2090, 2092, 2093, 2094, 2095, 2097, 2106, 2108, 2109, 2111, 2113, 2124, 2126, 2133, 2134, 2136, 2138, 2139, 2141, 2146, 2147, 2148, 2153, 2162, 2164, 2165, 2172, 2177, 2178, 2181, 2182, 2183, 2184, 2187, 2188, 2192, 2193, 2194, 2197, 2199, 2203, 2204, 2210, 2219, 2220, 2225, 2231, 2233, 2237, 2239, 2248, 2249, 2251, 2252, 2259, 2262, 2266, 2267, 2270, 2271, 2273

ग्रामीण विकास : 2096, 2102, 2117, 2118, 2121, 2128, 2131, 2144, 2149, 2158, 2163, 2169, 2171, 2173, 2189, 2198, 2208, 2214, 2229, 2234, 2236, 2238, 2241, 2242, 2247

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 2073, 2107, 2119, 2137, 2142, 2170, 2196, 2215, 2263, 2272.

पी.एल.एस. – 48/3/14/ 2004 (एन.)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।